पूर्वांचल खेती

किसान मेला विशेषांक

वर्ष : 33 | मार्च 2023 | अंक : 03

भारत मे पहली बार तीन शक्तियों वाला बहुआयामी खरपतवार नाशक

नए ज़माने का गन्ने का खरपतवार नाशक

UPL OpenAg™

ट्रिस्केल

सपने करे सच

1 शॉट
एक परिपूर्ण समाधान

उत्तम फसल सुरक्षा

बहुआयामी खरपतवार नाशक

तुरंत डाउनलोड करें
नर्चर·फार्म ऐप
मोबाइल कैमरे या क्यू आर कोड रीडर का प्रयोग करें

नर्चर.फार्म से मिलने वाली सुविधाएं

सुविधाजनक स्प्रे सेवाएं | किसान कॉल सेन्टर | एक्स्पर्ट सलाह, आपके खेतपर | असली उत्पाद होंगे स्कैन,मिलेंगे पॉईन्ट्स | मौसम की सही जानकारी | स्वास्थ्य बीमा सुविधा

अधिक जानकारी के लिये नर्चर.केयर से सम्पर्क करें 18001021199

प्रसार निदेशालय

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

कुमारगंज, अयोध्या 224 229 (उ.प्र.)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

B.K.YADAV
CHIEF GENERAL MANAGER

PRODUCER OF BEST QUALITY REFINED SUGAR & POWER

Balrampur Chini Mills Ltd., Unit-Haidergarh,
Vill. & Post-Pokhra,
Distt. – Barabanki (U.P.) -225126

पूर्वांचल खेती

किसान मेला विशेषांक

प्रसार निदेशालय

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

कुमारगंज, अयोध्या 224 229 (उ.प्र.)

पूर्वांचल खेती

वर्ष 33 | मार्च 2023 | अंक 03

संरक्षक

डॉ. बिजेन्द्र सिंह

कुलपति

प्रधान सम्पादक

प्रो. ए. पी. राव

निदेशक प्रसार

तकनीकी सम्पादक

डॉ. आर. आर. सिंह

प्राध्यापक, मृदा विज्ञान

मो. नं. 9450938866

सम्पादक मण्डल

डॉ. वी. पी. चौधरी

सहायक प्राध्यापक, पादप रोग

डॉ. पंकज कुमार

सहायक प्राध्यापक, कीट विज्ञान

डॉ. अनिल कुमार

सहायक प्राध्यापक, प्रक्षेत्र प्रबन्ध

सम्पादक

उमेश पाठक

मोबाइल नं. 9415720306

इस पत्रिका में प्रकाशित लेख एवं विचार लेखक के निजी हैं। प्रकाशक/सम्पादक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है

विषय सूची

बसन्तकालीन गन्ना में सह–फसल उत्पादन की आधुनिक तकनीकी 01
के.एम. सिंह एवं हर्षिता

जायदे में मक्का उत्पादन 11
सियाराम एवं एस.के. वर्मा

हल्दी की वैज्ञानिक खेती से किसान कमाए मुनाफा 19
शशांक सिंह एंव जे. पी. सिंह

आमजन पशुओं के लिए भी उपयोगी मोटे अनाज की उत्पादन तकनीकी 22
ए.के. सिंह एवं नरेन्द्र प्रताप

कम लागत में तोरई की वैज्ञानिक खेती 25
अंकिता गौतम एवं आर.आर. सिंह

मिट्टी रहित खेतीः टिकाऊ खाद्य उत्पादन की दिशा में एक नया दृष्टिकोण 27
संदीप कुमार पाण्डेय एवं प्रमोद कुमार मिश्र

गौ आधारित सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती 31
चन्दन सिंह एवं लाल पंकज कुमार सिंह

एफ0पी0ओ0 से जुडकर किसान भाई पायें अपनी उपज का अधिकतम मूल्य 40
अनिल कुमार एवं ए0पी0 राव

दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार– एक प्रमुख भूमिका 44
विजय चन्द्रा एवं डी0पी0 सिंह

हरा चारा उत्पादन तकनीक 51
शैलेश कुमार सिंह, एस.के. तोमर एवं रितेश गंगवार

मार्च माह में किसान भाई क्या करें? 56

प्रश्न किसानों के, जवाब वैज्ञानिकों के 57

प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में स्थापित विभिन्न कृषि विज्ञान/ज्ञान केन्द्र एवं अनुसंधान केन्द्र

क्र. सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र	वरिष्ठ वैज्ञानिक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी	दूरभाष कार्यालय	मोबाइल
1.	वाराणसी	डॉ. नरेन्द्र रघुवंशी	05542–248019	9415687643
2.	बस्ती	डॉ. डी.के. श्रीवास्तव	05498–258201	9839403891
3	बलिया	डॉ. सोमेन्दु नाथ प्रभारी	–	8948044062
4.	फैजाबाद	डॉ. शशिकान्त यादव	05278–254522	9415188020
5.	मऊ	डॉ. एल. सी. वर्मा	0547–2536240	7376163318
6.	चंदौली	डॉ. एस. पी. सिंह	0541–2260595	9458362153
7.	बहराइच	डॉ. विनायक शाही	05252–236650	8755011086
8.	गोरखपुर	डॉ. सतीश कुमार तोमर	–	9415155518
9.	आज़मगढ़	डॉ. डी.के. सिंह	–	9456137020
10.	बाराबंकी	डॉ. शैलेश कुमार सिंह	–	9455501727
11.	महाराजगंज	डॉ. डी. पी. सिंह	–	7839325836
12.	जौनपुर	डॉ. सुरेश कुमार कनौजिया	–	9984369526
13.	सिद्धार्थनगर	डॉ. ओम प्रकाश	05541–241047	9452489954
14.	सोनभद्र	डॉ. पी. के. सिंह	–	9415450175
15.	बलरामपुर	डॉ. एस. के. वर्मा	–	9450885913
16.	अम्बेडकरनगर	डॉ. रामजीत	–	9918622745
17.	संतकबीरनगर	डॉ. अरविन्द सिंह	–	9415039117
18.	अमेठी	डॉ. रतन कुमार आनन्द	–	9838952621
19.	बहराइच (नानपारा)	डॉ. के. एम. सिंह	–	9307015439
20.	मनकापुर–गोण्डा	डॉ. पी.के. मिश्रा प्रभारी	–	9936645112
21.	बरासिन–सुल्तानपुर	डॉ. वी.पी. सिंह	–	9839420165
22.	अमिहित–जौनपुर	डॉ. संजीत कुमार	–	9837839411
23.	गाजीपुर	डॉ. आर. सी. वर्मा	–	9411320383
24.	श्रावस्ती	डॉ. विनय कुमार	–	–
25.	आजमगढ़ द्वितीय	डॉ. डी.के. सिंह	–	9456137020

विश्वविद्यालय के कृषि ज्ञान केन्द्र

क्र.सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र	प्रभारी अधिकारी/	मोबाइल	दूरभाष कार्यालय
1.	अमेठी	डॉ. ए. पी. राव.	9415720376	–
2.	गोण्डा	डॉ. ए. पी. राव	9415720376	–
3.	देवरिया	डॉ. ए. पी. राव	9415720376	–
4.	गाजीपुर	डॉ. ए. पी. राव	9415720376	–

विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र

क्र.सं.	कृषि अनुसंधान केन्द्र	प्रभारी अधिकारी/	मोबाइल	दूरभाष कार्यालय
1.	मसौधा, फैजाबाद	डॉ. डी. के. द्विवेदी	7706884188	05278–254153
2.	तिसुही, मिर्जापुर	डॉ. पी. के. सिंह	9415450175	05442–284263
3.	बसुली, महाराजगंज	डॉ. डी. पी. सिंह	9451430507	–
4.	घाघरा घाट, बहराइच	डॉ. नितेन्द्र प्रकाश	9026289336	0525–235205
5.	बड़ा बाग, गाजीपुर	डॉ. सी. पी. सिंह	9628631637	–
6.	बहराइच	डॉ. एस. के. सिंह	8787289358	0548–223690

डॉ. बिजेन्द्र सिंह
कुलपति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या-224229 (उ.प्र.)
फोन- 05270-262161 (ऑ.)
05270-262842 (घर)

संदेश

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में दो दिवसीय किसान मेले का अयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रसार निदेशालय द्वारा प्रकाशित कृषि मासिक पत्रिका पूर्वांचल खेती के मेला विशेषांक का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

मैं मेले के सफल आयोजन की कामना करता हूँ तथा पूर्वांचल खेती पत्रिका के विशेषांक प्रकाशन के लिए प्रसार निदेशक व उनकी टीम को अपनी शुभकांनाएँ देता हूँ।

(बिजेन्द्र सिंह)

प्रो. ए. पी. राव
निदेशक प्रसार

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या-224 229 (उ.प्र.), भारत
टेलीफैक्स : 05270-262821
फैक्स : 05270-262821

सम्पादकीय

परंपरा से हटकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की सोपान तक पहुँच चुकी भारतीय कृषि समय व भविष्य को देखते हुए अब एक नये दौर से गुजर रही है। मृदा उर्वरता से लेकर कृषि उत्पादन के प्रभावित होते वातावरण में प्राकृतिक खेती का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। बेहतर पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थों के प्रति आमजन व रूझान बढ़ा है। इन्ही परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस माह आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा श्री अन्न यानी मोटे अनाजों की खेती व मूल्य संवर्धन विषय पर किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर पूर्वांचल खेती मासिक पत्रिका के मेला विशेषांक का प्रकाशन भी किया जा रहा है। आशा है इस अंक में प्रकाशित लेख सामग्री हमारे किसान भाईयों को मोटे अनाजों की खेती व प्राकृतिक खेती करने की ओर आकर्षित करेगा तथा उनके ज्ञान को अद्यतन करने में सहायक सिद्ध होगा।

(ए.पी. राव)

बसन्तकालीन गन्ना में सह-फसल उत्पादन की आधुनिक तकनीकी

के.एम. सिंह एवं हर्षिता

गन्ने का उत्पादन नकदी फसल के रूप में किया जाता है एवं चीनी उद्योग का मुख्य फसल भी है। विकसित नवीन प्रजातियों की उत्पादन क्षमता अधिक है, किन्तु गन्ना उत्पादन क्षेत्र का औसत उत्पादन की बात करें तो काफी कम है। इसके उत्पादन में यदि उत्पादन तकनीकी के साथ समय से बुआई की जाय तो कृषकों का औसत उत्पादन एवं शुद्ध लाभ में वृद्धि की जा सकती है। उत्तर भारत में गन्ने की बुवाई सामन्यतः वर्ष में दो बार की जाती है। जिसे शरदकालीन गन्ना व बसंत कालीन गन्ना कहते हैं। शरद कालीन गन्ने का औसत उत्पादन बसंतकालीन गन्ने की अपेक्षाकृत से अधिक मिलता है। यदि बसन्तकालीन गन्ने को समय से एवं आधुनिक तकनीक के साथ बुआई की जाय तो अधिक उत्पादन के साथ – साथ लागत मूल्य कम कर शुद्ध लाभ अधिक कमाया जा सकता है। समय से बोआई किए गए बसन्तकालीन गन्ने के साथ सह फसल उत्पादन कर कृषक अपनी आय वृद्धि के साथ गन्ना फसल कटाई के पूर्व परिवार के जीवन यापन के लिए अन्तरिम आय प्राप्ति के साथ रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। गन्ने के साथ सहफसल लेने से गन्ने में शुरूआती समय में उगने वाले खरपतवारों के जमाव में कमी आती हैं एवं गन्ना फसल लागत मूल्य का खर्चा सह फसल उत्पादन से मिल जाता है। इस प्रकार कृषक भाई अपने लागत मूल्य निकालकर शुद्ध लाभ अधिक कमा सकते हैं।

बसन्तकालीन गन्ने की उत्पादन तकनीकीः

समय बुआई किए गए बसन्तकालीन गन्ने की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए निम्नवत् बातों को ध्यान में रख कर उगाए।

1.गन्ना प्रजातियों का चयन :– पेडी गन्ने से अधिक उत्पादन लेने हेतु पौधे गन्ने को बुवाई से अधिक अच्छी पेडी उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का चयन करना चाहिये।

अ.शीघ्र पकने वाली प्रजातियॉः

को0से0 12035, को0 87263, को0 89029, को0लख0 94184, को0 0232, को0से0 01421, को0लख0 12207 एवं अन्य स्वीकृति प्रजातियों के बीज का उपयोग कर सकते है।

को0शा0 88230, को0शा0 96268, को0शा0 8436, को0शा0 95255, को0से0 85, को0से0 83, को0से0 98231

ब.**मध्य देर (सामान्य/से पकने वाली प्रजातियॉ)**ः

को0स0 96436, को0से0 08452 को0लख0 12209 अन्य स्वीकृति प्रजातियों के बीज का उपयोग कर सकते है।

को0शा0 767, को0शा0 8432, को0शा0 96275, को0शा0 97261, को0शा0 96269, को0शा0 99259, को0शा0 9542 एवं यू0पी0 0097

नोट :– अनुपयुक्त प्रजातियों का बिल्कुल चुनाव नहीं करना चाहिए अन्यथा गन्ने की आपूर्ति पर्ची समय से काफी बाद मे मिलेगी, जिसके कारण खेत समय से नहीं कट पायेगा एवं पेड़ी की फसल का उत्पादन भी प्रभवित होगा।

2. बीज का चुनावः

1. 8–10 माह उम्र का होना चाहिए।
2. रोग व कीट मुक्त बीज चयन करें।
3. जमींन पर गिरे हुए गन्ने को बीज में कदापि प्रयोग न करें।
4. बीज हमेशा स्वीकृति प्रजातियों की चयन करें।
5. गन्ने का बीज जल भराव वाले स्थान का प्रयोग न करें।

3. उर्वरक प्रबन्धनः– गन्ने की फसल में खाद्य एवं उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए 150 किग्रा नत्रजन 60 किग्रा फास्फोरस तथा 40 किग्रा पोटाश की आवश्यकता होती है। नत्रजन का प्रयोग कुडों में बुवाई के समय व भुरकाव के पहली मानसून के प्रारम्भ में करें। फास्फोरस व पोटाश कुंडों में बुवाई के समय प्रयोग करें। उर्वरक उपयोग क्षमता उत्पादन की गुणवत्ता व उत्पादन बढ़ाने हेतु एजोटो वैक्टर 5–8 किग्रा प्रति हे. तथा पी.एस.बी. 10–12 किग्रा प्रति हे. की दर से गन्ना बुवाई से पूर्व खेत तैयार करते समय

के.वी.के., नानपारा, बहराइच, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

धान की उत्तम पैदावार के लिये लगायें

संकर धान **वैदेही-99**
(110–115 दिन)

संकर धान **साहू-2612**
(130–135 दिन)

मक्का की उत्तम पैदावार के लिये लगायें

संकर मक्का
राखी-1899
(140–150 दिन)

संकर मक्का
शहंशाह
गर्मी स्पेशल
(95–100 दिन)

संकर मक्का
कौशल-3339
(140–150 दिन)

सरसों की उत्तम पैदावार के लिये लगायें

संसोधित सरसों
राधा
(115–120 दिन)

संकर सरसों
टीना
(115–120 दिन)

कॉर्नटेक सीड्स प्रा.लि., हैदराबाद

ECOGOLD

(HUMIC ACID + FULVIK ACID +SEAWEED EXTRACT)

COMPOSITION :

Humic Acid	30.00 % w/w min.
Alginic acid	0.8 0 % w/w min.
Preservatives & Demineralized Aqua	Q.S. % w/w
Total	100 %

RECOMMENDATION :

RECOMONDED CROPS	Dosage/ ha.	Dilution in water (ltr)	Waiting Period Between Last spray to harvest (in days)
All Agricultural Crops	250gm to 300gm	400ltr to 500ltr	1st spray 25 to 30 days after planting, 2nd spray 45 to 50 days after planting & 3rd spray 65 to 70 days after planting

DIRECTION OF USE :

1. Use stick or rod for stirring diluted solution. Do not eat foods, chew tobacco, drink or smoke while spraying for making solutions. 2.Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and powersprayer.

TIME OF APPLICATION

The product should be sprayed immediately on the crops a s per recommendation, mix the bio stimulant and water at right dosage and spray. Spray by using high volume sprayer viz. knapsack sprayer. Use 500 liters water per hectare. Before spraying it should be mixed well with water.

The products is recommended to increase the yield of All Agriculture Crops. Promoter Flowering and reduces flower drop. Improves fruit quality. Increases plant resistance to extreme temperatures high humidity, frost, pest attack, floods and drought. Increases crop yield significantly

OUR CLIENT

CAPRI

ICAR

Agricsearch with a human touch

MORESON™

Securing Future Generation

Sr.No.83/9/1, Shastri Nagar, Navekata Colony, Kothrud, Pune - 411038.

Ph.: 020 68888830|9595562266 | Email :info@moreson.in

www.moreson.in

गोण्डा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

अयोध्या रोड, गोण्डा

"रहना है स्वस्थ तो पीजिए ताजा और स्वच्छ पराग दूध"

"पराग है सेहत की धारा"

गोण्डा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. गोण्डा
आपका हार्दिक स्वागत करता है।

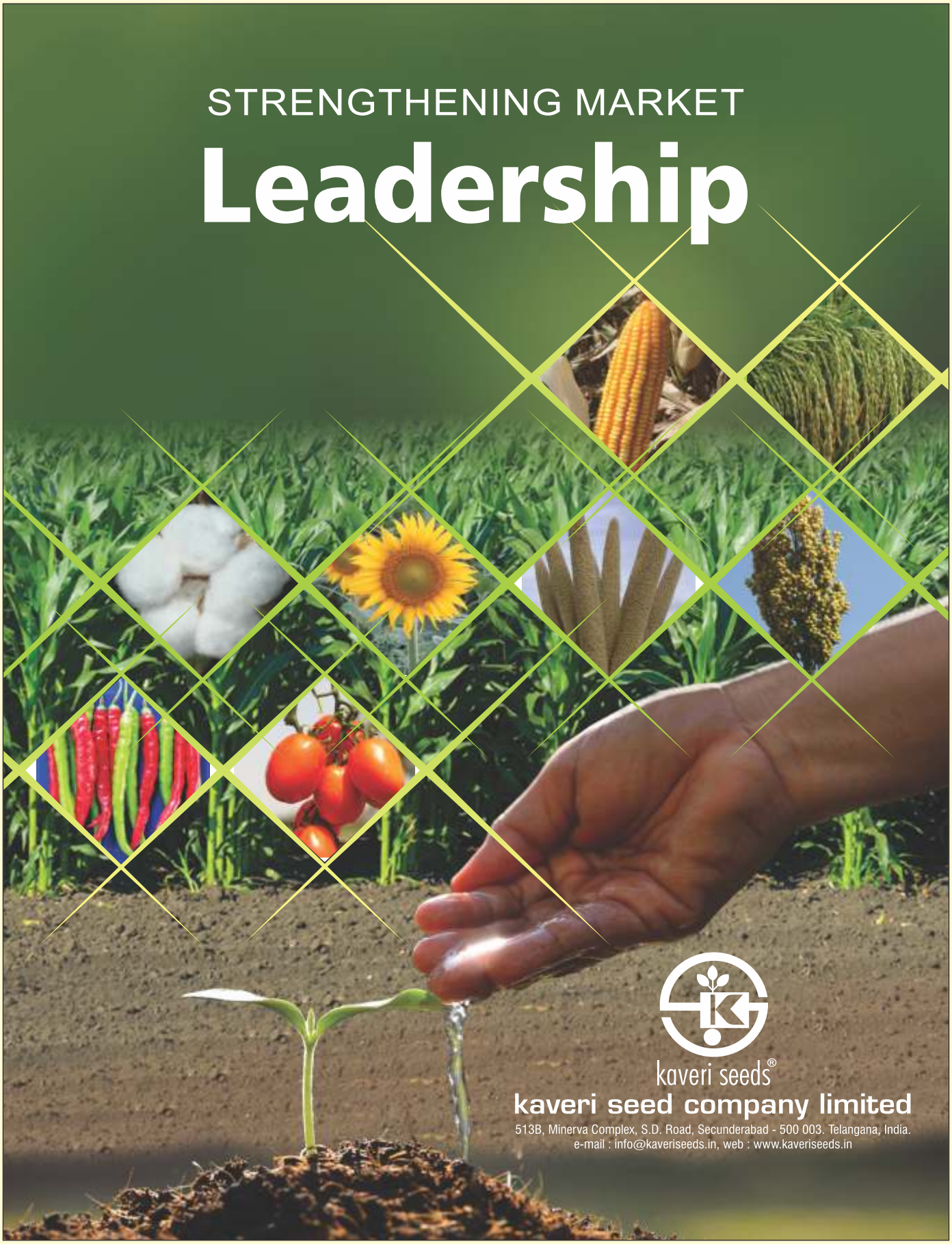

STRENGTHENING MARKET
Leadership
kaveri seeds®
kaveri seed company limited
513B, Minerva Complex, S.D. Road, Secunderabad - 500 003. Telangana, India.
e-mail : info@kaveriseeds.in, web : www.kaveriseeds.in

BURLYVETS®

OUR PRODUCT RANGE SPECIALLY DESIGN FOR DAIRY ANIMAL & CATTLE FEED INDUSTRIES

- RUMEN BUFFER
- CLOSEUP DRY PREMIX
- ORGANIC TOXIN BINDERS
- ORGANIC TRACE MINERALS
- MULTI SOURCE CALCIUM PREMIX
- ANTI-HEAT STRESS PRODUCTS
- EFFECTIVE MASTITIS CARE (UDDERMIN)
- REPRODUCTION & MILK BOOSTER FORMULATION
- FEED FLAVOURS & SWEETNERS (BANANA, CHOCOLATE, MOLASSES)
- RUMEN PROTECTED INGREDIENTS (Lysine, Niacin, Methonine, Choline)

Our Modern Manufacturing Units

- Moga (Punjab)
- Panchkula (Haryana)
- Kushinagar (U.P.)

RIGHT COMBINATION OF CHEMISTRY & NUTRITIONAL SCIENCE

Burlyvets® Nutritional Technologies

Our Technical Expert

Dr. Parsu Ram Singh
Ph.D., Animal Nutrition
Mob. 92161-04162

Manufacturer and supplier of cattle feed supplements & additives

Burlyvets Nutritional Technologies Pvt. Ltd.
(An Animal Nutrition, ISO 9001 & HACCP Certified Co.)
Mehime Wala Road, Bughipura, Moga (Pb.)
Mob. 99882-17181, 70879-76182

find us on facebook
follow us on twitter
e-mail: burlyvets.india@gmail.com
www.burlyvets.com

GSTIN No. 09CEIPM5166D2ZB **Mob- 9936533491, 7275533491**
Seed Lic. 536/53524
Pestiside Lic. BLP, 120

एग्री जंक्शन (वन स्टाप शॉप)

समस्त प्रकार के खाद, बीज एवं कीटनाशक के थोक व फुटकर विकेता

अभिमन्यु मौर्य

क– खाद एवं उर्वरक
1. इफको द्वारा निर्मित सभी खाद एवं उर्वरक
2. यारा कम्पनी द्वारा निर्मित सभी खाद एवं उर्वरक

ख– बीज
1. पाइनियर सीड
2. क्रिस्टल प्रो एग्रो
3. यू.पी. एल. एडवान्टा
4. श्री सीड्स
5. नामधारी
6. डेल्टा सीड
7. श्री राम बायोसीड

ग– पौध सुरक्षा रसायन
1. क्रिस्टल
2. ट्रापिकल
3. बायर
4. एफ.एम.सीनोट–

हमारे यहां सभी प्रकार के बीज, कीटनाशी, फफूदनाशी इत्यादि की आपूर्ति बिल के आधार पर की जाती है।

पता– अनिल मौर्या बीज भण्डार बढ़नी रोड, पचपेड़वा–बलरामपुर

कम	सह–फसल	लइनों की संख्या	अनुमानित शुद्ध लाभ (रू)/हे0	सह–फसल की बुवाई की विधि
1.	उर्द	1–2	12000	देशी हल या सीडड्रिल की सहायता बुवाई करें।
2.	मूंग	2–3	18000	देशी हल या सीडड्रिल की सहायता बुवाई करें।
3.	कद्दू वर्गीय सब्जियां		1–2	45000पूर्व में थैली में उगे पौध या अंकुरित बीजों को गन्ने की लाइनों के मध्य खुर्पी की सहायता से लगा दें।
4.	तरबूज	1–2	50000	पूर्व में थैली में उगे पौध या अंकुरित बीजों को गन्ने की लाइनों के मध्य खुर्पी की सहायता से लगा दें।
5.	खरबूज	1–2	50000	पूर्व में थैली में उगे पौध या अंकुरित बीजों को गन्ने की लाइनों के मध्य खुर्पी की सहायता से लगा दें।
6.	प्याज	3–4	35000	प्याज की पौध को पौंधे से पौंधे 4–5 इंच व लाइन से लाइन की दूरी 6–7 इंच रोपाई करें।
7.	गोभी वर्गीय	2–3	38000	गर्मी में उगाई जाने वाली प्रजातियों वाली गोभीय वर्गीय पौध को पौध को पौंधे से पौंधे 6–7 इंच व लाइन से लाइन की दूरी 10–12 इंच रोपाई कर, पानी का चौगा लगा दें।
8.	धनियॉ	2–3	30000	4–6 इन्च की दूरी पर लाइन खींचकर, बुवाई करें। इसकी बिक्री पत्ती के रूप मे करे।
9.	मक्का	1	35000	मक्का के बीज को गन्ने की दो लाइनों के मध्य हल अथवा खुर्पी की सहायता से बुआई कर दें एवं मक्का को भुट्टों के रूप में तुड़ाई कर बिक्री करें।
10.	मेंथा	2	45000	तैयार जड़ों अथवा पौध को लाइन मे बुआई/रोपाई कर दें।
11.	गेंदा	1	40000	तैयार पौध को गन्नक की दो लाइनों के मध्य एक लाइन रोपाई कर दें।
12.	ग्लेडयूलस	2	50000	गन्ने की इो लाइनो के मध्य दो लाइन ग्लेडयूलस के बल्व को खुर्पी की सहायता से लगा दें।

2–3 कु कम्पोस्ट खाद्य के साथ मिलाकर प्रयोग करें।

4. बीज की कटाईः

1.अधिक जमाव एवं बीज की कम मात्रा प्रयोग हेतु एक–एक ऑख के टुकड़ों का प्रयोग करें।

2. सामन्यतः बीज की कटाई समय गन्ने के टुकड़ो 2–3 ऑखों के ही बीज के टुकड़े काटे।

3. गन्ना बीज के नीचे का 1/3 भाग अथवा जिनकी प्रोपरूट निकले हुए भाग को बीज के रूप में न प्रयोग करें।

4. गन्ना बीज को लकड़ी के टुकड़ो पर काटें तथा ध्यान दें कि काटते समय ऑख लकड़ी क टुकड़े पर न हो।

5. कटाई के दौरान रोग ग्रसित बीज के टुकड़ो को अलग करते रहें।

5. बीज उपचारः

बीज जनित बीमारी जैसे– लाल सड़न रोग, उकठा रोग एवं कीटों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु बीज उपचार आवश्य करें।

फफूँदनाशी–कार्बेन्डाजिम –500 ग्राम प्रति हेक्टेअर

कीटनाशी–इमिडाक्लोप्रिड –250 मिली प्रति हेक्टेअर

जमाव वर्धक–यूरियाया–2.5 किग्रा प्रति हेक्टेअर

जायमेक्स–250 मिली प्रति हेक्टेअर

उपरोक्त दवाओं को चौड़े मुँह वाले 3 से 4 वर्तनों (आधा कटा हुआ ड्रमों), जिनमें लगभग 500 लीटर पानी आ जाए, उनमें घोलकर कटे हुए टुकड़ों को लगभग 3–5 मिनट तक डुबों देने के उपरान्त छासादार स्थान में सुखा लें।

6. बुवाई का समयः

अच्छा उत्पादन लेने हेतु समय से बसन्तकालीन गन्ने की बुवाई 15 फरवरी से 25 मार्च के मध्य कर देनी चाहिए।

7. बुवाई की विधिः

2.गन्ने की बुवाई समान्य रेजर की सहाता से 2.5 फुट या 3.0 फुट की दूरी पर कूड़ निकालकर करें। घ्यान रखें कि गन्ना ढ़काई के समय अधिक मिट्टी न डालें व जमीन पर पाटा से शक्त न करें।

3.गन्ने के ट्रेंच ओपनर की सहायता से नालियॉ खोलकर, 2ग4ग2 फुट की दूरी पर कूड़ निकालकर बुवाई करें।

8. रिक्त स्थान की भराई :

बसन्तकालीन गन्ने के जमाव होने के लिये आवश्यक है, कि खेत में गन्ने की प्रत्येक लाइनों को बारीकी से निरीक्षण करें यदि 45 से 60 सेमी. के बीच जमाव/कल्ले न हों तो उन रिक्त स्थानों को निम्नवत् किसी एक तरीकें के अनुसार रिक्त स्थान को भर दें।

अ) एक–2 आंखों की यदि आपने पोलीथीन में पौधे

उगा रखें हो तो खाली स्थानों (लाइनों) में पोलीथीन वाले पौधों को रोपाई कर दें तद्पश्चात पानी अवश्य लगा दें।

ब) खेत की एक या दो लाइनों के जमें हुए टुकड़ों को फावडे की सहायता से उखाड़ लें। इन टुकड़ों को एक–2 करके रिक्त स्थान वाली लाइनों में पानी लगने के पश्चात् रोपाई करते जायें।

स) यदि उपरोक्त के अनुसार तैयारी न हो तो उस के लिये गन्ने को एक एक अथवा 2–2 आंख के टुकडों में काट लें। खाली स्थानों (लाइनों) को फावड़ा या कुदाल या कस्सी की सहायता से गुड़ाई करके एक गहरी सी नाली बना लें। इस नाली में अनुपातनुसार खाद मिश्रण को डालें तत्पश्चात् गन्ने के उपचारित टुकड़ों की बुवाईं करके मिट्टी गिरा दें। ध्यान रहें कि यह क्रिया करते समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है।

9. सिंचाई व जल प्रबन्धन :

गन्ने की अच्छी बढवार एवं पैदावार के लिये है सही समय पर सिंचाई करना।

प्रथम सिंचाई – बसन्तकालीन गन्ने की बुवाई के उपरान्त लगभग 35–40 दिन पर पहली सिंचाई करते हैं।

द्वितीय सिंचाई – पहली सिंचाई के लगभग 12–15 दिन बाद गुडाई से 8–10 दिन बाद सिंचाई कर दें।

तृतीय सिंचाई –द्वितीय सिचाई के लगभग 15 से 20 दिन पर करें।

अन्य सिंचाई –अप्रेल से जून के मध्य 12–15 दिन पर आवश्यकता अनुसार सिंचाइयॉ करते रहे। जब तक मानसून बरसात लगभग 15–20 दिन के अन्तराल न हो उस समय एक सिंचाई कर दें।

यदि मानसून की बरसात अधिक हो तो, उस समय विशेश ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि खेत में बरसात का पानी भरा (खड़ा) न रहे। इसके लिये खेत में से उचित जल निकास की व्यवस्था रखें अन्यथा फसल की बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप पैदावार भी कम हो जाती है।

मानसून की बरसात खत्म होने के बाद मिल आपूर्ति (सप्लाई) के मध्य आवश्यकतानुसार 20–25 दिन पर एक हल्की सी सिंचाई करते रहें।

10. समय से बसन्तकालीन गन्ने में सह–फसली खेतीः

समय से बसन्तकालीन गन्ना के जमाव के उपरान्त इसकी शुरूआाती अवस्था में वृद्धि धीमी गति से एवं कल्लो का फुटाव कम होता है व लाइन से लाइन के मध्य अधिक दूरी होने के कारण खाली स्थान में कम समय में तैयार होने वाली फसल की खेती सह–फसल के रूप में की जा सकती है। सह–फसल की बुवाई गन्ने की बुवाई के उपरान्त कतारों में करें साथ में ध्यान रखें कि गन्ने की लाइन से दोनो तरफ कम से कम 6 इंच दूरी अवश्य हो व सह–फसल की खाद व उर्वरक उसकी आवयश्यकतानुसार प्रयोग करें। समय से बुआई किए गए बसन्तकालीन गन्ने में निम्न फसलों को गन्ने की दो लाइनों दूरी के मध्य लें –

नोटः

1.गन्ने में सह–फसल को कभी भी छिटकवां विधि से बुवाई न करें।

2.देर से पकने वाली फसलों को नहीं लेना चाहिए, साथ में यह भी ध्यान दे कि सह–फसल की वृद्धिकाल गन्ने की वृद्धिकाल से भिन्न हो।

11. मिट्टी चढ़ाना एवं बधाई :

गन्ने के किल्लों के विकास हेतु जून व जुलाई माह (बरसात शुरू होने से पूर्व) फावड़ा या रेजर की सहायता से मिट्टी चढ़ा देनां चाहिये। सितम्बर माह मे तेज हवाओं से गन्ने को गिरने से रोकने के लिये गन्ने के अमोलों से टेड या दो फुट पर पीली पत्तियों की सहायता दो लाइनों मूड़ों को आपस में ग (एक्स) के अनुसार बंधाई करतें हैं। जिससे गन्ने के पौधे गिरने से बचतें हैं साथ ही साथ चूहों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

12. पौधे गन्ने की कटाई

पौधे गन्ने को काटते समय तेजधार दार हथियार (फसलकटी) का प्रयोग करें। गन्ने के पौधों को जमीन की सतह के समीप से काटना चाहिये। पौधो को हमेशा जमीन के समानान्तर ही कटना चाहिये। ऐसा करने से गन्ने के अधिक कल्ले फूटतें हैं।

13. पत्तियों का बिछाना :

गन्ने की कटाई के उपरान्त पौधों की पत्तियों को उतार लेना चाहिये एवं इन पत्तियों को पूरे खेत में समान रूप से बिछा दें। पत्तियों को बिछाने के उपरान्त खेत में पानी लगायें तथा उसमें 25–35 किग्रा0 यूरिया प्रति एकड बिखेर दें। इसके उपर वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कर दें, जिससे पत्तियां जल्द सड़ गल जायेंगीं।

रजि. सं. 8 बुक सं. 4 फरवरी 11, 2022
प्रोफेसर रवि सुमन कृषि एवं ग्रामीण विकास (प्रसार्ड) ट्रस्ट
मुख्यालयः ग्राम- मल्हनी, पोस्ट- भाटपार रानी, देवरिया- 274702 (उ.प्र.)
शाखा (कैम्प) कार्यालय : 30 प्रथम तल पाम फ्लोर्स, सेक्टर- जे-2 सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ- 226030 (उ.प्र.)
प्रो. (डॉ.) रवि प्रकाश मौर्य
निदेशक
Mob.: 9453148303
8601505988
Email: prsardtrust@gmail.com, 1959rpm@gmail.com
प्रो. (डॉ.) सुमन प्रसाद मौर्य
अधिष्ठाता परास्नातक
मो. 7800740160
यह न्यास (ट्रस्ट) दिनांक 11 फरवरी 2022 को घोषित किया गया।
प्रमुख उद्देश्यः-

GST :-09AHWPR3623B3Z1
Prop. Mohd. Adil
न्यू
क्लासिक फर्नीचर
होम एण्ड ऑफिस फर्नीचर, इण्डियन एण्ड इम्पॉर्टेड फर्नीचर
इन्टीरियर डेकोरेटर
• सोफा • बेड • चेयर्स • टेबल • दीवान • अलमारी
खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, मोः 7985243644, 9935965644

जायदे में मक्का उत्पादन

सियाराम* एवं एस.के. वर्मा**

मक्का न केवल विविध परिस्थितियों में उगाई जाने वाली फसल है अपितु यह विविध उपयोगों जैसे–पापकार्न, कार्नफ्लैक्स, स्टार्च एवं एल्कोहल आदि के लिए भी प्रयोग किये जाने वाली फसल है। मक्का की खेती रबी, खरीफ एवं जायद तीनों ऋतुओं में सफलता पूर्वक की जा सकती है तथा खरीफ मौसम की अपेक्षा जायद में सुरक्षित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मक्के के साथ विभिन्न प्रकार की सहफसली खेती करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। यह फसल विश्व के लगभग 166 देशों में उगाई जाती है जो विश्व के सकल खाद्यान्न उत्पादन में एक चौथाई से ज्यादा का योगदान करती है।

भूमि का चयन एवं तैयारी

मक्का की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। मक्का की खेती के लिए बलुई मटियार से दोमट मृदा जिसमें वायु संचार तथा पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था हो तथा पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो (अर्थात न अम्लीय और न ही क्षारीय) सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खारे पानी वाली जमीन में मक्का की बुवाई मेड़ के ऊपर न करके साइड में करना उपयुक्त रहता है।

मक्का की खेती के लिए खेत की तैयारी जायद की अन्य फसलों की तरह ही की जाती है। इसके' लिए एक गहरी जुताई (15–20 सेमी) मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। ऐसे खेत जो रबी में खाली रहते है अथवा आलू, तोरिया कटाई से खाली हो उनमें एक जुताई डिस्क हैरो से तथा 2–3 जुताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी भुरभुरी कर लेना चाहिए।

इसके लिए किसान भाई एक जुताई रोटावेटर से करके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मिट्टी की नमी बनी रहे इसके लिए कम से कम समय में जुताई करके पाटा लगाना चाहिए।

बुवाई का समय एवं बीज दर

जायद मौसम में मक्के की बुवाई 15 फरवरी से 15 मार्च तक की जा सकती है। मकके के लिए प्रति एकड़ बीज की मात्रा एवं कतार से कतार तथा पौध से पौध की दूरी सारणी में दी गयी है। मकक्के के बीज को उचित गहराई (3.5–4.0 सेमी) पर बोना चाहिए, जिससे बीज मिट्टी से अच्छी तरह से ढक जाए,ताकि अंकुरण अच्छा हो सके।

बीज उपचार

बीज को बीज एवं मृदा जनित रोगों एवं कीट व्याधियों से बचाने के लिए उपचारित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए किसान भाई वाविस्टिन तथा कैप्टान (1:1 में मिलाकर) द्वारा 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित कर सकते है। ऐसे क्षेत्र जहां पर दीमक तथा प्ररोह मक्खी का प्रकोप हो, इमिडाक्लोरपिड या फिप्रोनिल (4 ग्राम प्रति किग्रा बीज) का उपयोग बीजोपचार हेतु किया जा सकता है।

बुवाई की विधि

बुवाई के दौरान यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पौधों की जड़ो को पर्याप्त नमी मिलती रहे और जलभराव की समस्या से बच सके। इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि बीजों को मेंड़ो पर बोया जाय। बीज को उचित दूरी पर लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्लांटर का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इससे बीज तथा खाद एक ही बार में उचित स्थान पर डालने में मदद मिलती हैं चारे के लिए बुवाई सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। मेड़ों पर बुवाई करते समय पीछे के ओर चलना चाहिए।

मेड़ पर मक्का बोने के लाभ

मेड़ पर बुवाई करने के निम्नलिखित लाभ है :–

*विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य विज्ञान), **वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, पचपेड़वा, बलरामपुर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

- उत्पादन लागत में कमी।
- बीज, खाद व पानी की मात्रा में कमी एवं बचत।
- फसल को पकने से पूर्व गिरने से बचाने के लिए और अधिक उत्पादन के लिए।
- इस विधि से मक्का उत्पादन करने पर न सिर्फ नालियों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है अपितु अधिक पानी (वर्षा ऋत में) की निकासी के लिए भी किया जा सकता है।
- छोटे पौधे में मशीन द्वारा निराई–गुड़ाई की जा सकती है।
- क्षारीय व लवणीय मृदाओं में अधिक पैदावार ली जा सकती है।
- अवांछित पौधों को निकालने में आसानी होती है।

मक्का की संस्तुत प्रजातियां

आजाद उत्तम, आजाद कमल, चन्द्रमणि, विवेक संकर मक्का–5, 17 व 24, प्रकाश, मल्लका, श्रेष्ठा, पूसा एवं सरताज तथा कम्पोजिट–4, एच0क्यू0पी0एम0–4 एवं 5, शक्ति–4, शक्तिमान 4, 3 एवं 4 इत्यादि प्रजातियों के शुद्ध एवं प्रमाणित बीज ही बोने चाहिए।

पोषण प्रबन्धन

मक्का की फसल से अधिकतम उपज के लिए बुवाई से पूर्व मृदा की जांच कराना अति आवश्यक है। भारत के अधिकतर क्षेत्र की मृदाओं में नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावो' कुछ सूक्ष्म "पोषक तत्वों की कमी देखी गई है। खेत की तैयारी करते समय खेत में 10–15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर समान रुप से मिला देनी चाहिए। मक्का के लिए 150–180 किग्रा नाइट्रोजन, 60–70 किग्रा फास्फोरस 60–70 किग्रा पोटाश तथा 25 किग्रा जिंक सल्फट प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाना चाहिए। फास्फोरस, पोटाश और जिंक की पूरी मात्रा व नाइट्रोजन की 10 प्रतिशत मात्रा आधार डोज के रुप में बुवाई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा चार भागों में 20 प्रतिशत पत्तियां आने पर 30 प्रतिशत आठ पत्तियां आने के समय 30 प्रतिशत फूल आने के समय व शेष 40 प्रतिशत मात्रा दाना भराव के समय प्रयाग करना चाहिए।

जल प्रबन्धन

जायद मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है। पहली सिंचाई में ध्यान रखना चाहिए कि पानी का स्तर बहुत अधिक न हो क्योंकि इससे छोटे पौधों की बढ़वार रुक जाती है सिंचाई की दृष्टि से नई पौध, घुटनों की उँचाई, फूल आने तथा दाना भराव की अवस्थाएं सबसे संवेदनशील होती है और इन अवस्थाओं में आवश्यकतानुसार सिंचाई करना चाहिए। कुल चार या पॉच सिंचाईयों की आवश्यकता पड़ती है।

निराई–गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण

जायद मौसम में खरीफ की अपेक्षा खरपतवारों की अधिक समस्या नहीं होती है फिर भी बथुआ, मोथा एवं अन्य खरपतवार अधिक पाये जाते है। फसल की निराई–गुड़ाई खुरपी द्वारा करने से काफी हद तक खरपतवार निकल जाते है और मृदा में वायु संचार भी अच्छा रहता है परन्तु कई बार समय के अभाव के कारण निराई–गुड़ाई संभव नहीं हो पाती है। ऐसी दशा में शाकनाशियों का प्रयोग करना पड़ता है। शाकनाशी रसायनीं में एट्राजीन या टेउफाजीन (50 प्रतिशत डब्लू0पी0) के प्रयोग से एकवर्षीय घास तथा चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। एट्राजीन की लगभग 1.0 से 1.5 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर मात्रा की आवश्यकता होती है जिसको 600 ली0 पानी में घोलकर बुवाई के तुरन्त बाद (खरपतवार निकलने से पूर्व) छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने वाले व्यक्ति को छिड़काव करते समय पीछे की ओर बढ़ना चाहिए ताकि मृदा पर एट्राजीन की परत ज्यों की त्यों बनी रहे।

कीट प्रबन्धन

तना भेदक : यह मक्के का प्रमुख कीट है जो कि पूरे देश में फसल को नुकसान पहुँचाता है। तना भेदक पत्तियों पर अण्डे देते है। इनकी सूंडी गोभ में घुसकर पौधे कोड नष्ट कर देती है। यदि तना भेदक का प्रकोप

एक परिचय

सीटेड के संस्थापक निदेशक इंजी. संजय सिंह हैं जो पेशे से इंजीनियर एवं ग्रामीण विकास प्रबंधन में परास्नातक हैं। इंजी0संजय सिंह पिछले दो दशक से राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर कौशल एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इनकी कौशल्य एवं उद्यमीय क्षमता को देखते हुए इन्दिरा गांधी ओपेन विश्वविद्यालय ने इनको राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम समिति का सदस्य तथा ग्रामीण एवं उद्यमिता विकास में परास्नातक डिप्लोमा के कोर्स में राष्ट्रीय स्तर पर पांच सफल उद्यमियों में एक के रूप में पूरा जीवन–परिचय स्थायी रूप से छापा हैं।

सेन्टर आफ टेक्नोलाजी एण्ड इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट(सीटेड) औद्योगिक क्षेत्र, जगदीशपुर, अमेठी

सेन्टर आफ टेक्नोलाजी एण्ड इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट (सीटेड) 1997 में स्थापित एक स्वायत्तषासी संस्थान हैं जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 1860 मे पंजीक्रत एक आई0एस0ओ0 9001:2008 प्रमाणित संस्थान हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्था को उ0प्र0 के लिए राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति का सदस्य के रूप में चयनित किया हैं। संस्था राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम, ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला कल्याण एवं बाल विकास, उद्योग मंत्रालय, कौशल्य एवं उद्यमिता विकास, कृषि, कपड़ा मंत्रालय इत्यादि के साथ सूची बद्ध होकर पूरे देश में इनकी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। इसके साथ संस्था, NABARD, NBCFDC, NSKFDC, NPCIL, BRGF, MANAGE, SUDA, UPSACSs, SFAC, NSDC, UPSDM, BSDM, KYP, RSLDC, UGVS, UKSDM, DDUGKY, PMKVY, HAL, KVIC, KVIB, DIC, LABOUR DEPTT इत्यादि के साथ सूची बद्ध होकर भी कार्य कर रही। संस्था ने अभी तक करीब 50,000 बेरोजगार युवाओं में कौशल एवं लगभग 20,000 को उद्यमिता विकास में प्रशिक्षित किया हैं। कुछ विवरण निम्नवत हैं:–

1. **कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– संस्था ने अभी तक 10 राज्यों में विभिन्न योजनान्तर्गत 59 कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया हैं, जिसमें नियमित रूप से आवासीय/गैर आवासीय नि:शुल्क प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया हैं और लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया हैं।
2. **फार्मर प्रोडयूसर आर्गनाइजेशन** :– नाबार्ड, एसएफएसी, एनसीडीसी एवं आई.टी.सी. के साथ मिलकर 122 फार्मर प्रोडयूसर आर्गनाइजेशन (एफपीओ) का संचालन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 60,500 लघु एवं सीमान्त किसान लाभान्वित हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के फसल जैसे, सब्जियो का उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, काला चावल, धान गेहूं,, ऑवला, मिलेट्स आदि का कार्य किया जा रहा है।
3. **जलजीवन मिशन** :– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित जल जीवन मिशन हर घर जल के अन्तर्गत संस्थान को जनपद अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली के ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल आपूर्ति कराना है, जिसमें 9,00,000 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।
4. **लेदर गुड्स एण्ड एसोसिएटेड फैशन एसेसरीज क्लस्टर** :– स्फूर्ति योजनान्तर्गत संस्था द्वारा चर्म कारीगरों हेतु कामन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना जगदीशपुर मुख्यालय में की गयी हैं जिसमें जनपद के 800 कारीगरों को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
5. **ऑवला अमृत फूट प्रोसेसिंग क्लस्टर प्रतापगढ़**:– स्फूर्ति योजनान्तर्गत संस्था द्वारा ऑवला उत्पादन एवं उत्पाद निर्माण हेतु कामन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना प्रतापगढ़ में की गयी हैं, इसके माध्यम से 700 आवला किसानों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा हैं ये किसान रोजगार के साथ–साथ अपने घरो से भी ऑवला प्रसंस्करण का कार्य कर रहे हैं।
6. **टेक्निकल एजेन्सी (स्फूर्ति योजना)** :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्फूर्ति योजनान्तर्गत क्लस्टर्स को बढ़ावा देने हेतु एवं तकनीकी परामर्श हेतु सीटेड को भारत सरकार ने टेक्निकल एजेन्सी बनाया गया हैं और सीटेड के द्वारा देश की 9 संस्थाओं को विभिन्न क्लस्टर्स को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। ये संस्थाएं एम्ब्रायडरी वर्क, थिकेन वर्क, वुड वर्क, जूट हैण्डीक्राफ्ट, मूंज हैण्डीक्राफ्ट,शहद निर्माण, वुडेन ट्वयाज आदि पर कार्य कर रही हैं।
7. **कृषि मंत्रालय के सहयोग से एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस प्रशिक्षण केन्द्र**:– नेशनल इंस्टीटयूट आफ एग्रीकल्चर एण्ड एक्सटेशन मैनेजमेन्ट (मैनेज) हैदराबाद द्वारा सीटेड का चयन नोडल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट के रूप में किया गया हैं। इसमें युवाओं कों 45 दिन का नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता हैं। इस योजना में अभी तक 500 युवा प्रशिक्षित होगर —कृषि/एग्रो से संबधित क्षेत्र में अपना स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं,
8. **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– उ.प्र. के विभिन्न जिलों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से युवाओ हेतु चार/छः साप्ताहिक नि:शुल्क उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं, जिसमें लगभग 18,000 युवक एवं 12,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया हैं और लगभग 12,000 से अधिक लोग अपनी सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों की स्थापना कर स्वरोजगार का कार्य कर रही हैं।
9. **वाटर कन्जर्वेशन एण्ड सेनीटेशन कार्यक्रम** :– उ.प्र. के विभिन्न विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु एनसीएसटीसी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय नि:शुल्क वाटर कन्जर्वेशन एण्ड सेनीटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा हैं। जिसमें 56 विद्यालयों के 3000 विद्यार्थी एवं अध्यापक लाभान्वित हो रहे है।
10. **साइन्स एवेरनस फेयर एण्ड एक्जीविशन** :– उ.प्र. के विभिन्न विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु एनसीएसटीसी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय नि:शुल्क साइन्स एवेरनस फेयर एण्ड एक्जीविशन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं। इस योजना में 32 विद्यालयों के 1600 विद्यार्थी एवं अध्यापक लाभान्वित हो रहे हैं।
11. **इन्नोवेशन–साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजैक्ट'** – इस परियोजना में खाद्य प्रसंस्करण, लेदर फुटवियर और मेटल हैण्डीक्राफ्ट में लगभग नई – नई तकनीकों के माध्यम से सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित कराया गया है।

संपर्क करें :–

सेन्टर आफ टेक्नोलाजी एण्ड इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट

रोड नं0–4, इन्डसट्रियल एरिया, जगदीशपुर अमेठी,

वेबसाइट:– www.ctedindia.org, ई–मेल : sanjaisted@yahoo.com

ctedinfo@gmail.com

फोन : 05361–270320 मो0 : 9415046619

मक्का (विभिन्न प्रकार)	बीज की मात्रा (कि.ग्रा.) प्रति हे.	लाईन से लाईन की दूरी (से.मी.)	पौध से पौध की दूरी (से.मी.)
सामान्य मक्का	8–10	60–75	20–25
क्यू.पी.एम.	8	60–75	20–22
बेबीकॉर्न	10–12	60	15–20
स्वीटकॉर्न	4–5	60	20
पापकार्न	2.5–3.0	75	25–30
चारे हेतु	25–30	30	10

अधिक हो तो इसकी रोकथाम के लिए पौध जमने के 40–2 दिन के पश्चात गोभ में उचित जगह पर कर्बोफ्यूगन 3 जी डालना चाहिए या प्रति हेक्टेयर 8 ट्राइकोकार्ड (ट्राइकोग्रामा चिलोनिस) रिलीज करने से भी इनकी प्रभावी रोकथाम की जा सकती है।

पिंक बोररः इस कीट का आक्रमण भारत में विशेष रुप से सर्दियों के मौसम के दौरान होता है। यह एक रात्रिचर कीट है जो के 0 2 दिन बाद मोम जे उचित जगह। का बा पत्तियों की निचली सतह से घुसकर तने को नष्ट कर देती है। पौध जमने करने से रौकथोम की जा सकती है. ह पर कार्बोफ्यूरान 3 जी डालकर या 8 ट्राइकोकार्ड (ट्राइकोग्रामा चिलोनिस) रिलीज करने से रोकथाम की जा सकती है।

दीमकः दीमक तने के साथ सुरंग बनाकर पौधों को नष्ट कर देती है। दीमक से प्रभावित पौध हाथ से खींचने पर आसानी से नजर आती है। ईमक प्रभावित्र क्षेत्रों में क्लोरोपाइगीफास से उपचारित बीजों को बोना चाहिए। पहली फसल खेतों में नहीं उचित जगह पर डालने चाहिए। के अवशेष खेतों में नहीं रहने देना चाहिए। हल्का पानी लगाने के उपरान्त फिप्रोनिल के दाने उचित जगह पर डाल देना चाहिए।

रोग प्रबन्धक

बैन्डेड लीफ एवं शीध ब्लाइट : इस रोग में पत्तों व शीध पर चौड़ाई की दिशा में भूरे रंग की गहरी पद्टियां दिखाई देती है। उग्र अवस्थामें भट्टे भी क्षतिग्रस्त हो जाते है। भूमि को छूने वाली 2–3 रोगी पत्तियों को तोड़ देने एवं 30–40 दिन की फसल पर ॥0 ग्राम राइजोलेक्स 50 डब्लू0पी0 प्रति 40 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से रोकथाम की जा सकती है।

टरसिकम लीफ ब्लाइट : इस रोग में पौधों की निचली पत्तियों पर लम्बे चपटे स्लेटी या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते है इस रोग की रोकथाम के लिए 8–0 दिन के अतंराल पर एक लीटर पानी में 2.5 से 4.0 ग्राम मैनेब/जिनेब मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अति प्रकोपित क्षेत्रों में रोग प्रतिरोधी किसमें जैसे– पूसा अली हाईब्रिड–5, एम0सी0एच0–417 उगानी चाहिए।

मेडिस लीफ ब्लाइट : शुरुआत में पत्तियों की शिराओं के बीच में पीले भूरे अण्डाकर धब्बे बन जाते है जो बाद में लम्बे होकर चौड़े हो जाते है। पत्तियां जली हुई दिखाई देती है। रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2.5 से 4.0 ग्राम डाइथेन एम–45,/ जिनेब एक लीटर पानी में मिलाकर 8–0 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करने से रोग की रोकथाम की जा सकती है।

रोग प्रतिरोधी प्रजातियां : प्रो0–324, आई0सी0 सी0–704, बायो–9636, पूसा अर्ली हाईब्रिड– 5 आदि।

कटाई एवं उपज : भुट्टे को ढकने वाली पत्तियों का पीला पड़ना (दानों में 20–25 प्रतिशत नमी) फसल पकने का द्योतक है। इस अवस्था पर मक्का की कटाई करनी चाहिए। भुट्टों की शेलिंग दानों में 43–44 प्रतिशत नमी पर करना चाहिए। उचित भण्डारण के लिए दोनों का सुखाकर नमी को 8–70 प्रतिशत सुनिश्चित कर लेना चाहिए और इन्हें वायु प्रावाहित जूट के थैलों में रखना चाहिए। उपरोक्त कृषि क्रियाये अपना कर प्रति हेक्टेयर संकर मक्का से 55–60 कुन्तल तथा सकुल मक्का से 35–40 कुन्तल दाना का उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डठल से 250 कुन्तल हरा चारा भी प्राप्त होता है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद–गोरखपुर उत्तर प्रदो

उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में कृाकों का पंजीकरण ''ऑनलाइन रजिस्ट्रेान '' dbt.uphorticulture.in पर पहले आओं पहले पाओं अनुदान का भुगतान पी0एफ0एन0एस0 सिस्टम से डी0बी0टी से कृाकों के आधार सीडेड खाते में डी0बी0टी /काइन्ड डी0बी0टी से लागू है। योजनावार विवरण निम्नवत् है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेान हेतु आव यक प्रपत्र व्यक्तिगण खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रथम पृठ की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड व खाता संख्या स्पट हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेान के बाद आवेदन पत्र, ापथ पत्र, दो फोटोग्राफ व ऑनलाइन रजिस्ट्रेान में प्रयुक्त प्रपत्रों खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में उपलब्ध करा दें।

एकीकृत बागवानी विकास मिान :– योजना के तहत नवीन उद्यान रोपण में केला, पपीता, आम, अमरूद, लाइम एण्ड लेमन्स, बेल फ्रूट, जैक फ्रूट, अंजीर संकर ाकभाजी कार्यक्रमों में कृाकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट बेस कार्यक्रम के तहतः– पॉली हाउस ेडनेट हाउस मा रूम प्रोडक्न यूनिट कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट स्पान मेकिंग यूनिट प्याज भण्डार गृह पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज कोडरूम (स्टेगिंग) प्री कूलिंग यूनिट रीफखैन राइपिंग चैम्बर लोकास्ट प्रसंस्करण इकाई प्राइमरी मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर जिस इकाई पर दिाा–निर्दो में जो लागू है अनुदान देय है। कार्यक्रम में व्यय कृाक को स्वयं करना होगा तथा ाासन द्वारा निर्धारित कमेटी के सत्यापनोपरान्त अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते या लोन खाते में ऑनलाइन हस्तानान्तरित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कृाि सिचांई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरीगेान :–

योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई मिनी स्प्रिंकरलर माइक्रो स्पिंकलर रेनगन स्प्रिंकलर कृाक अपनी इच्छानुसार उ0प्र0 सराकार द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड कम्पनी/फार्म से अपना संयंत्र स्थापित करा सकता है। जियोटैग सत्यापनोरान्त की संतुटि प्रमाण पत्र उपरान्त अनुदान का भुगतान डीबीटी से कृाक के आधार बैंक खाते में पीएफएमएस सिस्टम से किया जाता है।

प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफमई):–

योजना के तहत जनपद में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण यथा बेकरी उद्योग दाल मिल राइस दुग्ध उत्पादन फल उत्पादन हर्बल उद्योग मा रूम उत्पाद रेडी टू कुक मैगी नूडल्स पास्ता ढोकला दलिया आदि सोयाबीन आधारित उत्पाद मसााला उत्पाद सब्जी आधारित उत्पाद फ्लोर मिल हनी प्रोसेसिंग अचार मुरब्बा सिरका उद्योग मिठाई उद्योग नमकीन उद्योग आदि खाद्य सम्बन्धित उद्योग हेतु उद्यमियो के परियोजना लागत के 35 प्रतिात अधिकतम 10 लाख रूपये प्रति उद्यम योजना सहायता प्रदान की जाती है । उद्यमी अपने प्रोजेक्ट पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। योजना में कृाकों/उद्यमि यों की सहायता जनपदीय रिसोर्स पर्सन करेगा।

अधीक्षक राजकीय उद्यान, गोरखपुर

श्री अरूण कुमार तिवारी
(अधीक्षक राजकीय उद्यान, गोरखपुर)

राजेन्द्र कुमार यादव
(उप निदेाक उद्यान, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर)

बलरामपुर चीनी मिल्स लि.यूनिट-मनकापुर (गोण्डा)

की ओर से समस्त क्षेत्रीय कृषकों को

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राज्य स्तरीय किसान मेला एवं आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

- गन्ने में लगने वाले लाल सड़न रोग (रेड–राट) से प्रभावित गन्ने के थान को खेत से उखाड़ कर वहां की मिट्टी में 10–12 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का बुरकाव करें एवं उखाड़े गये गन्ने को खेत से बाहर निकाल कर जला दें।
- को. 0238 गन्ना प्रजाति की बुवाई कदापि न करें। उसके स्थान पर उन्नतशील गन्ना किस्म को. 0118, को. 15023 एवं को. लख. 14201 की ट्रेंच विधि से बुवाई करें।
- कम लागत में अच्दी उपज प्राप्त करने हेतु शरदकाल में सहफसल के साथ उपरोक्त किस्मों के गन्ने की बुवाई अवश्य करें।
- चीनी मिल चलने पर मिल में साफ, ताजा, जड़–पत्ती, अगोला रहित गन्ने की ही आपूर्ति करें।
- पर्ची का एस.एम.एस. मिलने पर ही गन्ने की कटाई करें एवं निर्धारित तिथि पर गन्ने की आपूर्ति अवश्य करें।

मुकेश कुमार झुनझुनवाला
महाप्रबंधक, वाणिज्य

उमेश सिंह बिसेन
महाप्रबंधक, गन्ना

निवेदक
नीरज बंसल
यूनिट हेड/मुख्य महाप्रबंधक

के.एम.शुगर मिल्स लि., मोतीनगर, अयोध्या

रिफायनरी, सफेद दानेदार चीनी के निर्माता एवं पार्टिकल बोर्ड, विद्युत, एथनॉल, सेनेटाइजर का उत्पादनकर्ता

समस्त पाठकों एवं गन्ना उत्पादकों को के.एम. परिवार की ओर से "पूर्वांचल खेती (किसान मेला विशांक)" के पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं।

कृषकों की आय दुगनी करने हेतु आवश्यक सुझाव

- गन्ने की बुवाई 4 फीट की दूरी पर करें।
- अतिरिक्त आय प्राप्त करने हेतु गन्ने के साथ सहफसली खेती करें।
- नई गन्ना प्रजातियों हेतु (15023, को.शा.13235, को.लख. 14201 तथा सी.ओ. 0118) के बीज हेतु चीनी मिल/विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सम्पर्क करें।
- अपनी आय बढ़ाने हेतु पेड़ी फसल में भी, पौधा गन्ना की कटाई के एक सप्ताह के अन्दर खेत की सिंचाई कर दें तथा दो–तीन दिन बाद यूरिया का प्रयोग अवश्य करें। गन्ने की पत्तियों को कदापि न जलाएं। ट्रेस मल्चर, अथवा आर.एम.डी. से पेड़ी प्रबन्धन कर अधिक से अधिक लाभ कमाएं।
- गन्ना खेती में वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर लागत कम करते हुए अधिक आय अर्जित करें।
- गन्ना खेती में प्रयोग होने वाले गुणवत्ता युक्त उर्वरक, एग्री–इनपुट, कृषि यंत्र आदि चीनी मिल के माध्यम से ही लें।
- भविष्य के लिए अपना गन्ना अपने सट्टा पर आपूर्ति करें, जिससे आपका बेसिक कोटा अच्छा हो सके।

कृषकों भाईयों से अनुरोध

- स्वच्छ, ताजा गन्ना आपूर्ति कर सहयोग करें।
- भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु जैविक उर्वरकों, हरी खाद एवं डिकम्पोज प्रेसमड का प्रयोग करें
- बीज उपचार पर विशेष ध्यान दें मिल द्वारा बीज उपचार हेतु दी जाने वाली दवाईयों पर 50 प्रतिशत अनुदान का फायदा उठायें।
- रेड–राट तथा अन्य रोग से बचाव एवं भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु ट्राकइकोडर्मा का प्रयोग करें।
- रोग मुक्त तथा अधिक पैदावार के लिए अपनी गन्ना बीज की नर्सरी अवश्य लगायें।

क्षेत्र के कृषकों के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव तत्पर।

बी.के.सिंह
महाप्रबन्धक (गन्ना)

एस.सी.अग्रवाल
अधिशाषी निदेशक

रिलायन्स फाउंडेशन, गाजीपुर

राज्य स्तरीय किसान मेले में समस्त आगन्तुक कृषकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता है |

असिस्टेंट मैनेजर
रिलायन्स फाउंडेशन,
गाजीपुर

विश्व का सर्वोत्तम चावल कालानमक

- खाने में मुलायम, सुगंधित और स्वादिष्ट
- 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना आयरन, 4 गुना जस्ता
- सुगर फ्री (49–52 ग्लाइसमिक इण्डेक्स)
- विटामिन ए से परिपूर्ण
- अत्यंत सुगंधित
- किसान की आमदनी 3 गुनी

कालानमक बीज (केएन3, बौना कालानमक 101 व 102 तथा कालानमक किरण) एवं इसका चावल (पालिस्ड और बिना पालीस किया हुआ) निम्न पते पर उपलब्ध है।

डा. आर. सी. चौधरी, अध्यक्ष, पीआरडीएफ
59 नहर रोड, शिवपुर सहबाजगंज , पो0 जंगल सालिकराम, गोरखपुर–273014 (यू.पी.),
मोबाइल नं. 9450966091, 9415173984
इमेलः prdfseedsgkp@gmail.com
ram.chaudhary@gmail.com

हल्दी की वैज्ञानिक खेती से किसान कमाए मुनाफा

शशांक सिंह एंव जे. पी. सिंह

प्राचीन काल से ही भारत विश्व में मसालों की खेती के केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारत में मौजूद विविध कृषि जलवायु परिस्थितियाँ विभिन्न मसाले वाली फसलों की खेती के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते हैं। मसालों की फसल में हल्दी एक प्रमुख मसाले वाली फसल है जो अपने औषधीय गुणों के लिए पुरे विश्व भर में जाना जाता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। भारत 4. 06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगभग 9.5 मिलियन टन से अधिक मसालों का उत्पादन करके विश्व में शीर्ष स्थान रखता है। औषधीय गुणों से युक्तहोने के कारण मसाले वाली फसलों में हल्दी का भारतीय घरोंमें एक विशिष्ट स्थान है। हल्दी एक प्रकंद जड़ी बूटी वाला पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमालोंगा है और यह जिंजीबेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। हल्दी की उत्पत्ति स्थान मूलतः उष्ण कटिबंधीय दक्षिण एशिया भारत को माना जाता है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस (सुनहरा मसाला) के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी व्यापक रूप से खेती विभिन्न देशों जैसे भारत, चीन, म्यांमार, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताइवान, बर्मा और इंडोनेशिया में किया जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।

उन्नतशील प्रजातियों का चुनावः– उन्नतशील प्रजातियाँ किस्मों का चयनः– मुख्य रूप से उनके मिट्टी एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुकूलन तथा कीटों और रोगों के प्रति उनकी प्रतिरोधी् सहनशीलता पर निर्भर करता है।देश में कई किस्में उपलब्ध हैं और ज्यादातर उस इलाके के नाम से जानी जाती हैं जहां उनकी खेती की जाती है।भारत में उगाई जाने वाली हल्दी की लोकप्रिय किस्में अमलापुरम, आर्मर, डिंडीगाम, इरोड, कृष्णा, कोदुर, वोंटीमित्र, पी–317, जीएल पुरम–1 और 2, आरएच–2 और आरएच–10, नरेंद्र हल्दी–1, नरेंद्र हल्दी–2, नरेंद्र हल्दी–3, राजापुरी, सेलम, सांगलीहल्दी, निजामाबादबल्ब।

जलवायु और मिट्टी

हल्दी को विभिन्न उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में समुद्र तल से औसतन 1600 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह शुष्क मौसम की स्थिति को आसानी से सहन कर सकता है इसके साथ ही साथ आंशिक छाया में भी हल्दी की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। हल्दी 20–30 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंजमें अच्छी तरह से पन पाता है। इसकी खेती ज्यादातर वर्षा आधारित परिस्थितियों में की जाती है। हल्दी की खेती के लिए प्रतिवर्ष 1500 मिमी या इससे अधिक की अच्छी तरह से वितरित वर्षा उपयुक्त होती है। हिमालय के शुष्क भूमि में मौजूदसीमांत क्षेत्रों के लिए हल्दी सबसे अच्छी नकदी फसलों में से एक है। इसकी खेतीके लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे हल्की काली, लाल मिट्टी से दोमट मिट्टी, जलोढ़ दोमट जिसमे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा हो और साथ ही साथ सामान बनावट की होतथा जल निकासी की सुविधा बेहतर हो उपयुक्तमानी जाती है। अगर पी एच मान की हम बात करे तो इसकी खेती के लिए अम्लीय से थोड़ी क्षारीय मिट्टी आदर्श मानी जाती है। हल्दी पानी के ठहराव को बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि जलजमाव की स्थिति में इसकी जड़े नष्ट होने लगती है। हालांकि यह अच्छी जल निकासी वाली रेतीली या चिकनी दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता है। अन्य कंद फसलों की तरह हल्दी में भी उच्च पैदावार के लिए गहरी भुरभुरी मिट्टी और ज्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती है।

खेत की तैयारी और रोपण

बोनेयोग्य भूमि कि तैयारी के लिए मिट्टी को 3–4 बार अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। उठे हुए बिस्तर अधि मानतः 1 मीटर चौड़ाई और सुविधाजन कलंबाई के तैयार करें तथा दो बिस्तरों के बीच 30 से मी की दूरी रखे जिससे जल निकासी की सुविधा अच्छी हो। हल्दी आमतौर पर वानस्पति क माध्यम द्वारा प्रसारित किया जाता है जिसे राइजोम कहते है। हल्दी से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए ऐसेरोपण सामग्री का चयन करे जो कीटों एवंरोगो से मुक्त हो। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लगभग 2000 किलोग्राम बीज की

विषय वस्तु विशंषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, अंकुशपुर, ग़ाज़ीपुर–।।, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

जय जवान

कृषि विभाग

जय किसान

उत्तर प्रदेश

फसल अवशेष प्रबंधन उपाय अपनाएं

खेत और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाएं

किसान भाईयों से अपील

इन्हें जलाएं नहीं खाद बनाएं

खेत में पराली को न जलाएं और स्वयं के उपयोग में न लाने पर निकटस्थ के निराश्रित गौशाला में पराली का दान करें

फसल अवशेष को जलाने से नुकसान

- फसल अवशेष को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है।
- खेत में मौजूद केंचुए मर जाते हैं।
- जमीन में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है।
- फसलों के पैदावार में कमी हो जाती है।

फसल अवशेष जलाना अपराध है

राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के अन्तर्गत खेत में फसल अवशेष जलाना एक दण्डनीय अपराध है।

पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु दण्ड के प्राविधान निम्नवत हैं-

- 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू. 2500/- प्रति घटना।
- 02 से 05 एकड़ तक क्षेत्र के लिए रू. 5000/- प्रति घटना।
- 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू. 15000/- प्रति घटना।
- अपराध की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही की जायेगी।

धरती को दो यह वरदान, पर्यावरण का न हो नुकसान।

मुकेश कुमार (PAS)	आजाद भगत सिंह (PCS)	श्रीप्रकाश गुप्ता (PCS)	विशाल भारद्वाज (IAS)
उप कृषि निदेशक, आजमगढ़	अपर जिलाधिकारी वि./रा., आजमगढ़	मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़	जिलाधिकारी, आजमगढ़

आवश्यकता होती है। हल्दी के रोपण का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल है। प्रायः हल्दी के बुवाई के लिए मातृ प्रकंदों और अंगुलियों दोनों का प्रयोग किया जाता है। रोपाई के समय प्रत्येक उंगलियों को 4.5 सेमी लंबे टुकड़ों में काटे तथा मातृ प्रकंद को दो भागो में ऐसे विभाजित करे जिससे प्रत्येक कटे भाग में कम से कम एक ध्वनि कलिका मौजूद हो। कभी–कभी बुवाई से पहले हल्दी के बीज को अंकुरित होने के लिए नम पुआल के नीचे रखा जाता हैं। जब हल्दी का रोपण उठे हुए बिस्तरों में किया जाता है तब क्यारियों के ऊपर हरी पत्ती का पलवार (मल्च) बिछा देते है जो कि इस फसल के लिए एक महत्वपूर्ण एवं फायदेमंद शस्य क्रिया है, यह खरपतवार की वृद्धि कोरोकने वमृदा तापमान को संयमित रखने में प्रभावकारी होता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

हल्दी के फसल को रोपने के तुरंत बाद प्रति वर्ग मीटर एक किलो ग्राम हरी पत्तियों की मात्रा का उपयोग कर पलवार (मल्च) बिछा देते है। पलवार बिछाने की प्रक्रिया उर्वरक की दूसरी मात्रा देने के बाद भी उतनी ही मात्रा (प्रति वर्गमीटर एक किलो ग्राम) मेंहरी पत्तियों के साथ दूसरी बार दोहराई जासकती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से हल्दी के फसल को भारी बारिश और सीधी धूप से बचाने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम सूखी घास, पुआलया कभी–कभी हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल करते है। हल्दी की फ़सल में मिट्टी चढ़ाना काफी फ़ायदेमंद रहता है।क्योंकि इनका तना और टहनिया भूमि के अंदर से खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, जिससे इन्हें शक्ति मिलती रहती है। हल्दी में पहला मिट्टी का चढ़ाव रोपण के 50–60 दिन बाद तथा दूसरा 45 दिनों के बाद करना चाहिए। हल्दी का पौधा जल भराव एवं छाया की स्थिति को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता है। भूमि की तैयारी के समय लगभग 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में आधार भूत खुराक के रूपमें शामिल करना चाहिए।

खरपतवार प्रबंधन

आमतौर पर हल्दी के फसलको खरपतवार से बचाने और मिट्टी के नमी संरक्षण के लिए पलवार (मल्चिंग) बिछाने की प्रक्रिया को अपनाते है। हल्दी के फसल में खरपतवार के तीव्रता की स्थिति को देखते हुए बुवाई के 60, 120 और 150 दिनों के बाद तीन बार निराई–गुड़ाई की जा सकती है। हल्दी के फसल में अक्टूबर–नवम्बर माह के अंदर खेतकी गुड़ाई करके पौधें के आधार पर मिट्टी चढ़ाने से प्रकन्दों का समुचित विकास होता है।

कटाई, उपज और भंडारण

हल्दी के मुख्य फसलकी कटाई का मौसम जनवरी के अंत से शुरू होता है और यह मार्च तक चलता है। हल्दी की फसल विभिन्न किस्मो के आधार पे लगभग 210–280 दिनमें पक कर खुदाई योग्य हो जाती है। हल्दी की पत्तियाँ जब पीली हो कर सूखने लगती है तब इसकी कटाई शुरू कर दी जाती है। कटाईके समय हल्दी के पूरे झुरमुट को सूखे पौधे के साथ उठा लिया जाता है फिर उसके पत्तेदार शीर्ष को काटकर जड़ें हटा दी जाती हैं तथा सभी चिपकने वाले मिट्टी के कणों को अच्छे से हिलाकर या रगड़ कर जड़ो के ऊपर से हटा देते है और फिर प्रकंद को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। हल्दी के मातृ प्रकंद से अलगकिए गए अंगुलियों को कभी–कभी पुत्री प्रकंद भी कहा जाता है और इसे 2–3 दिनों के लिए छायादार स्थान पर रखा जाता है। हल्दी की उपज उगायी जाने वाली किस्मों एवं अपनाई गई कृषि पद्धतियों के आधार पर निर्भर करता है। असिंचित क्षेत्रों मेंहल्दी के शुद्ध फसल की उपज लगभग 12000 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सकती है। यदि हल्दी की उन्नत प्रजातियों की खेती वैज्ञानिक विधि से किया जाये तो इससे 400–500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रकन्द प्राप्त किये जा सकते हैं। इन प्रकन्दों से 15–20 प्रतिशत तक की सूखी हल्दी प्राप्त की जा सकती है।

हल्दी बीज का भंडारण

ऐसे बीज प्रकन्दों का चुनाव करे जो कीट एवं रोग व्याधियों से मुक्त हो। बीज सामग्री को शुष्क मौसम में काटकर 1 मीटर गहरे एवं 0.5 मीटर चौड़े आकार के गड्ढे में संग्रहित करते है। बीज प्रकंद को भंडारण से पहले छायेदार स्थान में सुखाया जाता है। बीज प्रकंदों को गड्ढे में भरने से पहले गड्ढे के तलको 20 सेमी सूखी रेत और 10 सेमी् सूखी घास की सहायता से भरा जाना चाहिए। प्रकन्दों से भरे हुए गड्ढों को ऊपर से सूखे घास और सूखी रेत की सहायता से अच्छे तरीके से ढक देना चाहिए। गड्ढों की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान का चयन करे जहा छाया या छप्पर की छत मौजूद हो जिससे की प्रकंद को बारिश एवं पानी से बचाया जा सके।

आमजन पशुओं के लिए भी उपयोगी मोटे अनाज की उत्पादन तकनीकी

ए.के. सिंह* एवं नरेन्द्र प्रताप**

मोटे अनाज या मिलेट्स की खेती अधिकतर सूखे क्षेत्रों में होती है। फसल उत्पादन के सीमित सुविधाएं या जहां–तहां अन्न की मुख्य फसलें नहीं उगाई जाती हैं इन फसलों की खेती सुगमता पूर्वक की जा सकती है। पहले मोटे अनाज की खेती गरीब लोग करते थे और अपने भोजन में इनका उपयोग करते थे क्योंकि इन फसलों को उगाने में लागत बहुत कम आती है और सूखे एवं अकाल को आसानी से सह लेती है। बहुत से क्षेत्रों में इनकी खेती पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता है क्योंकि इनका चारा पौष्टिक होने के साथ–साथ इसमे पोशक तत्वो की मात्रा भी भरपूर होती है तथा सुक्ष्म पोशक तत्वो की प्रचूरता में भी बहुत अच्छा होता है और इसके सेवन से पशुओं के द्वारा शुद्ध दूध उत्पादन किया जाता है और दूध की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है।

इस समय भागम –भाग की जिंदगी एवं तेजी से बढ़ रही जीवनशैली की वजह से आमजन मे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बड़ी तेजी से उभर रही है। जो बीमारियां बढ़ती उम्र के साथ आमजन को प्रभावित करती थी वह अब बहुत कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही हैं। कम उम्र के बच्चों में जहाँ मधुमेह, मोटापा, रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं वही 40 से 42 साल के युवाओं का अचानक हृदय गति रुक जाना, हड्डियों से संबंधित गठिया, जोडो मे दर्द आदि की बीमारियो आदि का होना आम होता जा रहा है। आधुनिक कृषि से उत्पन्न समस्याएं जिसमें रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का भारी मात्रा मे प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उत्तपन्न खाद्यान्य एंव सब्जियों मे कीटनाशकों के अवशेश की भरमार होती है उसके सेवन से कैंसर और अल्सर जैसी घातक बीमारिया हो रही है इससे बचाव का एक मात्र उपाय यही है कि प्राकृतिक ढंग से पैदा होने वाले मोटे अनाज का सेवन करे जो कि शुद्ध होते है इसका सेवन करके हम अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

मोटे अनाज के फायदें:– मोटे अनाजों को गेहूं /चावल आदि से तुलना किया जाए तो बाजरा, ज्वार, सांवा, रागी, कोदों, कुटकी में प्रोटीन, रेशा, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे खनिज तत्व कैरोटीन, फोलिक एसिड, एमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में फाइबर रेशा की अति आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिश्रित अनाज की रोटी का उपयोग बढ़ रहा है खासकर मधुमेह उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगियों में इसकी उपयोगिता देखी जा रही है। इसके सेवन से जीवाणु संक्रमित बीमारियों से भी बचाव होता है बाजरा और कोदों का चावल मधुमेह रोगी भी आसानी से कर सकते हैं इसी तरह कुटकी का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि बनाने में किया जा रहा है ।

मोटे अनाज की खेती पशुओं के लिए भी लाभकारी है मोटे अनाज का प्रयोग पशुओं के लिए संतुलित दाना मिश्रण बनाने में एवं इसके अवशेष का प्रयोग सुखे एवं हरे चारे के लिए किया जा रहा है खासकर बरानी एवं सूखे क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती करने से पशुओं के लिए इसकी बहुत उपयोगिता है क्योंकि सुखे एवं हल्की बरसात में भी इससे ऊपज लिया जा सकता है। मोटे अनाज की खेती सुखे एवं बरानी क्षेत्र के निवासियों के लिए वरदान है क्योंकि इससे उनके लिए अन्न एवं उनके पशुओं के लिए उत्तम चारे दाने की व्यवस्था हो जाती है।

मोटे अनाज की खेती की तैयारी:–

जलवायु :– कुछ क्षेत्रों में लघु एवं बड़े मोटे अनाज की खेती खरीफ, ग्रीष्म एवं रवि में भी की जाती है लेकिन इन फसलों के लिए मुख्यता खरीफ का ही मौसम उपयुक्त होता है यह फसलें सुखा एवं अधिक वर्षा को भी सहन कर सकती हैं।

भूमि :– **अन्य** फसलों की तरह इसके लिये बहुत ऊपजाऊ भूमि की आवश्यकता नही होती है। इसकी खेती कमजोर भूमि में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। इन फसलों के लिए हल्की ढोमट मिटटी बहुत उपयोगी होती है, लेकिन कंकरीली, पथरीली ढालू मृदा पर भी इनकी खेती सफलता पूर्वक की जा सकती

*वैज्ञानिक, **वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, गाजीपुर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

प्रेस विज्ञप्ति

उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में कृषकों का पंजीकरण ''ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन'' dbt.uphorticulture.in पर पहले आओ पहले पाओ अनुदान का भुगतान पी.एफ. एन.एस. सिस्टम से डी.बी.टी. से कृषकों के आधार सीडेड खाते में डी.बी.टी. / काइन्ड डी.बी.टी. से लागू है। योजनावार विवरण निम्नवत है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक प्रपत्र व्यक्तिगण खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड व खाता संख्या स्पष्ट हो।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र, शपथ पत्र, दो फोटोग्राफ व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रयुक्त प्रपत्रों खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में उपलब्ध करा दें।

राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन :– योजना के तहत नवीन उद्यान रोपण में केला, पपीता, आम, अमरूद, लाइम एण्ड लेमन्स, बेल फ्रूट, जैक फ्रूट, अंजीर, संकर शाकभाजी कार्यक्रमों में कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट बेस कार्यक्रम के तहत :– पॉली हाउस शेडनेट हाउस मशरूम प्रोडक्शन यूनिट कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट स्पान मेकिंग यूनिट प्याज भण्डार गृह पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज कोडरूम (स्टेगिंग) प्री कूलिंग यूनिट रीफखैन राइपिंग चैम्बर लोकास्ट प्रसंस्करण इकाई प्राइमरी मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर जिस इकाई पर दिशा–निर्देश में जो लागू है अनुदान देय है। कार्यक्रम में व्यय कृषक को स्वयं करना होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित कमेटी के सत्यापनोपरान्त अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते या लोन खाते में ऑनलाइन हस्तानान्तरित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरीगेशन

योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर माइक्र स्प्रिंकलर रेनगन स्प्रिंकलर कृषक अपनी इच्छानुसार उ.प्र. सरकार द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड कम्पनी / फर्म से अपना संवंत्र स्थापित करा सकता है। जियोटैग सत्यापनोपरान्त कृषक की संतुष्टि प्रमाण पत्र उपरान्त अनुदान का भुगतान डीबीटी से कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में पीएफएमएस सिस्टम से किया जाता है।

प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)

योजना के तहत जनपद में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना / उच्चीकरण यथा बेकरी उद्योग चारा उद्योग दाल मिल राइस मिल दुग्ध उत्पादन फल उत्पाद हर्बल उद्योग मशरूम उत्पाद रेडी टू कुक मैगी नूडल्स पास्ता ढोकला दलिया सूजी आदि सोयाबीन आधारित उत्पाद मसाला उत्पाद सब्जी आधारित उत्पाद फ्लोर मिल हनी प्रोसेसिंग अचार मुरब्बा सिरका उद्योग मिठाई उद्योग नमकीन उद्योग आदि खाद्य सम्बन्धित उद्योग हेतु उद्यमियों के परियोजना लागत के 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये प्रति उद्यम योजना सहायता प्रदान की जाती है। उद्यमी अपने प्रोजेक्ट पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। योजना में कृषकों / उद्यमियों की सहायता जनपदीय रिसोर्स पर्सन करेगा।

जिला उद्यान अधिकारी, अमेठी

है। इसकी खेती के लिये मृदा में नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए क्योंकि इनकी खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में ही की जाती है।

बोने की विधिः– उत्तर भारत में इसे जुन से लेकर अगस्त तक कभी भी इनकी बुवाई की जा सकती है। दक्षिण भारत इसकी बुवाई साल मे किसी भी समय की जा सकती है। इसकी बुवाई छिटकवा विधि से या पंक्तियों में भी कर सकते हैं बीज 3 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए।

खाद एवं उर्वरक :–इसके लिए जैविक एवं रसायनिक दोनों तरह की खादे उपयुक्त होती हैं। इन फसलों के लिए 50–60 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 30–40 कि.ग्रा. फास्फेट और 20–30 कि.ग्रा. पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। सभी उर्वरकों कों अच्छी तरह आपस में मिला लेना चाहिए और इसके बाद खेत में छिड़ककर मिट्टी में मिला लेना चाहिए ।

सिचाई :–खरीफ में ज्यादातर फसल वर्षा के आधार पर ही तैयार हो जाती है ग्रीष्मकालीन खेती के लिए 1–2 हल्की सिंचाई करनी पड़ती है।

बीजदर :–ज्वार के लिए 12–15 बाजरा के लिए 4–5, रागी के लिए 10–12 सांवा के लिए 8–10 कोदों के लिए 10–15 कुटकी के लिये 9–11 किलोग्राम / हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है अगर फसल चारा के लिए ली जा रही हो तो बीज की मात्रा देड़ से दोगुनी कर ली जाती है ।

बाजरा :– इसके दाने में आयरन एवं कैरोटीन होने के कारण मानव के साथ–साथ पशुओं के लिए भी बहुत उपयोगी है जो लोग स्वास्थ्य के महत्व को समझते हैं इससे बनी रोटी चावल दोनों का उपयोग करते हैं। पशुओं के दाना मिश्रण बनाने में इसके दानें एवं तना हरे चारे के रूप में तथा इसका डंठल का उपयोग कड़वी/भूसा के रूप में पशुओं के लिए किया जाता है। इसकी खेती से दाना 20 से 30 कुं/ हे. हरा चारा 300 से 350 कुं/ हे. तथा कड़वी 120 से 150 कुं/ हे. प्राप्त होता है।

रागी :–यह उच्च पोषण वाला मोटा अनाज है। यह कैल्शियम आयरन से भरपूर होता है इसका इस्तेमाल खिचड़ी जैसे आहार के रूप में किया जाता है इसकी खेती से दाना 15 से 20 कुं/ हे. हरा चारा 100 से 120 कुं/ हे. तथा कड़वी 20 से 30 कुं/ हे. प्राप्त होता है।

ज्वार :–इसका दाना कार्बोहाइड्रेट एवं रेशे से भरपूर होता है इसको गेहूं के साथ मिलाकर इसकी रोटी बनाकर सेवन किया जाता है । इसके दाने का प्रयोग मुर्गी दाना बनाने में बहुतायत से किया जाता है एवं इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हरे चारें एवं कड़वी के रूप में पशुओं के लिए किया जाता है । इसके दाने की औसत उपज 12 से 15 कुंतल / हेक्टेयर होती है तथा हरा चारा संकर प्रजातियों से 500 से 600 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा कड़वी के रूप में 100 से 110 कु. /हे. होता है /

सवाः– पूर्वांचल में पहले इसकी खेती बहुत प्रचलित थी लेकिन धीरे–धीरे इसकी खेती कम हो गई नदी के कछार एवं बलुवर मिट्टी में इसी खेती होती थी वर्षा ऋतु में उगाई जाने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी फसल अवधि 70 दिनों की होती है। इसके दाने में कार्बोहाइड्रेट एवं रेशा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके दाने का प्रयोग चावल कि तरह उबालकर चावल (भात) के रूप में किया जाता है। इसके दाने की उपज 10 से 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर एवं हरा चारा 40 से 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक पैदा होता है ।

कोदों :– इसका दाना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज से भरपूर होता है इसका प्रयोग भी दाने को चावल की तरह उबालकर चावल (भात) के रूप में किया जाता है तथा पशुओं के लिए हरे चारे एवं पुआल तथा भूसा के रूप में उपयोग किया जाता है। कोदों की खेती से दाना 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा हरा चारा 100 से 120 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा भूसा एवं पुआल 20–25 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसके अलावा इससे बने उत्पाद कंगनी को दूध में उबालकर खाया जाता है जिससे शरीर में प्रोटीन एवं खनिज की कमी पूरी होती है।

कुटकीः– इसकी फसल 90 से 140 दिनों में तैयार होती है शुष्क एवं बारानी क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। इस के दाने का आयुर्वेदिक औषधि बनाने में काफी उपयोग होता है तथा दुधारू पशुओं के लिए इसका चारा बहुत उपयोगी होता है।

कम लागत में तोरई की वैज्ञानिक खेती

अंकिता गौतम* एवं आर.आर. सिंह**

कद्दूवर्गीय फसलों में तोरई की खेती को लाभकारी खेती में गिना जाता है। बारिश का समय इसकी खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस खेती की सबसे बड़ी खासियत हैं कि इसके बाजार भाव अच्छे मिल जाते हैं। इसे साल में दो बार ग्रीष्म ऋतु जिसे जायद कहा जाता है और दूसरी खरीफ सीजन में भी इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। कच्ची तोरई की सब्जी बनाई जाती है, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी काफी लाभकारी होती है। वहीं इसके सूखे बीजों से तेल निकाला जाता है। निम्न विधि अपनाकर किसानों को कम खर्च में तोरई की खेती करने के तरीका अपनाकर आप इसकी खेती से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

तोरई की खेती के लिए नाली विधिः—तोरई की खेती के लिए नर्सरी पॉली हाउस में इसकी नर्सरी तैयार की जा सकती है। तोरई की बुवाई के लिए नाली विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पहले तोरई की पौध तैयार की जाती है और इसके बाद इसे मुख्य खेत में रोपित किया जाता है।

तोरई की खेती के लिए मिट्टी का चयनः—तोरई की अच्छी फसल के लिए कार्बनिक पदार्थों से युक्त उपजाऊ मध्यम और भारी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान करीब 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इसकी खेती में दोमट मिट्टी में नहीं करनी चाहिए। बारिश का समय तोरई खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके बाजार भाव अच्छे मिल जाते हैं। यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसकी खेती से काफी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है।

तोरई की खेती के लिए ऐसे करें भूमि का चयनः—तोरई की खेती अच्छे जल निकास वाली मध्यम और भारी मिट्टी में की जानी चाहिए। दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए।

तोरई की खेती में बुवाई और रोपाई का तरीकाः—तोरई की पौध की रोपाई मेड के अंदर डेढ़ से दो फीट दूरी रखते करनी चाहिए। इसकी रोपाई के लिए तैयार की गई क्यारियों के बीच 3 से 4 मीटर तथा पौधे से पौधे के बीच 80 सेमी; की दूरी रखनी चाहिए।

तोरई की अधिक पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का करें प्रयोगः—तोरई की पूसा चिकनी, पूसा ख्हा, पूसा सुप्रिया, काशी दिव्या, कल्याणपुर चिकनी, फुले प्रजतैका आदि को उन्नत किसमें है। अधिकतर किसानों द्वारा घिया तोरई, पूसा नसदान, सरपुतिया, कोयम्बूर 2 आदि किसमें का प्रयोग ली जाती है। इन उन्नत किस्मों की बीज रोपाई के बाद 70 से 80 दिन में फल मिलने शुरू हो जाते है। यह किसमें 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती है।

तोरई की रोपाई का तरीकाः—तोरई की पौध रोपाई मेड के अंदर डेढ़ से दो फीट दूरी रखते करनी चाहिए ताकि पौधे भूमि की सतह पर अच्छे से फैल सके। इसकी रोपाई के लिए तैयार की गई क्यारियों के मध्य + से ५ मीटर तथा पौधे से पौधे के मध्य ७ सेमी. की दूरी रखनी चाहिए। नालियां ७ सेमी. चौड़ी व — से — सेमी. गहरी होनी चाहिए।

तोरई को रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार जरूरीः—तोरई फसल को रोगों से बचाने और अच्छा उत्पादन पाने के लिए लिए इसके बीजों को बुवाई से पहले थाइरम नामक फंफुदनशक 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना चाहिए।

बीजों के जल्द अंकुरणः—बीजों के शीघ्र अंकुरण के लिए बीजों को बुवाई से पूर्व एक दिन के लिए पानी में भिगोना चाहिए तथा इसके बाद बोरी या टाट में लपेट कर किसी गर्म जगह पर रखना चाहिए। इससे बीजों को जल्द अंकुरणं में मदद मिलती है।

खाद एवं उर्वरक की मात्राः—तोरई की खेती (शान) में साधारण भूमि में 20—25 टन तक गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। तोरई को 120 किग्रा प्रति हे. नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा के समय ही समान रूप से मिट्टी में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की बची हुई शेष मात्रा 15 दिन बाद पौधों की जड़ों के पास डालकर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए।

*एम.एस.सी.(उद्यान), डा0 भीम राव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं **प्राध्यापक (मृदा), प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

रिषित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड बख्शा, जौनपुर द्वारा संचालित **श्रेष्ठ नमकीन उद्योग** की **डायरेक्टर दुर्गा मौर्या** मो0 9936179276, 7275160915 ने कम्पनी बना कर एम बहुत बडी उपलब्धी हासिल की हैं जिसमे 25 महिला किसानो को रोजगार दिया हैं हमारी कम्पनी मे शुद्ध बेसन द्वारा विभिन्न प्रकार की नमकीन तैयार किया जाता हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद श्रावस्ती

किसान मेला/प्रदर्शनी में आये हुए कृशकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता है।

किसानों के आर्थिक उन्नयन हेतु सदैव समर्पित

उद्यान विभाग द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाएं:–

1. **राश्ट्रीय कृशि विकास योजनाः**– उद्यान रोपण, शाकभाजी, पुश्प, मशाला की खेती इत्यादि पर राज्य सहायता एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2. **प्रधानमंत्री कृशि सिंचाई योजना (पर ड्राप मोर क्राप):**– जल संरक्षण, उचित उर्वरक/रसायन प्रबन्धन कराते हुए खेती में लागत कम करने हेतु टपक सिंचाई, मिनी, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, रेनगन की स्थापना पर 80 से 90 प्रतिशत अनुदान कृशकों को डी0बी0टी0 से दिया जा रहा है।
3. **राज्य सेक्टर योजनाः**– अनु0जाति/जनजाति के कृशकों को विशेश प्रोत्साहन के रूप में 90 प्रतिशत की सीमा तक शाकभाजी, मसाला, पुश्प की खेती में राज्य सहायता दी जा रही है।
4. **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0)** योजना में आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्वरोजगार वृद्धि हेतु खाद्य उद्योग स्थापना पर लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0–10 लाख की राज्य सहायता दी जा रही है।

जनपद के किसानों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी/आवेदन हेतु वेबसाइट– http://dbt.uphorticulture.in/ पर या जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें। योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय में गुणत्मक वृद्धि करें, तथा प्रदेश एवं देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान करें।

जिलाधिकारी **मुख्य विकास अधिकारी** **जिला उद्यान अधिकारी**

मिट्टी रहित खेतीः टिकाऊ खाद्य उत्पादन की दिशा में एक नया दृष्टिकोण

संदीप कुमार पाण्डेय एवं प्रमोद कुमार मिश्र

भारत में कृषि के क्षेत्र में फसल की उपज और पैदावार को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन नए–नए अविष्कार हो रहे है साथ ही विभिन्न नवीन तकनीकों का इस्तेमाल भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। ऐसी ही नवीनतम तकनीक में मिट्टी रहित खेती को भी शामिल किया गया है । मिट्टी रहित खेती से हो रहे मुनाफे को देखते हुए भारतीय कृषको का भी झुकाव मिट्टी रहित खेती की ओर आकर्षित कर रहा है, किसान पारम्परिक ढंग की खेती को छोड़कर मिट्टी रहित खेती की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, पहले के समय में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बिना मिट्टी के भी खेती की जा सकती है । लेकिन मिट्टी रहित खेती तकनीक ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। जिससे अब बिना मिट्टी का उपयोग किये भी अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। यह खेती करने का एक आधुनिक तरीका है, जिसमे बिना मिट्टी का प्रयोग किये आधुनिक तरीके से खेती की जाती है । यह खेती केवल पानी या पानी के साथ मीडिया जैसे बालू, को को पिट, क्ले बाल, परलाइट और कंकड़ को एक सपोर्टिंग मीडिया के रूप में की जाती है । इस प्रकार की खेती में जलवायु नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पद्धति में लगभग 15 से 30 डिग्री तापमान और 80 से 85 प्रतिशत आर्द्रतामें मिट्टी रहित खेती को आसानी से किया जा सकता है । इस तकनीकी में पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि पौधों को पोषक तत्व घोल के रूप में दिया जाता है। इसके लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्निशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर, आयरन जैसे पोषक तत्वों तथा खनिज प्रदाथी को एक उचित मात्रा में मिलाकर मिश्रित कर घोल बना लिया जाता है,मिश्रि किये गए इस घोल को निर्धारित किये गए समय समय पर पौधों में देते रहना चाहिए,जिससे पौधों को सभी पोषक तत्व प्राप्त होते रहते है और पौधों का वृद्धि एवं विकास आसानी से होता रहता है ।

इस तकनीक में पाइप तथा को को स्लैब का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमे कई छेद बने होते है, इन्हीं छेदों में प्लास्टिक के कप के माध्यम से पौधे लगाए जाते है। पौधे की जड़े पाइप के अंदर होनी चाहिए जहां पोषक तत्व युक्त पानी प्रवाहित होता रहता है जिसमे जड़े डूबी रहती है।वर्तमान समय में इस तकनीक का इस्तेमाल केवल छोटे पौधों वाले फसलों की खेती में किया जा रहा है, जैसे रूखीरा, टमाटर, स्ट्राबेरी, शिमला मिर्च, मटर, मिर्च, स्ट्रॉबेरी,ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, आलू आदि ।

मिट्टी रहित खेती के लाभ

- इस तकनीक का इस्तेमाल कर पानी की खपत को कम कर सकते है।
- मिट्टी रहित खेती में लगभग 80–85 प्रतिशत पानी की बचत की जा सकती है।
- परंपरागत खेती की तुलना में मिट्टी रहित खेती का इस्तेमाल कर कम जगह में अधिक पौधों को उगाया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा पोषक तत्व बिना किसी हानि के आसानी से पौधों को प्राप्त हो जाते है।
- परंपरागत खेती की तुलना में मिट्टी रहित खेती के प्रयोग से फसल भी अच्छी गुर्वित्ता वाली होती है।
- इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम अपने घर की छत पर भी कर ताजी सब्जियों खेती कर सकते हो।
- इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने में पहले अधिक लागत लगती है, किन्तु एक बार यह प्रार्लिी स्थापित हो जाती है, तब इसमें कम जगह में अधिक पौधे उगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है।

मिट्टी रहित खेती के कुछ नुकसान –

सेट अपस्थापित करने में शुरुआती लागत बहुत

कृषि महाविद्यालय कोटवा, आजमगढ़, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

अधिक आती है तथा सिस्टम के कार्यान्वयन में समय लगता है। जटिल संरचना के साथ प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। यही मुख्य कारण है कि अधिकांश लोग इस प्रकार की खेती करने से हिचकिचाते हैं। कुछ किसानों का मानना है कि मिट्टी रहित खेती की स्थापना की तुलना में सस्ती कीमत पर, वे अन्य कृषि व्यवसाय आसानी से स्थापित कर सकते हो।

मिट्टी रहित खेती के रखरखाव के कार्य में बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है।

इस विधि में नियमित पीएच, टीडीएस और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाँच करते रहना आवश्यक हो ।

मिट्टी रहित खेती के मुख्य संघटक

मिटटी रहित खेती के मुख्य संघटक शेल्टर, एनएफटीप्रणाली, पाइप्स, पाइपकनेक्टर, स्टोडप्लेटफॉर्म, प्लास्टिकटोक, वाटरपंप, नेटकप, वाटरकूलर, आरओसिस्टम, पीएचमीटर, टीडीएसमीटर इत्यादि हो।मिट्टी रहित खेती एक सामान्य शब्द है और सभी खेती विधियों को संदर्भित करता है, जिसमें फसल यातो ग्रोविंग मीडिया या वाटर कल्चर में उगाई जाती है। मिट्टी रहित खेती पारंपरिक कृषि से जुड़ी सभी समस्याओं पर नियंत्र पाती है। औसतन, हाइड्रो पोनिक्स प्र्रािली मिट्टी आधारित खेती प्रालियों की तुलना में 10 से 20 गुना कम पानी की खपत करती है। मिट्टी रहित खेती पौधे के वैकल्पिक कृषि प्रालियों के मूल्यांकन और लोकप्रिय करे लिए भविष्य में व्यापक शोध का मार्ग खोलने में मदद करेंगे ।

मिट्टी रहित खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमे सूक्ष्म पोषक तत्वों की सटीक मात्रा के साथ आपूर्ति की जासकती है। पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रो पोषक तत्व हो।

पौधों को कम मात्रा में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे–मोगनीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, आयरन (लोहा) और कॉपर (तांबा) सम्मिलित हो ।इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले पोषक तत्व घोलकाई. सी1. 5–2.5 डी. एस. एम.औरपी. एच. मान 5.5–6.5 के बीच होता है। इसमें होने वाले खर्च की बात करे तो हाइड्रोपोनिक तकनीक स्थगित करने में प्रति एकड़ के क्षेत्र में तकरीबन 45 से 50 लाख रूपए की लागत लगनी पड़ती है ।

मिट्टी रहित खेती प्र्राि‍लियों का वर्गीकरण

क)सॉलिड मीडिया ध्सब्सट्रेट कल्चर रू मिट्टी रहित खेती की एक प्र्रािली जिसमें रेत, बजरीया मार्बल, को को कॉयर, को चिप्स आदि जैसी सामग्री का उपयोग सब्सट्रेट कल्चर के रूप में पौधों की जड़ों को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन हाउस उत्पादन में इस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।

(ख) ग्रोबैग तकनीक

यह सबसे आम तकनीक है जिसमें पौधों को उगाने के लिए 1 मीटर लंबाई, 15–20 सेमी चौड़ाई और 8–10 सेमी ऊंचाई की अल्ट्रा वायलेट अवरोधी पॉलीथीन शीट से बने ग्रोबैग का उपयोग किया जाता है। फसलों के प्रकार के आधार पर पौधे की दूरी 30–60 सेमी रखते हुए एक नया जोड़ीदार (दो) पंक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग विशेष रूप से ककड़ी, टमाटर और शिमला मिर्च जैसी विभिन्न सब्जियों को उगाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से लागू पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके फसलों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।

फर्टिगेशन प्रणाली की स्थापना

फसल को सभी मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त सिंगल स्ट्रेंथ सॉल्यूशन के फर्टिगेशन के साथ आपूर्ति की जाती है, सभी मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों को आवश्यक मात्रा में तोलकर एक पैकेट में मिलाकर एक बाल्टी में 4–5 लीटर पानी में घोल दिया जाता है। घोल को मलमल के कपड़े से छान लिया जाता है। इस छने हुए घोल को एक हजार लीटर क्षमता के प्लास्टिक टोक में डाला जाता है । इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वांछित ई. सी. 2.0 –3.0 डी. एसध्एम और पी. एच. रेंज 5.8–6.5 के बीच होना चाहिए । यदि फर्टिगेशन घोलका पी. एच.मान ज्यादा या कम हो तो उसको समायोजित करने के लिए

जनपद जौनपुर में उद्यान विभाग द्वारा संचालित औद्यानिक विकास योजनाएं एवं अनुदान का विवरण

क्र0सं0	कार्यक्रम का नाम	इकाई	लागत प्रति है0	सहायता प्रतिशत	अधिकतम अनुदान प्रति है0
1–	एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना				
क	नवीन उद्यान रोपण				
(i)	आम	है0	25500	60	12750 अधिकतम अनुदान
(ii)	अमरूद	है0	38340	60	19170 अधिकतम अनुदान
(iii)	आंवला	है0	60000	50	30000 अधिकतम अनुदान
(iv)	बेल	है0	60000	50	30000 अधिकतम अनुदान
(v)	टिशू कल्चर केला	है0	102462	40	40985 अधिकतम अनुदान
(vi)	पपीता	है0	61655	50	30828 अधिकतम अनुदान
(vii)	लीची	है0	60000	50	30000 अधिकतम अनुदान
(viii)	ड्रैगन फ्रूट	है0	125000	40	30000 अधिकतम अनुदान
(ix)	स्ट्राबेरी	है0	125000	40	50000 अधिकतम अनुदान
(x)	बेल फ्रूट	है0	60000	50	30000 अधिकतम अनुदान
ख	मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम				
(i)	प्याज (खरीफ)	है0	30000	40	12000 अधिकतम अनुदान
(ii)	प्याज (रबी)	है0	30000	40	12000 अधिकतम अनुदान
ग	संरक्षित खेती नेचुरली वेन्टीलेटेड हाउस सिस्टम की स्थापना– परियोजना आधारित				
(i)	500 वर्ग मी0 से 1008 वर्ग मी0 तक	वर्ग मी0	1060/वर्ग मी0	50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान	
(ii)	2080 वर्ग मी0 से 4000 वर्ग मी0 तक	वर्ग मी0	844/वर्ग मी0	50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान	
(iii)	हाई वैल्यू पुष्प उत्पादन/वेजिटेबल की	वर्ग मी0	1060/वर्ग मी0	50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान	
घ	ग्रीन हाउस शेडनेट हाउस	वर्ग मी0	400/वर्ग मी0	50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान	
ड़	पो हार्वेस्ट प्रबन्धन				
(1)	आर्गेनिक फार्मिंग(जैविक खेती)				
(i)	वर्मी कम्पोस्ट इकाई– स्थायी ढांचा	सं0	100000	50	50000 अधिकतम अनुदान
(ii)	एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड(12x12)	सं0	16000	50	8000 अधिकतम अनुदान
(2)	बागवानी में मशीनीकरण–परियोजना				
(i)	ट्रैक्टर 20 एच0पी0 तक	सं0	3 लाख/इकाई	35	100000 अधिकतम अनुदान
(ii)	पावर टिलर 8 BHP से कम	सं0	1 लाख/इकाई	50	50000 अधिकतम अनुदान
(iii)	पावर टिलर 8 BHP एवं उससे अधिक	सं0	1.50 लाख/इकाई	50	75000 अधिकतम अनुदान
(3)	मौनपालन कार्यक्रम				
(i)	मौनपालन (मधुमक्खी कालोनी) मु0 पी– बी	सं0	220000	40	88000 अधिकतम अनुदान
(4)	मशरूम प्रोत्साहन				
(i)	मशरूम उत्पादन इकाई	सं0	20 लाख/इकाई	40	8 लाख अधिकतम अनुदान
(ii)	स्पान उत्पादन इकाई	सं0	15 लाख/इकाई	40	6 लाख अधिकतम अनुदान
(iii)	कम्पोस्ट उत्पादन	सं0	20 लाख/इकाई	40	8 लाख अधिकतम अनुदान
च.	पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन				
(i)	राइपनिंग चैम्बर (6 मी0 टन)	सं0	26 लाख/इकाई	35	9 लाख 10 हजार अधिकतम अनुदान
(ii)	राइपनिंग चैम्बर (300मी0 टन)	सं0	1 लाख/मी0टन	35	105 लाख अधिकतम अनुदान
(iii)	लो कास्ट प्रसंस्करण इकाई	सं0	1 लाख/यूनिट	50	1 लाख अधिकतम अनुदान
(iv)	लो कास्ट प्रसंस्करण भण्डारण	सं0	1 लाख/यूनिट	50	50000 अधिकतम अनुदान
(v)	प्याज भण्डार गृह (25 मैट्रिक टन)	सं0	1.75 लाख/यूनिट	50	87500 अधिकतम अनुदान
(vi)	फसलोत्तर पैक हाउस	सं0	15 लाख/यूनिट	40	6 लाख अधिकतम अनुदान
छ.	फूलों की खेती कार्यक्रम				
(i)	लघु सीमान्त (कृषक)	है0	4000/हेक्टेयर	40	10000
(ii)	सामान्य (कृषक)	है0	4000/हेक्टेयर	25	10000

2. अनुसूचित जाति/जनजाति (राज्य सेक्टर)

क्र0सं0	कार्यक्रम का नाम	इकाई	(रू0 में)	सहायता प्रतिशत	सहायता कि धनराशि
1	संकर कद्दू वर्गीय सब्जी (खरीफ मौसम)	है0	50000	75	37500
2	संकर शिमला मिर्च	है0	50000	75	37500
3	संकर मसाला मिर्च की खेती	है0	30000	90	27000
4	संकर धनिया की खेती	है0	30000	90	27000
5	प्याज	है0	30000	90	27000
6	कट फ्लावर गुलाब	है0	18000	50	90000
7	गेंदा	है0	40000	90	36000
8	आई0पी0एम0	है0	40000	90	3600

3. "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" माइक्रोइरीगेशन, योजना निम्नवत

क्र0सं0	कार्यक्रम का नाम	अनुमन्य इकाई लागत प्रति है0	इकाई	योजना अंश प्रतिशत में	अधिकतम अनुदान प्रति है0
1.	ड्रिप सिंचाई सिस्टम स्थापना			लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत पर 90%तथा सामान्य श्रेणी के कृषकों पर 80% अनुदान अनुमन्य देय है। G.S.T-12% इकाई लागत पर कृषक द्वारा अतिरिक्त देय होगा।	
	10X10 Metre	30109	है0		27098
	5X6 Metre	39890	है0		35901
	1.5X1.5 Metre	111832	है0		100649
	1.8X1.8 Metre	105295	है0		94766
	1.2X0.6 Metre (Veg. & Sugar Cane) and agriculture crop	146626	है0		131963
2.	मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम स्थापना				
	10X10 Metre	108245	है0		97429
	8X8 Metre	119454	है0		107509
3.	माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम स्थापना				
	5X5 Metre	74667	है0		67380
	3X3 Metre	85398	है0		76858
4.	रेनगन			लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषको को इकाई लागत पर 75%तथा सामान्य श्रेणी के कृषको पर 65% अनुदान अनुमन्य देय है। G.S.T-12% इकाई लागत पर कृषक द्वारा अतिरिक्त देय होगा।	
	90 mm, 75 mm	43846	है0		32884.50
5.	पोर्टेबल स्प्रिंकलर				
	90mm, 75 mm	27823	है0		20867

4. पान उत्पाद को प्रोत्साहन विकास योजना

1.	(पान बरेजा स्थापना 1500 वर्ग मीटर)	सं0	151360/बरेजा लागत	50	75680

5. राष्ट्रीय कृषि विकास रफ्तार योजना।

1.	(पान बरेजा स्थापना 1000 वर्ग मीटर)	सं0	151360/बरेजा लागत	50	50453.00

6. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0)

क्र0सं0	कार्यक्रम का नाम		
1.	इस योजना के अन्तर्गत कृषि आधारित सूक्ष्म उद्योगों जैसे– डेयरी, आटा मिल, चावल मिल, गन्ना मिल, तेल कोल्हू, कुकरी मेकर्स, खाद्य प्रसंस्करण, मिर्च आधारित उद्योग आदि इकाई का विस्तार तथा नई इकाई की स्थापना पर 10% कृषक अंश 90% बैंक लोन तथा 35% अनुदान की व्यवस्था है तथा डी0पी0आर0 प्रोजेक्ट पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जायेगी। योजना का लाभ हेतु WWW pmfme.mofpi.gov.in पर पंजीकरण किया जा सकता है।	रू0	उद्योग इकाई लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख तक क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनें।)

योजना प्रभारी (मुख्यालय)/विकास खण्ड प्रभारी कर्मचारियों के मो0नं0 पर सम्पर्क कर जानकारी ले सकते है।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	मोबाइल नम्बर	विकास खण्ड का नाम
1.	श्री रविन्द्र कुमार सिंह	8795019712	बदलापुर, बक्शा, महराजगंज
2.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	8543903059	रामपुर, रामनगर
3.	श्री वंशराज	9621160639	सिरकोनी, जलालपुर
4.	श्री भोला प्रजापति	7897015647	मछलीशहर, सिंकरारा, मु0 बादशाहपुर
5.	श्री सुभाष चन्द्र सिंह	7054749489	शाहगंज, सोंधी
6.	श्री सुभाष यादव	9415287485	करंजाकला, धर्मापुर
7.	श्री अरूण कुमार सिंह	6393898574	केराकत, डोभी, मुफ्तीगंज

जिला उद्यान अधिकारी
जौनपुर

मुख्य विकास अधिकारी
जौनपुर

जिलाधिकारी
जौनपुर

फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग करके अम्लीकरण को कम या ज्यादा किया जा सकता है ।

सिस्टम में फर्टिगेशन को स्वचालित रूप से संचालित करने के लिए टाइमर शामिल कर दिया जाता है। टाइमर को पूर्व निर्धारित समय के लिए संचालित करने के लिए सेट कर दिया जाता है । टाइमर ने पूर्व–निर्धारित समय के लिए पोषक तत्वों के घोल के आवेदन की अनुमति दी और पूर्व–निर्धारित समय पूरा होने के बाद स्वचालित रूपसे बंद हो गया। फर्टिगेशन की आवृत्ति प्रतिदिन 3–5 बार अलग दृअलग समय पर की जाती है, हालांकि फर्टिगेशन की अवधि (4–13 मिनट) फसल के विकास के चर्रऔर प्रचलित मौसम की स्थिति पर निर्भर होती है।

(ग) पॉटकल्वरतकनीक

इस तकनीक में पौधों को उगाने के लिए 4 इंच से 12 इंच व्यास के प्लास्टिक से बने रेडीमेड गमलों का उपयोग किया जाता है। गमले अक्रिय कार्बनिक, अकार्बनिक या कोको–पीट, रेत, पेर्लाइट, वर्मीक्यूलाइट आदि सामग्री के मिश्रण से भरे होते हों। कंटेनर और ग्रोविंग मीडिया की मात्रा फसलों के प्रकार पर निर्भर करती है।

तरलहाइड्रोपोनिक्स

मिट्टी रहित खेती की एक प्रणाली जिसमें तरल माध्यम का उपयोग किया जाता है। तरल हाइड्रोपोनिक्स के तहत विभिन्न तकनीकें हों

पोषक तत्व फिल्म तकनीक (एन.एफ. टी.)

यह एक हाइड्रोपोनिक तकनीक है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी घुले हुए पोषक तत्वों से युक्त पोषक घोल की बहुत उथली धारा को पौधों की जड़ों के माध्यम से पुनरूप परिचालित किया जाता है। इस प्रर्णाली के सरलतम रूप ने इसे फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाया है। इसमें थोड़ा ढलानवाला चौनल होता है जो चौनल के भीतर डूबी पौधों की जड़ों से गुजरने के लिए पोषक तत्व घोल के उथले प्रवाह या फिल्म की अनुमति देता है। इस उथले प्रवाह की गहराई में अधिक नहद्व होनी चाहिए इस प्रर्णाली में यह एक या दो इंच तक की कोई भी सीमा अक्सरस्वी कार्य मानी जाती है। चित्र 1 में कृषि महाविद्यालय, कोटवा, आजमगढ़ मेंस्थापितएन.एफ.टी.प्रर्णाली को दिखाया गया है।

एन.एफ.टी.प्रर्णालीमें, पौधों के विकास और फसलों की उपज सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्व के घोल की महत्वपूर्ण भुमिका होती है।एनएफटी प्रर्णाली में उगाए गए पौधों को पोषक तत्व घोल की निरंतर आपूर्ति 24 घंटे की आवश्यकता होती है। सन 1938 में होगा लोड और एरोन द्वारा विकसित किया गया होगलोडघोलश्के रूप में पोषक तत्व घोल आमतौर पर उपयोग किया जाता है, कुल मिलाकर, पौधों को उचित वृद्धि और उपज के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से तीन हवा और पानी से प्राप्त किए जाते हो। शेष 14 पोषक तत्वों की आपूर्ति पौधों को पानी में घुलनशील उर्वरक के माध्यम से की जाती है । इन 14 पोषक तत्वों को मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । मैक्रो पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल हो। सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरॉन, आयरन, मोगनीज, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम शामिल हो।

एरोपोनिक्स

यह पौधों के उगाने की एक उन्नत विधि है, जिसमें पौधों को हवा में जड़ों के साथ लटका दिया जाता है और फोगरधुंध के रूप में पोषक तत्वों और नमी की आपूर्ति एक निश्चित समय के साथ दिया जाता है। कक्ष में उगने वाले पौधों कीजड़ें पैनल के ठीक नीचे मध्यहवा में होती हो और एक छिड़काव बॉक्स के अंदर संलग्न होती हो। एक टाइमर यह सुनिश्चित करता है कि पंपहर कुछ मिनटों में धुंध (पानी/पोषक तत्व घोल) का एक नया स्प्रे प्रदान करता है। यह तकनीक आमतौर पर आलू या लहसुन जैसी अन्य सब्जियों के रोग मुक्त बीज उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ न्यूनतम स्थान का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाना है। रूटमिस्ट तकनीक और फॉग फीड तकनीक दो महत्वपूर्ण एरोपोनिक तकनीकें हो।

गौ आधारित सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती

चन्दन सिंह* एवं लाल पंकज कुमार सिंह**

भारत में हरित क्रांति के नाम पर अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों, हानिकारक कीटनाशकों, हाईब्रिड बीजों एवं अधिकाधिक भूजल उपयोग से भूमि की उर्वराशक्ति, उत्पादन, भूजल स्तर और मानव स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आई है। किसान, बढती लागत एवं बाजार पर निर्भरता के कारण खेती छोड रहे हैं और आत्महत्या करने तक विवश हो रहे हैं। बाद में आई विदेशी तकनीकी, जैविक खेती (वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट, बायोडायनामिक) भी जटिल होने के कारण अन्ततः किसानों को बाजार पर निर्भर बनाती है। अतः आवश्यकता है ऐसी कृशि पद्धति की जिसमें किसान को बार–बार बाजार न जाना पडे और उत्पादन न घटे। खेत उपजाऊ बने रहें व मानव रोगी न बनें, वह है भारतीय प्राकृतिक खेती जिसमें खेत के लिए कुछ भी बाजार से नहीं खरीदना है। सिर्फ एक देशी गाय पालना है।

ध्यान देने योग्य बातें:–

- प्राकृतिक कृषि में देशीबीज ही प्रयोग करें। हाईब्रिड बीजों के अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे।
- प्राकृतिक कृशि में भारतीय नस्ल का देशी गोवंश ही प्रयोग करें। जर्सी, होलस्टीन या विदेशी नस्ल हानिकारक है।
- पौधों व फसल की पंक्ति की दिशा उत्तर दक्षिण हो। दलहन फसलों की सह फसल करनी चाहिए।
- वर्मीकम्पोस्ट बनाने में जो आईसीनिया फोटिडा नामक जंतु प्रयोग होता है वह केचुआ नहीं है।
- यदि किसी दूसरे स्थान पर बनाकर खाद (कम्पोस्ट) लाकर खेतों डाला जायेगा तो मिट्टी में पाये जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु निश्क्रिय हो जायेंगे। पौधों का भोजन जड के निकट ही बनना चाहिए। तब भोजन लेने के लिए जडें दूर तक जायेंगी। लंबी व मजबूत बनेंगी। परिणामस्वरुप पौधा भी लंबा व मजबूत बनेगा।

सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का आधार व प्राकृतिक व्यवस्था

प्रकृति में सभी जीव एवं वनस्पतियों के भोजन की एक स्वावलंबी व्यवस्था है जिसका प्रमाण है कि बिना किसी मानवीय सहायता (खाद, कीटनाशक आदि) के जंगलों में खड़े हरे भरे पेड़ व उनके साथ रहने वाले लाखों जीव जंतु।

पौधों के पोषण के लिए आवश्यक सभी 16 तत्व प्रकृति में उपलब्ध रहते हैं उन्हें पौधों के भोजन रूप में बदलने का कार्य मिट्टी में पाए जाने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु करते हैं इस पद्धति में पौधों को भोजन न देकर, भोजन बनाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता पर जोर दिया जाता है (जीवामृत घनजीवामृत द्वारा)।

पौधों के पोषण की प्रकृति में चक्रीय व्यवस्था है। पौधा अपने पोषण के लिए मिट्टी से सभी तत्व लेता है। फसल के पकने के बाद काश्ट पदार्थ (कूड़ा–करकट) के रूप में मिट्टी में मिलाकर, अपघटित होकर मिट्टी को उर्वराशक्ति के रूप में लौटाता है।**देशी गाय का कृषि में महत्व**

एक ग्राम देशी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ उपरोक्त सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। गाय के गोबर में गुड एवं अन्य पदार्थ डालकर किण्वन से सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाकर तैयार किया जीवामृत/घनजीवामृत जब खेत में पडता है, तो करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु भूमि में उपलब्ध तत्वों से पौधों का भोजन निर्माण करते हैं।

देशी केंचुआ का कृषि में महत्व

केंचुआ मिट्टी, बालू पत्थर (कच्चा व चूना) खाता हुआ 15 फुट गहराई तक भूमि के नीचे जाता है नीचे से पोषक तत्वों को ऊपर लाता है तथा पौधे की जड़ के पास अपनी विश्टा के रूप में छोड़ता है जिसमें सभी आवश्यक तत्वों का भंडार होता है केंचुआ जिस छिद्र से नीचे जाता है कभी उस छिद्र से ऊपर नहीं आता है

*वि0व0वि0 (मृदा विज्ञान), **वि0व0वि0 (फसल सुरक्षा), कृषि विज्ञान केन्द्र, पिलखी, मऊ,

विज्ञापन

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जनपद–वाराणसी

उद्यान विभाग द्वारा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत बागवानी, शाकभाजी, पुष्प, मसाला एवं औषधि पौधों की खेती पर अनुदान सहायता (डी0बी0टी0) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से प्रदान कर औद्यानिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि कराकर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में गुणात्मक वृद्धि एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है।

प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण

1. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन**
2. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।**
3. **गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना (नमामि गंगे)।**
4. **अनुसूचित जाति एवं जनजाति के औद्यानिक विकास की योजना।**
5. **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना।**
6. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पान की खेती के प्रोत्साहन की योजना।**

विशेष जानकारी एवं योजना में अनुदान के लिये जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी कार्यालय में सम्पर्क करें।

जिला उद्यान अधिकारी
वाराणसी।

रेशम कीटपालन की उन्नत तकनीकी

इस उद्योग की मुख्य शाखायें निम्नवत है 1. शहतूत की खेती 2. रेशम कीटपालन एवं कोया उत्पादन 3. रेशम धागाकरण

शहतूत की खेती हेतु मुख्य रूप से शहतूत पौध का वृक्षारोपणी कृषक अपने खेत पर 3 गुणा 3 फीट पर बुशनुमा या 6 गुणा 6 फीट पर वृक्षनुमा शहतूत पौध तैयार कर एक साल के बाद रेशम कीटपालन कोया उत्पादन कर सकते हैं। शहतूत की खेती हेतु बलुई दोमट भूमि उपयुक्त होती है। वैज्ञानिक विधि से रेशम कीटपालन का कार्य मुख्य रूप से वर्ष में चार बार करते हुए एक साल में तीन साल बाद शहतूत पौध से रूपये 80000.00 से 100000.00 तक कमा सकते हैं। शहतूत के पौध का एक बार रोपण करने से 20–25 वर्ष तक गुणवत्तायुक्त शहतूत की पत्ती प्रापत कर कीटपालन कर सकते हैं। शहतूत की खेती में वर्ष में दो बार कल्चरल आपरेशन जैसे शहतूत पौध की कटाई–छटाई, गुड़ाई, घास निकालना, खाद डालना सिंचाई करना पड़ता है। वर्ष में चार बार फसल लेते हैं 1. 20 फरवरी से 20 मार्च 2. 20 मार्च से 20 अप्रैल 3. 20 अगस्त से 20 सितम्बर 4. 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। रेशम कीट को कृषक अपने घर पर 15–20 दिन पालता है। इस उद्योग में महिलाओं की सहभागिता ज्यादा रहती है। यह उद्योग खाली समय में किया जाता है। शहतूत की खेती के साथ सह फसली खेती भी कर सकते हैं। जैसे दलहनी फसल, मेडिसिनल प्लांट, सब्जियों की खेती, जिसमें कीटनाशक का प्रयोग न हो। रेशम कीट का पूरी जीवन चक्र 25–28 दिन का होता है। कीटपालन हेतु 25–30 से.ग्रे. तापमान तथा 80–85 प्रतिशत आर्द्रता की आवश्यकता होती है। रेशम का कीट 48–72 घण्टे में जब कीट पक जाता है तो कोकून बनाने लगता है। रेशम कोया की तीन जातियां होती हैं। 1. बाई वोल्टीन 2. मल्टी वोल्टीन 3. निस्त्री।

विभाग द्वारा कृषकों को रेशम कीटपालन में सहयोग भी किया जाता है।

1. रूपये 1.50 प्रति पौध की दर से शहतूत पौध उपलब्ध कराना। 2. रूपये 0.50 प्रति डीएफएल्स की दर से रेशम कीट उपलब्ध कराना।
3. कीटपालन हेतु कीटपालन गृह निर्माण में अनुदान। 4. कीटपालन हेतु कीट पालन उपकरण पर अनुदान।
5. केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार व राज्य सरकार की संस्था में निःशुल्क प्रशिक्षण।

रेशम कीटपालन की विस्तृत जानकारी हेतु जनपदों में स्थापित उप निदेशक (रेशम)/सहायक निदेशक रेशम के कार्यालय या जनपद में स्थापित रेशम फार्म के तकनीकी केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।

(रामानन्द मल्ल)
उप निदेशक (रेशम), गोण्डा–परिक्षेत्र, रेशम विकास विभाग–गोण्डा, (उ.प्र.)

भूमि में दिन–रात करोड़ों छिद्र कर भूमि की जुताई कर मुलायम बनाता है इन्हीं छिद्रों से पूरा वर्षा जल भूमि में संग्रहित होता है

सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कृषि के प्रयोग

1–जीवामृत (बीज शोधन)

5 किलो0 गोबर, 5 लीटर देशी गाय का गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, एक मुट्ठी जीवाणुयुक्त मिट्टी, 20 लीटर पानी में मिलाकर 24 घंटे रखें। दिन में दो बार लकड़ी से घोलें। इसे 100 किलोग्राम बीजों पर उपचार करें । छांव में सुखाकर बुवाई करें।

2–जीवामृत

जीवामृत सूक्ष्म जीवाणुओं का महासागर है, जो पेड़ पौधों के लिए कच्चे पोषक तत्वों को पकाकर पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं।

देशी गाय का गोमूत्र 5 से 10 लीटर, देशी गाय का गोबर 10 किलो0, गुड़ 1 से 2 किलो0, दलहन आटा 1 से 2 किलो0, एक मुट्ठी जीवाणु युक्त मिट्टी (100 ग्राम) पानी 200 लीटर मिलाकर, ड्रम को जूट की बोरी से ढककर छाया में रखें। सुबह शाम डंडा से घड़ी की सुई की दिशा में घोलें। 48 घंटे बाद छानकर 7 दिन के अंदर प्रयोग करें।

जीवामृत प्रयोग विधि

एक एकड़ में 200 लीटर जीवामृत पानी के साथ टपक विधि से या धीमे धीमे बहा दें। छिड़काव विधि से पहला छिड़काव बुवाई के एक माह बाद एक एकड़ में 100 लीटर पानी 5 लीटर जीवामृत मिलाकर दें। दूसरा छिड़काव 21 दिन बाद एक एकड़ में 150 लीटर पानी व 10 लीटर जीवामृत मिलाकर दें। तीसरा और चौथा छिड़काव 21–21 दिन बाद 1 एकड़ में 200 लीटर पानी व 20 लीटर जीवामृत मिला कर दें। आखरी छिड़काव दाने को दूध की अवस्था में प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 5 से 10 लीटर खट्टी छाछ यानी मट्ठा मिलाकर छिड़काव करें।

3– घनजीवामृत

घनजीवामृत जीवाणु युक्त खाद है जिसे बुवाई के समय या पानी के 3 दिन बाद भी दे सकते हैं। गोबर 100 किलोग्राम, गुड 1 किलोग्राम, आटा दलहनी 1 किलोग्राम, जीवाणुयुक्त मिट्टी 100 ग्राम उपर्युक्त सामग्री में इतना गोमूत्र (लगभग 5 लीटर) मिलाएं जिससे हलवा या पेस्ट जैसा बन जाए, इसे 48 घंटे छाया में बोरी से ढक कर रखें। इसके बाद छाया में ही फैला कर सुखा लें, बारीक करके बोरी में भरें। इसका 6 माह तक प्रयोग कर सकते हैं। एक एकड़ में एक कुंटल तैयार घनजीवामृत देना चाहिए।

आच्छादन (मल्चिंग)– भूमि को ढकना

देशी के केंचुआ एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के कार्य करने के लिए आवश्यक **"सूक्ष्म पर्यावरण"** एवं भूमि की नमी को सुरक्षित करने हेतु भूमि को ढका जाता है । सूक्ष्म पर्यावरण का आशय है कि पौधों के बीच हवा का तापमान 25 से 32 डिग्री, नमी 65–72 प्रतिशत व भूमि सतह पर अंधेरा होना चाहिये।

जब हम भूमिका काश्ठ पदार्थों से या अन्य प्रकार से आच्छादन करते हैं, तो सूक्ष्म पर्यावरण का निर्माण होता है वह देशी केंचुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं को उपयुक्त वातावरण मिलता है एवं भूमि की नमी का वाश्पन नहीं हो पाता है। बाद में काश्ठआच्छादन भूमि में अपघटित होकर उर्वराशक्ति का निर्माण करता है। सहफसलों द्वारा भी भूमि को सजीव आच्छादन के द्वारा ढका जा सकता है।

वापसा– पौधों के जड़ में जल पहुॅचाना

जड़ें सीधे पानी न लेकर मिट्टी कणों के बीच वापसा (50 प्रतिशत हवा व 50 प्रतिशत वाश्प) को लेती हैं। ऊंचे तैयार बेड पर फसलों को नालियों द्वारा पौधों की सिंचाई वापसा के रूप में उपलब्ध कराने से पानी बहुत कम लगता है नालियों को भी आच्छादन से ढक दिया जाता है, जिससे वाश्पन न हो।

बहुफसली पद्धति– फसल चक्र

उचित मिश्रित फसलों को लेने पर फसलों की जड़े सहअस्तित्व के आधार पर रोगों एवं कीटों से बचाव तथा प्राकृतिक संसाधनों (नाइट्रोजन, प्रकाश, जल, क्षेत्र आदि) का बंटवारा कर लेती हैं। एक दलीय के

साथ दो दलीय, दलहन के साथ अनाज व तिलहन, गन्ना के साथ प्याज व सब्जियां, पेड़ों की छाया में हल्दी, अदरक, अरबी जैसे प्रयोगों से भूमि को नाइट्रोजन स्वतः प्राप्त हो जाती है।

फफूंद नाशक फंगीसाइड

200 लीटर पानी में 5 लीटर खट्टी छाछ/मट्ठा (3 दिन पुरानी) मिलाकर छिड़काव करें यह विषाणु नाशक भी है।

फसल सुरक्षा कीट प्रबंधन

1– नीमास्त्र (रस चूसने वाले कीड़े, छोटी सुण्डी/इल्लियॉ होने पर नियंत्रक)

- 5 किलोग्राम नीम की पत्ती या फल।
- देशी गाय का गौमूत्र 5 लीटर।
- 1 किलोग्राम देसी गाय का गोबर।
- 100 लीटर पानी लें।

नीम की पत्ती और सूखे फलों को कूटकर पानी में मिलाएं तत्पश्चात देशी गाय का गोबर और गौमूत्र मिला लें। मिश्रण को 48 घंटे बोरे से ढककर छाया में रखें, सुबह शाम लकड़ी से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, कपड़े से छानकर फसल पर छिड़काव करें।

2–अग्नि अस्त्र (रस चूसने वाले कीड़े, छोटी सुंडी/इल्लियॉ होने पर नियंत्रक)

- 20 लीटर देशी गाय का गोमूत्र।
- नीम के पत्ते 5 किलोग्राम।
- तंबाकू पाउडर 500 ग्राम।
- 500 ग्राम तीखी हरी मिर्च की चटनी।
- 500 ग्राम देसी लहसुन की चटनी।

कुटे हुए नीम के पत्ते व अन्य सामग्री गोमूत्र में मिलाकर धीमी आंच पर एक उबाल आने तक उबालें। मिश्रण को 48 घंटे तक छाया में रखें व सुबह शाम घोलें। इसे कपड़े से छानकर 6 से 8 लीटर घोल 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल पर छिड़काव करे। इसें 3 माह के अंदर ही प्रयोग कर लें।

3– ब्रह्मास्त्र (बड़ी सुण्डियों या इल्लियों के नियंत्रक)

- 10 लीटर देशी गाय का मूत्र।
- नीम के पत्ते 5 किलोग्राम।
- अमरूद, पपीता, आम, अरंडी की चटनी 2–2 किलोग्राम।

इन वनस्पतियों कोई चटनी को गौमूत्र में मिलाकर धीमी आंच पर एक उबाल आने तक उबालें। इसके बाद 48 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दें। ढाई–तीन लीटर घोल को 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल पर छिड़काव करें। घोल का प्रयोग 6 माह तक किया जा सकता है।

4–दशपर्णी अर्क (सभी प्रकार की सुंडी/इल्लियों के नियंत्रक)

- 200 लीटर पानी।
- देशी गाय का गोबर 2 किलोग्राम।
- वनस्पतियां नीम, करंज, अरंडी, सीताफल, बेल, गेंदा, तुलसी, धतूरा, आम, मदार, अमरुद, अनार, कड़वा करेला, गुड़हल, कनेर, अर्जुन, हल्दी, अदरक, पवाड, पपीता इनमें से किन्हीं 10 के दो–दो किलोग्राम पत्ते।
- 500 ग्राम हल्दी पाउडर।
- 500 ग्राम अदरक की चटनी।
- 10 ग्राम हींग पाउडर।
- एक किलोग्राम तंबाकू।
- एक किलोग्राम हरी मिर्च की चटनी।
- एक किलोग्राम देसी लहसुन की चटनी।

इन सब को मिलाकर लकड़ी से अच्छे से घोलें, बोरी से ढक कर छाया में 30 से 40 दिन रखें व दिन में दो बार घोल को हिलाए, इसके बाद कपड़े से छानकर इसका भंडारण करें। 6 माह तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 6 लीटर दशपर्णी अर्क मिलाकर प्रयोग करें।

औद्यागिक विकास योजना (राज्य सेक्टर)

1– कद्दू वर्गीय फसल अनुदान–रू0 37500 प्रति हे0

2–मसाला क्षेत्र विस्तार कायक्रम

क–लहसुन–	अनुदान–रू0 27,000 प्रति हे0
ख–धनिया–	अनुदान–रू0 27,000 प्रति हे0

3–पुष्प विकास कार्यक्रम

गेंदा–	अनुदान–रू0 36, 000 प्रति हे0
4–शिमला मिर्च–	अनुदान–रू0 37, 500 पति हे0
5–मसालाा मिर्च–	अनुदान–रू0 27, 000 पति हे0
6–आई0पी0एम0–	अनुदान–रू0 36, 000 पति हे0

राज्य आयुष मिशन

1–अश्वगन्धा–	अनुदान–रू0 10, 980 पति हे0
2–कालमेघ–	अनुदान–रू0 10, 980 पति हे0
3–सतावर–	अनुदान–रू0 27, 450 पति हे0
4–एलोवेरा–	अनुदान–रू0 27, 670 पति हे0
5–तुलसी–	अनुदान–रू0 11, 000 पति 22 हे0

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें–

1–कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, गाजीपुर किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी

गाजीपुर

INDOCERT
सोच बदलो, किस्मत बदलेगी
PARLE
किसान भाईयों के लिए
पारले के उत्कृष्ट विश्वसनीय उत्पाद
पोटाश
जैविक खाद
फॉस
Harit+
पोटाश
गन्ना
सल्फर
ZINC
PARLE BIOCARE LLP
A Division of Biofertilizers and Organic Products

उन्नत किसान
उन्नत किसान एग्रो इण्डस्ट्रीज
मनोज इण्टरप्राइजेज
ब्रांच ऑफिस : नेक्सा शोरूम के बगल में, एन.एच. 2, पिलख्तर, इटावा (उ.प्र.) 206001
हैड ऑफिस : 73/74 विकास कॉलोनी भाग 2, मारुती शोरूम के बगल वाली गली
पक्का बाग, इटावा (उ.प्र.) 206001
7906694356
7455008868
7007577391

प्रभारी अधिकारी

कृषि विज्ञान केंद्र, पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर

VISION & MISSION

VISION

"Manufacturing High quality instruments, Bio-Based and organic Based products that will satisfy the customer (Farmers) and environmental sustainability" Adopting the modern technologies and expanding our business worldwide.

MISSION

- To **serve the farming community** with the highest grade of Inputs for sustainable agriculture.
- To provide comprehensive agricultural solutions with quality organic input for eco friendly environment and the farmers0
- **Business partnerships** and **customer relationship** through outstanding products, services and long term relationships.

Parashar Agrotech - Quality Control Center

Manufacturing Facilities

Certificate of Technologies

फसल अवशेषों से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ायें और लाभ कमायें
फसल अवशेषों को खेत में मिलाने से मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है।
किसान के खाद के खर्च पर करीब दो हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की बचत होती है।
फसल अवशेष कभी न जलायें
फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण फैलता है। जहरीली गैसों से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है।
• किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी यथा सुपर स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर/ सुपर सीडर, पैडी स्ट्रो चोपर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, कटर स्प्रेडर, रिवर्सेबल एम बी प्लाऊ, रोटरी स्लेशर, जीरो टिल सीड कम फर्टी ड्रिल खरीदने हेतु 50% तक अनुदान.
• फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्र/ फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु 80% तक अनुदान.
• फसल अवशेषों को यथा स्थान खेत में सड़ाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर कृषि विभाग के राजकीय कृषि बीज भण्डार पर निशुल्क उपलब्ध है.
अधिक जानकारी के लिये जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें
सीडर
मल्चर
पैडी स्ट्रो
रिवर्सेबल प्लाऊ
मा० श्री सूर्य प्रताप शाही
मंत्री -कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
मा०श्री बलदेव सिंह औलख
राज्यमंत्री-कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
उत्तर प्रदेश
कृषि विभाग, जनपद- गोण्डा

एफ0पी0ओ0 से जुडकर किसान भाई पायें अपनी उपज का अधिकतम मूल्य

अनिल कुमार* एवं ए0पी0 राव**

आज यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि खेती घाटे का उद्यम है। अब प्रश्न उठता है कि बाजार में तो खाने पीने की वस्तुए जो बिकती हैं काफी महंगी होती हैं और बनती किसान द्वारा किये गये उत्पादन से ही है, फिर भी किसान भाइयों को अपने उत्पादन का लाभ क्यों नहीं मिलता है? इसका उत्तर है कि हमारे किसान भाई उत्पादक तो हैं लेकिन वह जागरूक होकर अभी उद्यमी या व्यवसायी नहीं बने हैं। खेती–बाडी में केवल अच्छा उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त कर लेना किसान की आर्थिक समृद्वि की गारंटी नहीं होती है। किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उत्पादन के बाद समुचित भण्डारण, मूल्य संवर्द्धन के लिए सफाई, छनाई, श्रेणी करण, प्रसंस्करण जैसे Fresh, Frozening, Drying, Powdering, Canning, Labelling और विपणन व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। इसलिए किसानों को कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से संगठित होने की आवश्यकता है।

एफ0पी0ओ0 का गठन कंपनी एक्ट के प्राविधानों के तहत किया जाएगा। अतः एफ0पी0ओ0 को कंपनी एक्ट में पंजीकृत होने के सभी फायदे मिलेंगे यह संगठन कम्पोजिट पालिटिक्स से बिल्कुल ही अलग होगा। यह संगठन कृषि उत्पादन कार्य में संम्मिलित हो तथा कृषि से जुडी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता हो एवं समूह बनाकर कंपनी एक्ट में पंजीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2019–20 में केन्द्र सरकार द्वारा 5000 करोड की आर्थिक सहायता देकर कृषकों को समृद्ध बनाने की योजना बनाई गयी है। वर्श 2020–21 में कुल 10000 एफ0पी0ओ0 के गठन की मंजूरी दी गयी थी।

<u>किसान को खेती बाड़ी में आने वाली प्रमुख समस्यायें निम्न हैंः–</u>

1. किसानों के पास–छोटी–छोटी जोत हैं आने वाले समय में पीढी दर पीढी ये जोते और छोटी होती जायेंगी। छोटी जोत के कारण खेती बाडी के लिए सभी व्यवस्थाये करने में कठिनाई आती हैं।
2. किसान के पास सीमित आर्थिक संसाधन या पूंजी की कमी के कारण सभी निवेशों की समय पर व्यवस्था करना कठिन होता है।
3. स्थानीय स्तर पर भण्डारण, मूल्य संवर्द्धन एवं प्रसंस्करण की सुविधा का अभाव।
4. उत्पादन बिक्रय के लिए बिचौलियों पर निर्भरता एवं बाजार की समझ का अभाव।
5. किसान तक बाजार भाव संबन्धी सूचना एवं तकनीकी का न पहुॅच पाना।

बड़ी बड़ी कम्पनियों (कोकाकोला, वालमार्ट, स्पेन्सर आदि) जो अपने देश में व्यापार करती है, का नाम सुना होगा। ये सारी कम्पनियां भारत सरकार द्वारा बनाये गये कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत संचालित होती हैं और भारत सरकार के कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस कम्पनी अधिनियम के अर्न्तगत सरकार द्वारा अपने किसानों को भी अपनी स्वयं की कम्पनी बनाकर व्यवसाय करने का अवसर प्रदान किया गया है। आवश्यकता है कि इन किसानों को संगठित करके उनकी इन समस्याओं का निदान किया जाये ''कृशक उत्पादक संगठन'' (फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन) इसी कड़ी में एक प्रयास है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो अब किसान हमारा उत्पादक ही नहीं अपितु वह किसान के साथ–साथ व्यापरी के रूप में स्थापित हो सकता है।

कृषक उत्पादक संगठन ''कम्पनी अधिनियम, 1956'' के अर्न्तगत् एक पंजीकृत संस्था है। जिसके निश्चित उद्देश्य और गतिविधियां होती हैं। हमारे किसान भाई कैसे अपनी स्वयं की फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक चरणबद्व प्रकिया अपनानी होती है। सबसे पहले उनको छोटे–छोटे फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप या उत्पादक समूह बनाने की जरूरत होती है। उत्पादक समूह एक ऐसे किसानों का समूह है जो एक समान उत्पादन कर रहे हैं। जैसे कई कृषक अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल–फूल उत्पादन, मुर्गी पालन, पशुपालन, मछलीपालन आदि कार्य में संलग्न है। एक ही प्रकार की गतिविधियों से जुडे हुए कृषक जो कार्य कर रहे हैं उनका उत्पादक समूह बनाया जा सकता है। समूह के सारे सदस्य मिलकर के कृषि निवेश व्यवस्था, उत्पादन, भण्डारण और उत्पाद बेचने का कार्य करेगे और इन समूहों के

*विषय वस्तु विशेषज्ञ (प्रक्षेत्र प्रबन्धन), **निदेशक प्रसार, प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

गठन और संचालन के लिए कुछ सामान्य से नियम बना लेने चाहिए जैसे– उनकी नियमित बैठक करना, बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना, समूहों के व्यय का ब्योरा रखना, बचतों को इकट्ठा करना और उसको बैंक में जमा करना। इस तरह से उत्पादक समूह अपनी गतिविधियां संचालित कर सकेगे।

इस प्रकार 10–15 कृषक परिवारों को लेकर एक कृषक उत्पादक समूह बनाया जा सकता है और इस प्रकार के चार–पॉच या इससे अधिक समूह एक गॉव में बनाये जा सकते है। इस प्रकार से 15–20 ग्रामों में ऐसे समूह बनाकर लगभग 1000 किसानों को इकट्ठा किया जा सकता है और इन 1000 किसानों की संख्या होने के बाद एफ0पी0ओ0 के गठन की ओर आसानी से कदम बढाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि संख्या 1000 ही हो यह संख्या कम अथवा अधिक भी हो सकती है। लेकिन जितनी ज्यादा संख्या हो संगठन के लिए उतना ही अच्छा रहता है। सभी उत्पादक समूहों की एक बैठक करके प्रत्येक सदस्य को शेयर होल्डर अथवा् अंश धारक बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अर्थात प्रत्येक कृषक सदस्य को कुछ धनराशि एफ0पी0ओ0 के गठन के लिए अंश के रूप में जमा करनी होती है। इस प्रकार से 1.5 से 5 लाख रू0 की धनराशि जमा करना एफ0पी0ओ0 के पंजीकरण के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात् एफ0पी0ओ0 के गठन के लिए न्यूनतम 10 या अधिक कृशक संगठन इकट्ठा करके कृषकों की कम्पनी को बनाया जा सकता है।

फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन एवं पंजीकरण :– कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581 सी में फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन एवं पंजीकरण के प्राविधान वर्णित है फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी बनाने की चरणबद्ध प्रक्रिया को बिन्दुवार निम्नवत् समझा जा सकता है:–

10 या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर जो उत्पादक हो या किसी दो या दो से अधिक उत्पादक संस्थान अथवा 10 या अधिक व्यक्तियों अथवा उत्पादक संस्थानों द्वारा मिलकर बनाए गए एफ0पी0ओ0 के पंजीकरण हेतु न्युनतम मूलभूत आवश्यकतायें हैं:–

- 10 चयनित सदस्य जिनमें 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सम्मिलित है। न्यूनतम प्रदत्त पूॅजी (च्पक नच बंचपजंस) एक लाख रूपये। प्रत्येक चयनित सदस्य को लगभग 100 कृशकों का समर्थन प्राप्त हो।
- कम्पनी के नामित निदेशक मण्डल के सदस्यों के पैन एवं आधार की प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- कृशि जन्य आय का तहसीलदार/एस0डी0एम0 या जिला कृशि अधिकारी/उप कृशि निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- प्रस्तावित कम्पनी के कार्यालय का पता सम्बन्धी साक्ष्य (बिजली/टेलीफोन बिल/रजिस्ट्री/किराया एग्रीमेन्ट की प्रति आदि)
- निदेशक मण्डल के सदस्यों का पूर्ण विवरण। (नाम, पता, आयु, शैक्षिक योग्यता आदि तथा उनका न्यूनतम 25 सेकेण्ड का वीडियो।)
- कम्पनी का प्रस्तावित नाम (न्यूनतम 03 नाम प्रस्तावित करने होंगे।) पंजीकरण प्रक्रिया पंजीकृत कराने के लिए योग्य चार्टड एकाउन्टेन्ट/कम्पनी सचिव की आवश्यकता होती है।
- पंजीकृत की जाने वाली कम्पनी/एफ0पी0ओ0 के कार्यालय का भारत में पता।
- निदेशक मण्डल के सदस्यों की बैंक पासबुक की फोटो प्रतियॉ।
- निवेशकों/अन्य सदस्यों का विवरण।

पंजीकृत की चरणबद्ध प्रकिया निम्नवत् होती है:–

- FPC के नाम के अनुमोदन हेतु ROC में प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाना।
- 10 BOD/Promoter के लिए डिजिटल सिग्नेचर कापी हेतु प्रार्थना पत्र।
- कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एशोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन तैयार करना।
- निदेशको की सहमति का पत्र
- सी0ए0/सी0एस0 के हस्ताक्षर से स्पाइस+) के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन करना।
- FPC/FPO का पंजीकरण कराने के लिए दस्तावेज तैयार करना चार्टेड एकाउन्टेन्ट की फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि में लगभग 40,000 रू0 व्यय आता है।

<u>आवेदन के उपरान्त कम्पनी को पंजीकृत करते हुए निम्न दस्तावेज कम्पनी के लिए जारी किये जाते है।</u>

1. कम्पनी के पंजीकरण का प्रमाणपत्र (Incorporation Certificate)।

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

जनपद अयोध्या के वर्ष 2022-23 के विभिन्न औद्यानिक विकास कार्यक्रम करने हेतु इच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं, योजना के लाभ हेतु कृषकों का www.dbt.horticulture.com पर ऑन लाईन पंजीकरण अनिवार्य है, पंजीकरण हेतु सम्बन्धित अभिलेख यथा-फोटो, खतौनी, बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं आधारकार्ड के साथ किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा साइबर कैफे, ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकरण उपरान्त वांछित अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त लाभ "प्रथम आवक-प्रथम पावक" के सिद्धान्त पर देय होगा तथा अनुमन्य अनुदान का भुगतान काइन्ड डी0बी0टी0/डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

क्र0	योजना/कार्यक्रम का विवरण	इकाई लागत रू0 में	अनुदान :	भौतिक लक्ष्य है0
1	**एकीकृत बागवानी विकास मिशन**			
अ	नान-पेरिनियल टिश्यूकल्चर केला	102462	40 %	55.00
ब	नान-पेरिनियल पपीता	61655	50 %	7.00
स	पेरिनियल-आम एवं अमरूद (विरल)	25500/38340	40 %	5.00
द	पेरिनियल-आम एवं अमरूद नीबू (सघन)	41000//73330//9996	40 %	13.00
य	पुष्प क्षेत्र विस्तार-गेंदा (लघु सीमान्त)	4000	40 %	26.00
र	मसाला क्षेत्र विस्तार-प्याज	30000	40 %	30.00
ल	संकर शाकभाजी	50000	40 %	63.00
व	कमलम (ड्रैगन फ्रूट)	125000	40 %	125.00
श	स्ट्राबेरी	125000	40 %	5.00
ष	आंवला, बेल	60000	50 %	6.00
2	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**			
	ड्रिप			
अ	10X10 मी0	30109	80 से 90 %	15.00
ब	6X6 मी0	39890	80 से 90 %	15.00
स	2X2 मी0	95547	80 से 90 %	10.00
द	1.5X1.5 मी0	111832	80 से 90 %	10.00
य	1.8X0.6 मी0	105295	80 से 90 %	256.00
र	1.2X0.6 मी0	146626	80 से 90 %	138.00
3	पोर्टेबल स्प्रिंकलर	27823	65 से 75 %	400.00
4	माइक्रो स्प्रिंकलर	85398	80 से 90 %	110.00
5	मिनी स्प्रिंकलर	119454	80 से 90 %	25.00
6	रेनगन	43846	65 से 75 %	100.00

इच्छुक कृषक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

(भूषण प्रसाद सिंह)
अधीक्षक,
राजकीय उद्यान
अयोध्या

2. कम्पनी का DIN (Director Identification Number)।
3. परमानेन्ट एकाउन्ट नम्बर (PAN)
4. टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर (TAN)
5. कर्मचारी भविश्य निधि (EPF)
6. कर्मचारी बीमा (ESI)
7. कम्पनी का बैंक खाता संख्या (अनन्तिम) पंजीकरण उपरान्त कार्यवाही–
8. कम्पनी के कार्यालय की स्थापना, आफिस के बोर्ड सहित ।
9. शेयर आवंटन हेतु ROC का प्रार्थना पत्र।
10. 30 दिन के अन्दर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली बैठक।
11. कम्पनी की सामान्य सभा की बैठक एवं आडिटर की नियुक्ति 90 दिनों के अन्दर।
12. आडिटर की नियुक्ति के लिए फार्म ADT-1 पर आवेदन। जी0एस0टी0 के लिए आवेदन।

नाबार्ड एवं केन्द्र सरकार से आर्थिक अनुदान प्राप्त करने की भार्ते

1. मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 300 किसान जुडे हों। पहाडी क्षेत्रों के लिए सदस्यों की संख्या 100 होने चाहिए पूर्व में यह संख्या 1000 थी।
2. 10 कृशकों का बोर्ड की सदस्यता प्रत्येक सदस्य से कम से कम 30 सदस्य जुडे हो मैदानी क्षेत्रों की तथा 10 सदस्य जुडे हो पहाडी क्षेत्रों में।
3. नाबार्ड कंसलटेंसी सर्बिसेज एफपीओ के कार्य कुशलता को ध्यान में रखकर उनके कार्यों की रेटिंग करेंगे, जो अन्ततः नाबार्ड से ग्रान्ट प्राप्त करने के सहायक होगी।
4. एफ0पी0ओ0 के विजनेस प्लान को अध्ययन कर यह जाना जा सकता है कि क्या यह कंपनी अपने कृशकों को लाभान्वित कर पा रही है अथवा नहीं जिन भी कृशकों द्वारा समूह एफ0पी0ओ0 बनाया है उनके उत्पाद को बाजार तक पहुॅचाने में सफल है अथवा नहीं।
5. कंपनी का गवर्नेंश कैसा है बोर्ड आफ डायरेक्टर सिर्फ कागजो/पन्नों पर है अथवा वो कार्य कर रहे है। जिससे कि बाजार में पहुॅच को सुगम बना रहे है अथवा नहीं।
6. यदि कोई कंपनी अपने से जुडे हुए किसानों के हित के लिए कृशि संबन्धी आवश्यक वस्तुएं/इनपुट आदि की कलेक्टिव खरीद कर रही है अथवा नहीं यदि कर रही है तो उनकी रेटिंग अच्छी हो सकती है। क्योंकि ऐसा करने से कृशकों को इनपुट सस्ते कीमत पर उपलब्ध होगा।

वर्तमान परिस्थितियॉ

राष्ट्रीय अजीविका सहायता संगठन एक्स्प्रेस डेबलपमेंट सर्विसेज द्वारा एफ0पी0ओ0 (एफ0पी0सी0 – एफ0पी0ओ0, कंपनी एक्ट 2013 में पंजीकृत) कंपनी के विश्लेशण से पता चला है। हाल के कुछ सालों में शुरु किए गए एफ0पी0ओ0 की संख्या अधिक थी सहकारी समितियों के रुप में पंजीकृत एफ0पी0ओ0 की संख्या बहुत ही कम थी।

- वर्श 2019 में पी0एम0 द्वारा 1000 एफपीओ बनाने की घेशणा किया था एफपीओ की गतिविधियों में सहयोग करने के लिए धन मुहैया कराने के लिए इक्वीटी अनुदान योजना एवं क्रेडिट गारंटी योजना चलाई गयी थी।
- इक्वीटी अनुदान योजना के अंतर्गत केन्द्रीय और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लघु किसान कृशि व्यवसाय सहायता संघ (एसएफएसी) 2014 से तीन साल की अवधि के भीतर 2 चरणों में अधिकतम 15 लाख रुपए तक की इक्वीटी अनुदान की पेशकश कर रहा है।
- हलांकि बहुत ही कम एसे एफपीओ है जो इस अुदान को हासिल करने की पात्रता रखते है। सितम्बर 2021 तक पिछले सात सालों तक केवल 735 एफपीओ एसे रहे जिन्हें यह अनुदान मिल सका।
- सरकारी नीतियॉ और किसानो की आय 2 गुनी करने की योजना में एफ0पी0ओ0 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक ताजा विश्लेशण में यह पाया गया है कि एफ0पी0ओ0 के लिए गबर्नमेंट फन्ड ग्रान्ट हासिल करना एक बडी चुनौती है।
- स्टेट आफ इंडिया लाइब्लीहुड (एसओआईएल) 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सात वर्षों में केन्द्र सरकार की योना के तहत केवल 1–5 प्रतिशत एफ0पी0ओ0 का ही ग्रान्ट/अनुदान मिल सका है।
- एफ0पी0ओ0 के गठन एवं बढावा देने के लिए अभी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को भी दी गयी है।

दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार-एक प्रमुख भूमिका

विजय चन्द्रा* एवं डी0पी0 सिंह**

भारत का पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन मे प्रथम स्थान होने के बावजूद आज भी दुग्ध उत्पादन प्रति पशु अन्य विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है, इसका मुख्य कारण हमारे पशुओं का क्षमता के अनुरूप दूध न देना, सन्तुलित आहार की कमी, कुपोषण एंव वैज्ञानिक पशु प्रबन्धन का अभाव है, अतः पशु पालक भाई अपने पशुओं को हमेशा पूर्णरूप से संतुलित पोषक आहार दें जो सभी आवश्यक तत्वों कार्बोहाईड्रेड, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि से परिपूर्ण हों।

संतुलित आहार

वह आहार है, जिसमें अमुक पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व ठीक अनुपात एंव उचित मात्रा में उपलब्ध है।

संतुलित आहार क्यों खिलायें

- पशु को स्वस्थ रखने के लिए।
- उत्पादन क्षमता के अनुरूप अधिक दूध प्राप्त करने के लिए।
- दो ब्यॉत के बीच अधिक अन्तराल को कम करने के लिए।
- खनिज लवण, नमक, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा विटामिन की कमी नहीं होन के लिए।
- पशुओं को आहार खिलाते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

1.पशुओं का आहार संतुलित एंव नियमित होना चाहिए। दिन में लगभग दो बार चारा दाना देना चाहिए और इसके मध्य में 8 से 10 घण्टे का अवकाश होना आवश्यक है।

2.पशुओं को स्वच्छ, स्वादिष्ट, पाचक पौष्टिक तथा सस्ता आहार खिलाना चाहिए।

3.पशुओं को जो आहार दिया जाये उसमें विभिन्न प्रकार के चारे–दाने जैसे–भूसा, हरा चारा, दाना इत्यादि शामिल होना चाहिए।

4.चारा भली–भॉति तैयार किया जाना चाहिए, जिससे वह आसानी से पच व रूचिकर बन सके। सख्त दाने जैसे चना, जौ, मक्का, इत्यादि को चक्की से दलवा लेना चाहिए, ताकि पशु को पचाने में सुगमता हो आधिक मुलायम और रोचक बनाने के लिए इन सूखे दानों एंव खली को पशुओं को खिलाने से कुछ देर पूर्व, पानी में भिगो लेना चाहिए, जिससे वे फूलकर स्वादिष्ट बन जायें। सख्त व जड़दार चारे की कुट्टी काटकार पशुओं को खिलाना चाहिए।

5.चारे का प्रकार एकदम बदलना नहीं चाहिए। बदलने के लिए धीर–धीरे थोड़ा चारा पशु को खिलाना चाहिए, ताकि उसकी भोजन प्रणाली पर कोई कुप्रभाव न पड़े।

6.प्रत्येक दूध देने वाले तथा गर्भित पशु को 2 से 4 किग्रा चारा अवश्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुग्धोत्पादन के लिए कुल दूध की मात्रा का लगभग एक तिहाई पौष्टिक मिश्रण पशुओं को खिलाना चाहिए।

7.दाना सदैव पहले खिलाकर बाद में सूखा या हरा चारा पशुओं को देना चाहिए।

8.पशु को कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता का 2/3 भाग सूखे व हरे चारे से बचा हुआ 1/3 भाग पौष्टिक मिश्रण से मिलना चाहिए।

9.यदि पशु के आहार में हरा चारा शामिल हो, तो पौष्टिक मिश्रण में 11–12 प्रतिशत पाचक प्रोटीन होनी चाहिए। इसके विपरीत यदि हरा चारा नहीं है, तो दाने में इसकी मात्रा कम से कम 18 प्रतिशत होनी चाहिए।

10.दुधारू एवं वृद्धि करने वाले पशु यदि चरने नहीं जाते, तो उन्हें दिये जाने वाले 2/3 शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग हरे चारे से देना चाहिए, यदि हरा चारा फलीदार हो, तो यह मात्रा 1/4 होनी चाहिए।

11.दुग्ध उत्पादन हेतु गाय एवं भैंस को क्रमशः 3.0 किग्रा एवं 2.5 किग्रा दूध पर 1 किग्रा दाने का मिश्रण देना चाहिए।

12.दूध उत्पादन हेतु दाने का मिश्रण बनाते समय गेहूँ

*सह–प्राध्यापक (पशु विज्ञान), **वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, बसुली, महराजगंज।
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
जनपद बलरामपुर में संचालित
औद्यानिक विकास की योजनाये वर्ष 2022-23

(पारसनाथ)
जिला उद्यान अधिकारी,
बलरामपुर

1–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
अ– उद्यान रोपण

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य हे0 में	अनुदान प्रति हे0
1	आम रोपण प्रथम वर्ष	100	12750
2	अमरूद्व	05	19170
3	लीची	15	14000

1–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
ब– मसाला कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य हे0 में	अनुदान प्रति हे0
1	मिर्च	40	12000
2	प्याज	200	
3	लहसुन	150	
4	हल्दी	50	
5	धनियां	07	

1–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
स– संकर शाकभाजी कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य हे0 में	अनुदान प्रति हे0
1	शिमला मिर्च	15	20000
2	टमाटर	50	
3	बन्दगोभी	20	
4	फूलगोभी	40	
5	क्द्दूवर्गीय	80	

1–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
द–पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य हे0 में	अनुदान प्रति हे0
1	गेंदा	20	16000
2	ग्लेडियोलस बल्व	25	60000

मधुमख्खी पालन

मधुमख्खी पालन कार्यक्रम में प्रत्येक लाभार्थी को 50 मौनगृह/मौवंशों सहित एवं सहायक उपकरणों के साथ एक यूनिट की स्थापना करायी जाती है, जिसकी इकाई लागत रू0 220000/– प्रति यूनिट का 40 प्रतिशत रू0 88000.00 अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (‘‘ पर ड्राप मोर क्रॉप)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ‘‘ पर ड्राप मोर काप (माइक्रोइरीगेशन) कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के कार्यक्रम सम्पादित किये जाते है योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा इस विधा को अधिक लोकप्रिय करने एवं पानी की बचत किये जाने हेतु मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर में लघु सीमान्त कृषको को इकाई लागत का 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषको को 80 प्रतिशत अनुदान किया जाता है पोर्टेबुल स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम (रिन गन) में लघु सीमान्त कृषको को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषको को 65 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

नोटः– उद्यान विभाग की योजनाओं के लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल www.dbt.uphorticulture.in पर आनलाईन पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त करे। वार्ता प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा।

जिला उद्यान अधिकारी
बलरामपुर

का चोकर 35 भाग, दला हुआ चना 25 भाग,दला हुआ जौ 25 भाग, मूँगफली की खली या सरसों की खली 15 भाग और खनिज मिश्रण 2 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से मिला कर बनाना चाहिए।

13.प्रत्येक पशु को 2 से 2.5 किग्रा शरीर भार पर देना चाहिए। भैंस को 3 किग्रा शुष्क पदार्थ प्रति 100 किग्रा शरीर भार पर दिया जा सकता है।

14.पशुओं को प्रति 100 किग्रा शरीर भार पर 8–10 ग्राम खाने वाला नमक तथा 2 प्रतिशत जीवाणु रहित हड्डी का चूर्ण, खड़िया मिट्टी नित्य देना चाहिए।

15.अधिकतम उत्पादन के लिए व्यक्तिगत आहार देना चाहिए।

16.पशु एक बार में तुरन्त ही जितना चारा खा सकते हों उससे अधिक नहीं देना चाहिए।

17.चारे खिलाने की नॉदे बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें नया चारा या दाना डालने से पूर्व पिछली बची हुई जूठन को बहार निकाल देना चाहिए।

18.दुधारू पशुओं, मुख्यतौर पर गाय, भैसों की दिनचर्या निम्न प्रकार होनी चाहिए।

- प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक –दाना देना तथा सुबह का दूध निकालना।
- प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक –सूखा या हरा चारा खिलाना।
- प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक –चारागाहों पर चराना।
- शाम 2 बजे से 3 बजे तक –पानी पिलाना।
- शाम 3 बजे से 7 बजे तक–दाना देना तथा शाम का दूध निकालना।
- शाम 7 बजे से 8 बजे तक–सूखा व हरा चारा खिलाना।
- रात्रि 8 बजे से रात्रि 4 बजे तक – आराम।

19.चारा देते समय पशु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

20.आहार पचाने हेतु पशु को उसकी इच्छानुसार ताजा जल पिलाना चाहिए।

आहार को अधिक रूचिकर बनाने तथा भोजन को सुचारू रूप से पचाने के लिए पशु को कभी–कभी गुड़ अथवा शीरा भी समुचित मात्रा में खिलाना चाहिए।

उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में कृषकों का पंजीकरण ''ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन'' dbt.uphorticulture.in पर पहले आओ पहले पाओ अनुदान का भुगतान पी.एफ.एन.एस. सिस्टम से डी.बी.टी. से कृषकों के आधार सीडेड खाते में डी.बी.टी./काइन्ड डी.बी.टी. से लागू है। योजनावार विवरण निम्नवत है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक प्रपत्र व्यक्तिगण खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड व खाता संख्या स्पष्ट हो।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र, शपथ पत्र, दो फोटोग्राफ व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रयुक्त प्रपत्रों खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में उपलब्ध करा दें।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन :– योजना के तहत नवीन उद्यान रोपण में केला, पपीता, आम, अमरूद, लाइम एण्ड लेमन्स, बेल फ्रूट, जैक फ्रूट, अंजीर, संकर शाकभाजी कार्यक्रमों में कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट बेस कार्यक्रम के तहत :– पॉली हाउस शेडनेट हाउस मशरूम प्रोडक्शन यूनिट कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट स्पान मेकिंग यूनिट प्याज भण्डार गृह पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज कोडरूम (स्टेगिंग) प्री कूलिंग यूनिट रीफखैन राइपिंग चैम्बर लोकास्ट प्रसंस्करण इकाई प्राइमरी मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर जिस इकाई पर दिशा–निर्देश में जो लागू है अनुदान देय है। कार्यक्रम में व्यय कृषक को स्वयं करना होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित कमेटी के सत्यापनोपरान्त अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते या लोन खाते में ऑनलाइन हस्तानान्तरित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरीगेशन

योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर माइक्र स्प्रिंकलर रेनगन स्प्रिंकलर कृषक अपनी इच्छानुसार उ.प्र. सरकार द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड कम्पनी/फर्म से अपना संवंत्र स्थापित करा सकता है। जियोटैग सत्यापनोपरान्त कृषक की संतुष्टि प्रमाण पत्र उपरान्त अनुदान का भुगतान डीबीटी से कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में पीएफएमएस सिस्टम से किया जाता है।

प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)

योजना के तहत जनपद में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण यथा बेकरी उद्योग चारा उद्योग दाल मिल राइस मिल दुग्ध उत्पादन फल उत्पाद हर्बल उद्योग मशरूम उत्पाद रेडी टू कुक मैगी नूडल्स पास्ता ढोकला दलिया सूजी आदि सोयाबीन आधारित उत्पाद मसाला उत्पाद सब्जी आधारित उत्पाद फ्लोर मिल हनी प्रोसेसिंग अचार मुरब्बा सिरका उद्योग मिठाई उद्योग नमकीन उद्योग आदि खाद्य सम्बन्धित उद्योग हेतु उद्यमियों के परियोजना लागत के 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये प्रति उद्यम योजना सहायता प्रदान की जाती है। उद्यमी अपने प्रोजेक्ट पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। योजना में कृषकों/उद्यमियों की सहायता जनपदीय रिसोर्स पर्सन करेगा।

जिला उद्यान अधिकारी, सुल्तानपुर

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 में उद्यान विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम जनपद-सिद्धार्थनगर

	सामान्य कृषक		अनुसूचित जाति		अनुदान की धनराशि		
कार्यक्रम का नाम	भौतिक हे.सं.	वित्तीय लाख में	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लाख में	प्रथम वर्ष रूपये	द्वितीय वर्ष रूपये	तृतीय वर्ष रूपये
टिश्यूकल्चर केला रोपण	40	12.30	10	3.07	30738	10247	0
आम बाग रोपण 10 गुणा 10	4	0.31	2	0.15	7650	2550	2550
आम बाग रोपण 5 गुणा 5	8	0.79	1	0.10	9840	3280	3280
लीची 10 गुणा 10	2	0.17	0	0	8400	2800	2800
अमरूद बाग रोपण	5	0.58	2	0.23	11502	3834	3834
कटहल	5	0.90	2	0.36	18000	6000	—
आँवला	3	0.54	0	0	16000	—	—
पपीता	5	1.13	2	0.45	22500	7500	—
गेंदा पुष्प लघु/सीमान्त की खेती	10	1.60	5	0	16000	0	—
गेंदा अन्य कृषक	5	0.50	5	0.80	10000	0	—
प्याज	25	3.00	8.00	0.960	12000	—	—
आम/अमरूद/आँवला जीर्णोद्धार	4	0.8	1	0	2000	—	—

नोट :– इच्छुक कृषक http://dbt.uphorticulture.in/ पर अपना पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी चयन प्रथम आवक–प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा तथा अनुदान का अंतरण डी.बी.टी. प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी सिद्धार्थनगर से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला उद्यान अधिकारी, सिद्धार्थनगर

सब मिशन ऑन एग्रीक्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना, कार्यक्षेत्र जनपद बलिया
कृषकों को देय सुविधायें वित्तीय वर्ष 2022-23 कार्यालय उप कृषि निदेशक, बलिया

गतिविधियां	विवरण	व्यय निर्धारण की सीमा	अभ्युक्ति
कृषक प्रशिक्षण	अंतर्राज्जीय	रू. 1250 प्रति कृषक दिवस	औसतन 2 कृषक प्रति विकास खण्ड, 7 दिवसीय
	राज्य के अंदर	रू. 1000 प्रति कृषक दिवस	औसतन 5 कृषक प्रति विकास खण्ड, 5 दिवसीय
	जनपद के अन्दर आवासीय	रू. 400 प्रति कृषक दिवस	औसतन 15 कृषक प्रति विकास खण्ड, 2 दिवसीय
	जनपद के अन्दर	रू. 250 प्रति कृषक दिवस	औसतन 40 कृषक प्रति विकास खण्ड, 1 दिवसीय
प्रदर्शन	कृषि	रू. 4000 प्रति प्रदर्शन एक एकड़	28 प्रदर्शन प्रति विकास खण्ड
	सहयोगी विभाग	रू. 4000 प्रति प्रदर्शन एक एकड़	12 प्रदर्शन प्रति विकास खण्ड
कृषक भ्रमण	अंतर्राज्जीय	रू. 1000 प्रति कृषक दिवस	औसतन 2 कृषक प्रति विकास खण्ड, 7 दिवसीय यात्रा अवधि को छोड़कर
	राज्य के अंदर	रू. 500 प्रति कृषक दिवस	औसतन 10 कृषक प्रति विकास खण्ड, 5 दिवसीय
	जनपद के अन्दर	रू. 300 प्रति कृषक दिवस	औसतन 20 कृषक प्रति विकास खण्ड, 1 दिवसीय
कृषक समूहों का गठन	कैपेसिटी बिल्डिंग	रू. 5000 प्रति समूह 10 से 15 कृषकों का समूह	4 कृषक समूह प्रति विकास खण्ड
कृषक पुरस्कार	राज्य स्तर पर	रू. 20000, रू. 15000 एवं रू. 10000 क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार	30 कृषक
	जनपद स्तर पर	रू. 7000, रू. 5000 क्रमशः प्रथम, द्वितीय पुरस्कार	32 कृषक प्रति जनपद
	विकास खण्ड स्तर	रू. 2000 प्रति कृषक	5 कृषक प्रति विकास खण्ड
किसान मेला	जनपद स्तर पर	रू. 400000 प्रति मेला	कृषकों के लिए निःशुल्क
कृषक वैज्ञानिक संवाद	जनपद स्तर पर 1 खरीफ, 1रबी में	रू. 20000 प्रति संवाद	कुल 2 संवाद प्रति जनपद प्रति वर्ष निःशुल्क
किसान गोष्ठी	विकास खण्ड स्तर 1 खरीफ 1 रबी में	रू. 15000 प्रति गोष्ठी प्रति विकास खण्ड	कुल 2 गोष्ठी प्रति विकास खण्ड प्रति वर्ष निःशुल्क
फार्म स्कूल	प्रति वर्ष विकास खण्ड	रू. 29414 प्रति फार्म स्कूल	न्यूनतम 5 फार्म स्कूल/प्रति विकास खण्ड/लगभग 25 प्रशिक्षार्थी कृषक प्रति फार्म स्कूल

नोट :– 1. पात्रता की सीमा निर्धारित नहीं। 2. सुविधाओं की प्राप्ति हेतु विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम, सहायक विकास अधिकारी कृषि, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ से सम्पर्क करें। इनके अतिरिक्त यदि कोई कठिनाई आती है तो जनपदीय उप कृषि निदेशक से सम्पर्क करें।

उद्यान विभाग, बाराबंकी के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में कृषकों का पंजीकरण ''ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन'' dbt.uphorticulture.in पर पहले आओ पहले पाओ अनुदान का भुगतान पी.एफ.एन.एस. सिस्टम से डी.बी.टी. से कृषकों के आधार सीडेड खाते में डी.बी.टी./काइन्ड डी. बी.टी. से लागू है। योजनावार विवरण निम्नवत है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक प्रपत्र व्यक्तिगण खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड व खाता संख्या स्पष्ट हो।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र, शपथ पत्र, दो फोटोग्राफ व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रयुक्त प्रपत्रों खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में उपलब्ध करा दें।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन :– योजना के तहत नवीन उद्यान रोपण में केला, पपीता, आम, अमरूद, लाइम एण्ड लेमन्स, बेल फ्रूट, जैक फ्रूट, अंजीर, संकर शाकभाजी कार्यक्रमों में कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट बेस कार्यक्रम के तहत :– पॉली हाउस शेडनेट हाउस मशरूम प्रोडक्शन यूनिट कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट स्पान मेकिंग यूनिट प्याज भण्डार गृह पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज कोडरूम (स्टेगिंग) प्री कूलिंग यूनिट रीफखैन राइपिंग चैम्बर लोकास्ट प्रसंस्करण इकाई प्राइमरी मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर जिस इकाई पर दिशा–निर्देश में जो लागू है अनुदान देय है। कार्यक्रम में व्यय कृषक को स्वयं करना होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित कमेटी के सत्यापनोपरान्त अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते या लोन खाते में ऑनलाइन हस्तानान्तरित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरीगेशन

योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर माइक्र स्प्रिंकलर रेनगन स्प्रिंकलर कृषक अपनी इच्छानुसार उ.प्र. सरकार द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड कम्पनी/फर्म से अपना संवंत्र स्थापित करा सकता है। जियोटैग सत्यापनोपरान्त कृषक की संतुष्टि प्रमाण पत्र उपरान्त अनुदान का भुगतान डीबीटी से कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में पीएफएमएस सिस्टम से किया जाता है।

प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)

योजना के तहत जनपद में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण यथा बेकरी उद्योग चारा उद्योग दाल मिल राइस मिल दुग्ध उत्पादन फल उत्पाद हर्बल उद्योग मशरूम उत्पाद रेडी टू कुक मैगी नूडल्स पास्ता ढोकला दलिया सूजी आदि सोयाबीन आधारित उत्पाद मसाला उत्पाद सब्जी आधारित उत्पाद फ्लोर मिल हनी प्रोसेसिंग अचार मुरब्बा सिरका उद्योग मिठाई उद्योग नमकीन उद्योग आदि खाद्य सम्बन्धित उद्योग हेतु उद्यमियों के परियोजना लागत के 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये प्रति उद्यम योजना सहायता प्रदान की जाती है। उद्यमी अपने प्रोजेक्ट पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। योजना में कृषकों/उद्यमियों की सहायता जनपदीय रिसोर्स पर्सन करेगा।

जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी

प्रधानमन्त्री कृषि सिचाई योजनान्तर्गत (पर ड्राप मोर क्राप–अदर इण्टरवेशन घटक) के अन्तर्गत खेत तालाब योजना

प्रधान मन्त्री कृषि सिचाई योतजनान्तर्गत (पर ड्राप मोर क्राप–अदर इण्टरवेशन घटक) अन्तर्गत खेत तालाब के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सामान्य श्रेणी के कृषकों के लिए 15 का लक्ष्य तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के कृषको के लिए 5 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लघु तालाब का आकार 22X20X3 मीटर निर्धारित है। कुल अनुमानित लागत 105000.00 रूपये है। अनुदानित धनराशि 52500.00 रूपये निर्धारित है। अनुदान की धनराशि प्रथम किस्त खुदाई प्रारम्भ होने पर 26250.00 रूपये, द्वितीय किस्त कच्चा कार्य पूर्ण होने पर 13125.00 रूपये, तृतीय किस्त का भुगतान पक्का इनलेट पूर्ण होने पर 13125.00 रूपये देय है। कृषक का पंजीकरण उद्यान विभाग के पोर्टल पर कराते हुए तालाब पर स्प्रिंकलर सेट स्थापना की व्यवस्था दी जाती है। कृषको का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक की तर्ज पर किसान पारदर्श पोर्टल पर (WWW.UPAGRICULTURE.COM) चयन के बाद ·टोकन जनरेट के उपरान्त टोकन मनी 1000.00 रूपये जमा करने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सत्यापन उपरान्त 30 दिन के अन्दर तालाब खुदाई किया जाना आवश्यक होता है।

03/2023

सतेन्द्र कुमार तिवारी
भूमि संरक्षण अधिकारी
ऊसर सुधार, आजमगढ़।

किसानो के लिये कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाये एवं अनुमन्य सुविधाये

योजनाओं का नाम	कृषकों को देय लाभ
पी०एम० किसान सम्मान निधि योजना	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कृषकों को प्रति चार माह के पश्चात् रू0 2000.00 की दर से कुल रू0 6000.00 प्रतिवर्ष कुल तीन किस्तों में भारत सरकार द्वारा सीधे कृषक के खाते में भेजी जाती है।
फसल विकास कार्यक्रम योजना	योजनान्तर्गत क्लस्टर के रूप में धान प्रदर्शन का आयोजन। प्रति हे0 9000रू0 की दर से अनुदान की व्यवस्था कैफेटेरिया के अनुसार।
आत्मा योजना	योजनान्तर्गत अग्रणी फसल प्रबंधन, प्रदर्शन, एफ एफ0 प्रदर्शन, भ्रमण एवं प्रशिक्षण, ग्राम स्तर/जनपद स्तर/राज्य के अन्दर/राज्य के बाहर प्रशिक्षण
सबमिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना	योजनान्तर्गत विभागीय पोर्टल पर कृषक अपनी आवश्यकतानुसार कृषि यंत्र क्रय करने हेतु विभागीय पोर्टल पर आन् लाईन टोकन कटाकर योजना में दिये गये विवरण के अनुसार लाभ प्राप्त करते है।
इन-सीटू मैनेजमेंट योजना	योजनान्तर्गत विभागीय पोर्टल पर कृषक अपनी आवश्यकतानुसार फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र क्रय करने हेतु विभागीय पोर्टल पर आन् लाइन टोकन काटकर योजना में दिये गये विवरण के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त करते है।
बीज ग्राम योजना	योजनान्तर्गत स्वयं बीज तैयार करने हेतु धान, गेहूँ, चना, मटर, उर्द, मूंग का प्रदर्शन अनुदानित दर पर कार्ययोजना के अनुसार कृषकों के प्रक्षेत्र पर कराया जाता है, तथा फसल की तीन अवस्थाओं पर प्रशिक्षण प्रदान कर बीज उत्पादन मे सहयोग प्रदान किया जाता है।
मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड के दो-दो चयनित ग्रामों से मृदा नमूना संकलन कर विश्लेषण के उपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संस्तुतियों के आधार पर संतुलित उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी कृषकों को दी जाती है।
नेशनल मिशन आन् एडबिल ऑयल(OS/TBO) योजना	योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों खरीफ में तिल, रबी में सरसों, तोरिया, अलसी के बीजो पर अनुदान दिया जाता है, साथ ही साथ क्लस्टर अप्रोच में कृषकों के यहाँ प्रदर्शन का आयोजन कराया जाता है। योजनान्तर्गत कृषि रक्षा उपकरण, सिंचाई पाईप, बखारी आदि का वितरण अनुदानित दर पर किया जाता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ/दलहन घटक) योजना	योजनान्तर्गत जनपद में चना, गेहूँ आदि फसलों का क्लस्टर अप्रोच में प्रदर्शन का आयोजन कराया जाता है, जिसमें प्रति हे0 9000.00 की दर से अनुदान की व्यवस्था कैफेटेरिया के अनुसार। साथ ही साथ कृषि यंत्रों का वितरण, स्माल गोदाम का निर्माण आदि विभागीय पोर्टल पर आन् लाईन टोकन काटकर प्राप्त किया जा सकता है।
प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजना	योजनान्तर्गत उन्नतशील बीजों पर खरीफ एवं रबी मौसम में 10 वर्ष से कम समय में निर्गत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

क्रमशः—

पृष्ठ-02

योजनाओं का नाम	कृषकों को देय लाभ
कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना	योजनान्तर्गत कृषि स्नातक बेरोजगार युवको को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 600000.00 रू0 तक की सीमा में एग्री बिजिनेस/एग्री स्टार्ट अप का संचालन किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण, लाइसेन्स तथा व्यापार करने हेतु अनुदानित दर पर बैंकों द्वारा 500000.00 रू0 तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रू0 100000.00 लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। बैंक द्वारा प्राप्त ऋण (रू0 500000.00) तीन साल की ब्याज की धनराशि एवं एक साल व्यापार हेतु लिये गये स्थान का किराया 1000.00 रू0 की दर से सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण योजना	वित्तीय वर्ष 2022-23 में 02है0 सीमा तक कृषक द्वारा क्रय किये गये जिप्सम का मूल्य पर 75प्रतिशत अनुदान (25प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार) डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे कृषको के खाते में धनराशि हस्तान्तरित किया जाता है।
जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित योजना	योजनान्तर्गत भूमि में उर्वरा स्तर बनाये रखने के लिये राइजोबियम, पी0एस0बी0, अजेटोबैक्टर कल्चर आदि का वितरण कुल मूल्य पर किया जाता है, जिसका 75प्रतिशत डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे कृषको के खाते में धनराशि हस्तान्तरित किया जाता है।
पी0एम0कुसुम योजना	योजनान्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पम्प विभागीय पोर्टल पर टोकन कटाकर "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त पर कुल लागत का 40प्रतिशत कृषक अंश जमा कराकर स्वयं द्वारा कराई गई निर्धारित व्यास की बोरिंग पर सोलर पम्प की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	भारत सरकार द्वारा संचालित किसान हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना स्वैच्छिक आधार संचालित है, जिसके अधीन ग्राम पंचायतवार अधिसूचित फसलो पर बीमा कराकर कम प्रीमियम लागत पर अधिक बीमा कवर किया जाता है। कृषको को बुवाई से लेकर कटाई तक एवं फसल की कटाई के 14 दिनो तक व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाती है। फसल लागत मूल्य के अनुसार खरीफ मौसम की फसलो पर 02प्रतिशत एवं रबी की फसलो पर 1.50 प्रतिशत दर से प्रीमियम का बीमा कराया जाता है।
खेत-तालाब योजना	योजनान्तर्गत सतही जल एवं भू-जल स्तर पर हो रही कमी के फलस्वरूप विभिन्न स्रोतो की सिंचन क्षमता कम होती है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये वर्षा जल संचयन एवं भू-जल स्तर के रिचार्जिंग हेतु जनपद में खेत-तालाब योजना संचालित है। कृषक विभागीय पोर्टल पर आन् लाईन टोकन काटकर योजना में दिये गये विवरण के अनुसार अपने खेत में खेत-तालाब योजना का निर्माण कराकर उस पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे कृषक के खाते में धनराशि हस्तान्तरित किया जाता है।

क्रमशः—

पृष्ठ-03

योजनाओं का नाम	कृषकों को देय लाभ
पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यमदों यथा बीहड़/बंजर भूमि सुधार का कार्य राज्य सेक्टर से प्राप्त धनराशि से तथा जल भराव क्षेत्रों में उपचार का कार्य मनरेगा से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। योजनान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी एक्ट-2005 के अनुसार जल भराव क्षेत्रों उपचार जैसे सामुदायिक कार्य हेतु मनरेगा से प्राप्त धनराशि को 60 : 40 के अनुपात में श्रम एवं सामग्री पर व्यय किया जाता है। योजनान्तर्गत लाभार्थी भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, भू-आवंटी, लघु एवं सीमान्त कृषक होते है।
विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण की योजना	योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों बायोपेस्टिसाइड्स/बायो एजेन्ट पर 75प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति है0 बीज शोधक रसायनों पर 75प्रतिशत अधिकतम रू0 150.00 खरपतवार, कीट एवं रोग नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनो पर 50प्रतिशत अधिकतम 500.00 रू0प्रति है0 कृषि रक्षा यंत्र, मानव/शक्ति चालित क्रमशः 50प्रतिशत अधिकतम 1500.00 रू0 प्रति यंत्र तथा 3000.00 रू0 प्रति यंत्र, सुरक्षित अन्न भंडारण हेतु 50प्रतिशत अधिकतम 1500.00 रू0 प्रति बखारी जो भी कम हो अनुदान दिया जा रहा है।

नोट:— संचालित योजनाओं की जानकारी विभागीय पोर्टल upagriculture.comसे प्राप्त की जा सकती है।

उप कृषि निदेशक
जौनपुर।

कार्यालय उप कृषि निदेशक, जौनपुर।

पत्रांक 3375 /उ0कृ0नि0/सा0/योजना/2022-23/दिनांक 17 फरवरी 2023

प्रतिलिपि:—

1-संयुक्त कृषि निदेशक, वाराणसी मण्डल-वाराणसी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

उप कृषि निदेशक
जौनपुर।

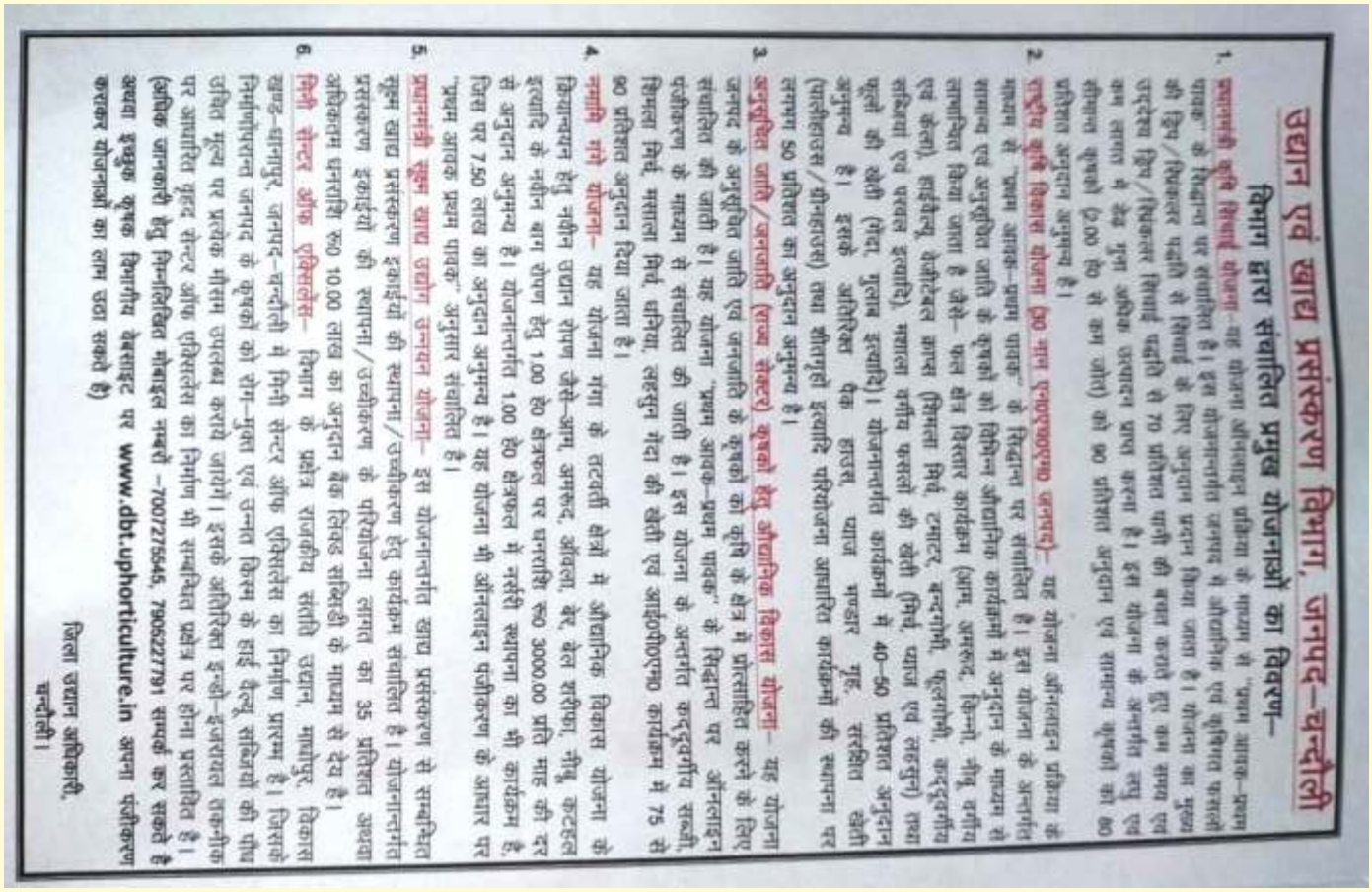

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद–चन्दौली

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण–

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– यह योजना ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से "प्रथम आवक–प्रथम पावक" के सिद्धान्त पर संचालित है। इस योजनान्तर्गत जनपद में औद्यानिक एवं कृषिगत फसलों की ड्रिप/स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से 70 प्रतिशत पानी की बचत कराते हुए कम समय एवं कम लागत में डेढ़ गुना अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों (2.00 है0 से कम जोत) को 90 प्रतिशत अनुदान एवं सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (30 नान एन0एच0एम0 जनपद)– यह योजना ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से "प्रथम आवक–प्रथम पावक" के सिद्धान्त पर संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को विभिन्न औद्यानिक कार्यक्रमों में अनुदान के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है जैसे– फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (आम, अमरूद, किन्नो, नीबू वर्गीय एवं केला), हाईवैल्यू वेजीटेबल क्राप्स (शिमला मिर्च, टमाटर, बन्दगोभी, फूलगोभी, कद्दूवर्गीय सब्जियां एवं परवल इत्यादि), मशाला वर्गीय फसलों की खेती (मिर्च, प्याज एवं लहसुन) तथा फूलों की खेती (गेंदा, गुलाब इत्यादि)। योजनान्तर्गत कार्यक्रमों में 40–50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त पैक हाउस, प्याज भण्डार गृह, संरक्षित खेती (पालीहाउस/ग्रीनहाउस) तथा शीतगृहों इत्यादि परियोजना आधारित कार्यक्रमों की स्थापना पर लगभग 50 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति (राज्य सेक्टर) कृषकों हेतु औद्यानिक विकास योजना– यह योजना जनपद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को कृषि के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए संचालित की जाती है। यह योजना "प्रथम आवक–प्रथम पावक" के सिद्धान्त पर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से संचालित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कद्दूवर्गीय सब्जी, शिमला मिर्च, मसाला मिर्च, धनिया, लहसुन गेंदा की खेती एवं आई0पी0एम0 कार्यक्रम में 75 से 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
4. नमामि गंगे योजना– यह योजना गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन उद्यान रोपण जैसे–आम, अमरूद, आँवला, बेर, बेल शरीफा, नीबू, कटहल इत्यादि के नवीन बाग रोपण हेतु 1.00 हे0 क्षेत्रफल पर धनराशि रू0 3000.00 प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य है। योजनान्तर्गत 1.00 हे0 क्षेत्रफल में नर्सरी स्थापना का भी कार्यक्रम है, जिस पर 7.50 लाख का अनुदान अनुमन्य है। यह योजना भी ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर "प्रथम आवक प्रथम पावक" अनुसार संचालित है।
5. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना– इस योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण हेतु कार्यक्रम संचालित है। योजनान्तर्गत प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उच्चीकरण के परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि रू0 10.00 लाख का अनुदान बैंक लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से देय है।
6. मिनी सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस– विभाग के प्रक्षेत्र राजकीय संतति उद्यान, माधोपुर, विकास खण्ड–धानापुर, जनपद–चन्दौली में मिनी सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस का निर्माण प्रारम्भ है। जिसके निर्माणोपरान्त जनपद के कृषकों को रोग–मुक्त एवं उन्नत किस्म के हाई वैल्यू सब्जियों की पौध उचित मूल्य पर प्रत्येक मौसम उपलब्ध कराये जायेगें। इसके अतिरिक्त इन्डो–इजरायल तकनीक पर आधारित वृहद सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस का निर्माण भी सम्बन्धित प्रक्षेत्र पर होना प्रस्तावित है।

(अधिक जानकारी हेतु निम्नलिखित मोबाइल नम्बरों –7007275545, 7905227791 सम्पर्क कर सकते है अथवा इच्छुक कृषक विभागीय वेबसाइट पर www.dbt.uphorticulture.in अपना पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ उठा सकते है)

जिला उद्यान अधिकारी,
चन्दौली।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जनपद–संत कबीर नगर।

किसानों के आर्थिक उन्नयन हेतु सदैव समर्पित

उद्यान विभाग द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनायें:–

1. एकीकृत बागवानी विकास योजना:–उद्यान रोपण (केला, आम, पपीता), पुष्प, मशाला, पाली हाउस की स्थापना, मशीनीकरण/उपकरण, जैविक विधि से शाकभाजी की खेती इत्यादि पर राज्य सहायता एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्राप मोर काप):–जल संरक्षण, उचित उर्वरक/रसायन प्रवन्धप कराते हुये खेती में लागत कत्त करने हेतु टपक सिंचाई, मिनी, पोर्टेबल स्प्रिंकलरा, रेनगन की स्थापना पर 80 से 90 प्रतिशत अनुदान कृषकों को डी0बी0टी0 से दिया जा रहा है।
3. राज्य सेक्टर योजना:–अनु0जा0/जनजाति के कृषकों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 90 प्रतिशत की सीमा तक शाकीभाजी, मशाला, पुष्प की खेती में राज्य सहायता दी जा रही है।
4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0):–योजना में आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्वरोजगार वृद्धि हेतु खाद्य उद्योग स्थापना पर लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 लाख की राज्य सहायता दी जा रही है।

जनपद के किसानों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी/आवेदन हेतु वेबसाइट–WWW.uphorticulture.com पर या कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी कम्पनी बाग बस्ती में सम्पर्क करें। योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय में गुणात्मक वृद्धि करें तथा प्रदेश एवं देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान करें।

जिला उद्यान अधिकारी,
संत कबीर नगर।

हरा चारा उत्पादन तकनीक

शैलेश कुमार सिंह, एस.के. तोमर एवं रितेश गंगवार

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां के कृषकों/ग्रामीणों का जीविकोपार्जन मुख्य रूप से कृषि तथा पशु पालन पर आधारित है। पशुधन की विभिन्न इकाइयों जैसे गोपालन, भैंस पालन, भेड़, बकरी पालन आदि को आर्थिक स्थिति एवं बाजार की मांग के अनुरूप व्यवसायिक स्तर पर वैज्ञानिक तकनीकों का समावेश करके कुपोषण की समस्या के समाधान के साथ–साथ आय वृद्धि का साधन बनाया जा सकता है। इसके लिए पशुओं का स्वस्थ्य होना और अधिक उत्पादन अपनी क्षमता का पूरा उत्पादन करना अति आवश्यक है। साथ ही उत्पादन लागत कम करने की जरूरत है पशुपालन का लगभग 70 प्रतिशत व्यय पशुओं के आहार पर होता है। दाना मिश्रण (पशु आहार) महंगा होने की दशा में पशुधन उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए वर्ष भर हरे चारे का प्रबंध करना ही एकमात्र विकल्प है।

चारे का प्रबंध

पशु आहार में हरे चारे की प्रमुख भूमिका है। क्योंकि हरा चारा उपयोगी पोषक तत्वों का सुलभ एवं सस्ता साधन है किंतु चारे की कमी एवं संसाधनों में गिरावट के परिणाम स्वरूप देश के अधिकांश पशुओं को कुपोषण का सामना करना पड़ता है जिससे उनका उत्पादन प्रभावित होता है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। पशुधन उत्पादन (दूध, मांस, ऊन इत्यादि) का मूल्य पशु को अच्छी गुणवत्ता का पौष्टिक हरा चारा कम मूल्य पर उपलब्ध कराकर घटाया जा सकता है।

बहुत से पशुपालक अपने पशुओं को केवल हरे चारे पर ही रखते हैं। दाना उपलब्ध कराना किसान/पशु पालक की सामर्थ्य से बाहर होता है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं को ऋतुवार वर्षभर स्वादिष्ट व पौष्टिक चारे की उन्नत फसलों की प्रजातियों को उगाकर पशु पोषण पर आने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। पशुओं द्वारा उत्पादन पशु को प्रदान किए जाने वाले चारे की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि चारे की गुणवत्ता अच्छी होती है तो पशु द्वारा किया जाने वाला उत्पादन भी अच्छा होता है। चारे की गुणवत्ता निम्न बातों पर निर्भर करती है

1. चारे में यदि दो दाल वाली दलहनी फसलें/घासे हैं तो चारे में कैल्शियम तथा प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है साथ ही साथ इसकी पाचकता भी ठीक होती है इसके अंतर्गत बरसीम रिजका लोबिया अधिकारी की फसलें आती है।
2. चारा यदि केवल एक दाल वाला अदलहनी है तो उसकी पौष्टिकता दलहनी चारों की अपेक्षा कम होती है क्योंकि इस प्रकार की फसलों में प्रोटीन तथा कैल्शियम कम पाया जाता है एवं इसकी पाचकता भी कम होती है। इस प्रकार की फसलों में ज्वार बाजरा मक्का जई हाइब्रिड नेपियर आदि चारों की फसलें शामिल होती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है
3. चारे की गुणवत्ता उसकी कटाई की अवस्था पर भी निर्भर करती है चारा जब अधिक परिपक्व हो जाता है तो चारे की पाचकता कम हो जाती है तथा चारे में उपलब्ध प्रोटीन भी अपचनीय हो जाती है
4. चारे में कैरोटीन की मात्रा अच्छी होना चारे की गुणवत्ता दर्शाता है।
5. चारे का पशु के लिए सुस्वाद होना भी आवश्यक है
6. चारे में यदि विषैला कारक विद्यमान है तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है तथा यह पशुओं के लिए जहरीला हो जाता है जैसे सूखे की स्थिति में ज्वार की फसल में हाइड्रो सायनिक अम्ल की उपलब्धता इसे खिलाने से पशुओं की मृत्यु हो सकती है

चारे की प्रबंधन में सुधार

हरे चारे की कमी या किस्म में सुधार के साथ–साथ पशुओं को चारा खिलाने की विधियों में भी सुधार करना चाहिए। पशुओं को बांधकर रखना हरे व सूखे चारे की भी काटकर तथा दोनों को मिलाकर खिलाना लाभप्रद होता है। इससे पशुओं की पोषक

कृषि विज्ञान केन्द्र, बाराबंकी, गोरखपुर एवं चन्दौली

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0,

जनपद–बहराइच।

जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुमन्य अनुदान विवरण

क्र0 सं0	फसल/कार्यक्रम	इकाई लागत रू0	अनुदान प्रतिशत	अनुदान विवरण (रू0)प्रति हैक्टेयर				अनुदान विवरण (रू0)प्रति हैक्टेयर/ सं0	प्रति लाभार्थी देय अधिकतम लाभ हे0क्षेत्र /संख्या
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग		
1–30 नॉन0एन0एच0एम0 जनपदों में औद्यानिक विकास कार्यक्रम :–									
i	नवीन उद्यान की स्थापना								
	आम (10 X 10 मी0)	25500	50	7650	2550	2550	12750	12750	4.00
	अमरूद (10 X 10 मी0)	38340	50	11502	3834	3834	19170	19170	4.00
	लीची (10 X 10 मी0)	28000	50	8400	2800	2800	14000	14000	4.00
	केला टिश्यूकल्चर ड्रिप (1.8 X 1.8 मी0)	102462	40	30738	10247	0	40985	40985	4.00
ii	पुष्प उत्पादन								
	क–कटफ्लावर								
	लघुसीमान्त कृषक हेतु	100000	40	40000	0	0	40000	40000	2.00
	सामान्य कृषक हेतु	100000	25	25000			25000	25000	2.00
	ख–बल्ब्स फ्लावर (ग्लोडियोलस)								
	लघुसीमान्त कृषक हेतु	150000	40	60000	0	0	60000	60000	2.00
	सामान्य कृषक हेतु	150000	25	37500	0	0	37500	37500	2.00
	ग–लूज फ्लावर (गेंदा/देशी								
	लघुसीमान्त कृषक हेतु	40000	40	16000	0	0	16000	16000	4.00
	सामान्य कृषक हेतु	40000	25	10000	0	0	10000	10000	4.00
iii	मसाला फसलें								
	बीजीय मसाले एवं प्रकन्दीय मसाले–मिर्च व लहसुन	30000	40	12000	0	0	12000	12000	2.00
3–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रेजिंग आफ हाई वैल्यु वेजीटेबुल्स इन लोटनल पाली हाउस :–									
i	संकर कद्दूवर्गीय सब्जी (खीरा एवं [illegible])	50000	40	20000	0	0	20000	20000	0.40
ii	संकर पत्तागोभी एवं संकर टमाटर (रबी)	50000	40	20000	0	0	20000	20000	0.40
4–अनुसुचित जाति/जनजाति कृषकों के लिए औद्यानिक विकास कार्यक्रम की योजना (राज्य सेक्टर) :–									
i	संकर कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती	50000	75	37500	0	0	37500	37500	0.20
ii	संकर शिमला मिर्च की खेती	50000	75	37500	0	0	37500	37500	0.20
iii	संकर मसाला मिर्च की खेती	30000	90	27000	0	0	27000	27000	0.20
iv	लहसुन की खेती	30000	90	27000	0	0	27000	27000	0.20
v	धनिया की खेती	30000	90	27000	0	0	27000	27000	0.20
vi	गेंदा की खेती	40000	90	36000	0	0	36000	36000	0.20
vii	आई0पी0एम0	4000	90	3600	0	0	3600	3600	0.20
5–राज्य आयुष मिशन उद्यान घटक :–									
i	सतावरी की खेती	91506	30	27450	0	0	27450	27450	2.00
ii	तुलसी की खेती	43923	30	13180	0	0	13180	13180	2.00
iii	एलोवेरा की खेती	62224	30	18670	0	0	18670	18670	2.00

लाभार्थी का चयन

उपरोक्त योजनाओं का लाभ पाने हेतु कृषकों को *dbt.uphorticulture.in* पोर्टल पर ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु कृषक अपनी स्वयं की खसरा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी एवं मोबाइल नम्बर साथ लेकर किसी भी जन सुविधा केन्द्र अथवा स्वयं करा/कर सकते है। प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने वाले लाभार्थी कृषकों को ही डी.बी.टी./लाइव्ह डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान/निवेश देय है।

(पारसनाथ)
जिला उद्यान अधिकारी,
बहराइच।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0,

जनपद–बहराइच।

जनपद में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक "पर ड्राप मोर क्रॉप" (माइक्रोइरीगेशन) में देय अनुदान का विवरण

क्र0 सं0	फसल/कार्यक्रम	श्रेणी	इकाई लागत रू0	अनुदान प्रतिशत	अनुदान विवरण (रू0)प्रति हैक्टेयर	प्रति लाभार्थी देय अधिकतम लाभ हे0क्षेत्र /संख्या
1	ड्रिप सिंचाई पद्धति					
क	अधिक दूरी वाले					
अ	आम, लीची, ऑवला (10 X 10 मी0)	ल0/सी0	30109	90	27098	5
		अन्य	30109	80	24087	5
ख	कम दूरी वाले					
i	केला, पपीता (1.5 X 1.5 मी0)	ल0/सी0	118332	90	106499	5
		अन्य	118332	80	94666	5
ii	शाकभाजी (1.8 X 0.6 मी0)	ल0/सी0	105295	90	94766	5
		अन्य	108295	80	86636	5
iii	आलू, शाकभाजी, गन्ना तथा अन्य फसलें (1.2 X 0.6 मी0)	ल0/सी0	146626	90	131963	5
		अन्य	146626	80	117301	5
2	स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति					
i	पोर्टेबल स्प्रिंकलर (63 मी0)	ल0/सी0	27823	75	20867	2
		अन्य	27823	65	18085	2
ii	पोर्टेबल स्प्रिंकलर (75 एम.एम.)	ल0/सी0	27823	90	25041	2
		अन्य	27823	80	22258	2
iii	लार्ज वैल्यूम (रेनगन) (75 एम.एम.मी0)	ल0/सी0	43846	75	32885	2
		अन्य	43846	65	28500	2
iv	माइक्रो स्प्रिंकलर (5X5 मी0)	ल0/सी0	67772	90	60995	5
		अन्य	67772	80	54218	5
v	मिनी स्प्रिंकलर (10X10 मी0)	ल0/सी0	108254	90	97429	5
		अन्य	108254	80	86603	5
vi	मिनी स्प्रिंकलर (8X8मी0)	ल0/सी0	119454	90	107509	5
		अन्य	119454	80	95563	5

(पारसनाथ)
जिला उद्यान अधिकारी,
बहराइच।

तत्वों की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी इससे उनका स्वास्थ्य व उत्पादन अच्छा रहेगा चारे की मात्रा व किस्म में निम्न प्रकार सुधार किया जा सकता है :–

1. चारे की अधिक उपज देने वाली तथा कई बार कटाई वाली उन्नत फसलें उगाई जा सकती हैं जैसे जय बरसीम, रिजका, सूडान श्री शंकर लोबिया आदि
2. कम समय लेने वाली तथा शीघ्र बढ़ने वाली जारी की फसलें जैसे मक्का बहू कराई वाली ज्वार के साथ लोबिया मिलाकर बोलने से चारी की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है।
3. चारे की आवश्यकता से अधिक उपलब्धता होने पर साइलेज तथा बनाकर संरक्षित किया जा सकता है जब खेत में हरा चारा ना हो तो इसका उपयोग लाभकारी होता है। साइलेज बनाने के लिए चारे की फसल को आधी फसल में फूल आने पर काटना चाहिए। इस समय उसमें लगभग 30–35 प्रतिशत शुष्क पदार्थ उपस्थित होता है बनाने के लिए चारे को पुष्पावस्था या दुग्धावस्था पर काटना चाहिए।
4. वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए बहू फसली चारे की खेती लाभकारी हो सकती है। इससे सीमित भूमि से कई फसल अर्थात बहु फसली चारा एक साथ या एक के बाद एक उगाकर अधिक एवं पौष्टिक चारा प्राप्त किया जा सकता है।

बहु फसली चारे की खेती से लाभ

बहु फसली चारे की खेती से निम्नलिखित लाभ होता हैः–

पशुओं के लिए पूरे वर्ष भरपूर मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता।

सीमित भूमि से अधिक चारा।

खेत में प्रयुक्त खाद एवं उर्वरक का वर्ष पर सदुपयोग।

स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारे की उपलब्धता।

पौष्टिक चारे से पशुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी।

परती, बंजर, सिंचाई की नाली तथा तालाब के बंधों आदि भूमि का सदुपयोग एवं मृदा क्षरण की रोकथाम।

हरे चारे की सुलभता हेतु प्रयुक्त फसल चक्र का उपयोग।

उपयुक्त फसल चक्र : वर्ष भर हरा तथा पौष्टिक चारा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपयुक्त फसल चक्र के अनुसार चारे की फसले उगाकर पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध किया जा सकता है।

चारे का संरक्षण

हरे चारे का उत्पादन मुख्य रूप से बरसात के मौसम में ही होता है। इसलिए चारे को अन्य समय के लिए संरक्षित रखना बहुत ही लाभदायक होता है। चारे को साइलेज या हे के रूप में संरक्षित किया जाता है। साइलेज बनाने के लिए चारे को उस समय काटना ठीक रहता है जब उसमें 30–35 प्रतिशत शुष्क पदार्थ उपस्थित हो। हे बनाने के लिए चारे को फूल की अवस्था पर काटना चाहिए।

साइलेज बनाना :

साइलेज बनाने के लिए कुंए जैसा पक्का व स्थाई गड्ढा बनाया जाता हैं इस पर टिन की ढाल वाली छत होनी चाहिए। नीचे की ओर जल निकासी के लिए एक मोटा पाइप लगा होता है। साइलेज बनाने के लिए चारे को महीन कुट्टी काटकर गड्ढे में खूब अच्छी तरह से दबा–दबा कर भरते हैं। यह कार्य 5–6 दिनों तक चलता है। बीच–बीच में नमक डाला जाता है। यह परिरक्षक का कार्य करता है। जब गड्ढा खूब अच्छी तरह से भर जाता है तो इसमें ऊपर से हरी घास डालते हैं तथा अन्त में मिट्टी से गड्ढ़े को खूब अच्छी तरह से ढक देते हैं। यह कार्य सितम्बर माह में कर सकते हैं। गड्ढे के अन्दर अवात अवस्था उत्पन्न हो जाती है। चारे का किण्वन होता है। पाइप से जल निकलता है। धीरे–धीरे चारा नीचे की ओर बैठता (घटता) हैं लगभग 2–3 माह में साइलेज तैयार हो जाती है। तैयार साइलेज में विशेष प्रकार की सुगन्ध आती है। इसे दिसम्बर से मार्च तक पशुओं को खिला सकते हैं। थोड़ी मात्रा में साइलेज बड़े–बड़े पालीथीन के मजबूत थैलों में भी बनायी जा सकती है।

साइलेज बनाने में सावधानियाँ :

साइलेज बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है :–

1. साइलो भरने में कम से कम समय लगाना चाहिए। साइलो को कम से कम 1/6 भाग प्रतिदिन भर जाना चाहिए जिससे कि साइलो अधिक से अधिक 6 दिन में पूरा भर जाए।
2. साइलो को भरते समय कटे हुए चारे को पूरे क्षेत्रफल में पतली–पतली एक समान पर्तों में फैलाकर व हवा–दबाकर अच्छी तरह से भरना

वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त फसल चक्र

	फसल चक्र	बुआई का समय	चारे की उपलब्धता
1.	संकर नेपियर+बरसीम+सरसों	तीसरासप्ताह फरवरी मध्य अक्टूबर	वर्ष भर
2.	संकर नेपियर+लूसर्न	फरवरी का तीसरा सप्ताह नवम्बर	वर्ष भर का दूसरा सप्ताह
1.	सूडान चरी + बरसीम+सरसों	अप्रैल प्रथम सप्ताह अक्टूबर प्रथम सप्ताह	अन्तिम सप्ताह मई–सितम्बर अन्तिम सप्ताह नवम्बर से अन्तिम सप्ताह मार्च
2.	मक्का + लोबिया ज्वार + लोबिया बरसीम + जई	अप्रैल प्रथम सप्ताह जून तृतीय सप्ताह सितम्बर अन्तिम सप्ताह	जून प्रथम द्वितीय सप्ताह अगस्त अन्तिम सप्ताह अन्तिम नवम्बर + अन्तिम मार्च
3.	मक्का + लोबिया मक्का+लोबिया मक्का+लोबिया जई+सरसों	मध्य मार्च मध्य मई अन्तिम जुलाई अनितम अक्टूबर	प्रथम–द्वितीय सप्ताह मई मध्य अनितम जुलाई द्वितीय अन्तिम सप्ताह अक्टूबर अन्तिम दिसम्बर–मध्य मार्च दो कटाई
4.	ज्वार + लोबिया चरी बहुकटाई + लोबिया बरसीम + सरसों	अप्रैल प्रथम सप्ताह जुलाई प्रथम–द्वितीय सप्ताह अक्टूबर	मध्य जून

चाहिए ताकि अधिकांश हवा बाहर निकल जाए।

3. साइलो के अन्दर हवा व पानी नहीं जाना चाहिए। पॉलीथीन की चादर से चारो तरफ से ढककर उसके ऊपर 30 सेमी0 मोटी मिट्टी की परत डाल देनी चाहिए।
4. साइलो को काफी ऊँचाई तक भरना चाहिए। जिससे कि बैठाव के बाद भी चारे का तल दीवारों से काफी ऊँचा रहे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किण्वन की क्रिया से चारे में अधिक सिकुड़न होती है।
5. ज्वार, मक्का व सूड़ान घास को दुग्धावस्था पर, जई को दुग्धावस्था या पुष्पावस्था पर लूसर्न को 35 दिन की अवस्था पर तथा सोयाबीन को फसल की परिपक्वता पर काटते है। यानि आमतौर पर 28 प्रतिशत शुष्क भार की अवस्था पर फसल की कटाई करते हैं।

हे बनाना :

यह सुखाया हुआ चारा होता है जोकि तैयार किये जाने के बाद पोषणमान में बिना किसी विशेष हानि के गोदाम में रखा जा सकता है। इसमें चारे की नमी 80 प्रतिशत से घटकर लगभग 15–20 प्रतिशत तक रह जाती है। सुखाने की क्रिया बहुत तेजी से होनी चाहिए। हे तैयार करने का समय साधारणतः मार्च–अप्रैल होता है। यह धूप में तेजी होती है और वायुमण्डलीय आर्द्रता कम होती है। जब चारे की कमी रहती है। उस समय हे को खिलाया जा सकता है।

हे बनाने में सावधानियाँ :

हे बनाने में निम्नलिखित सावधानी अपनानी चाहिए :–

1. पतले मुलायम तनों तथा अधिक पत्तियों वाली घासों की हे, सख्त घासों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है।
2. हे बनाने के लिए कटाई पुष्पावस्था के प्रारम्भ में करनी चाहिए।
3. हे बनाने के लिए फसल की कटाई सुबह 8–10 बजे के बाद जब ओस समाप्त हो जाए करना चाहिए।
4. अधिक सुखाने में प्रोटीन तथा कैरोटीन तत्वों की हानि होती हैं जबकि कम सुखाने से भण्डारण के दौरान ताप पैदा होता है जिससे उसका पोषणमान कम हो जाता है। अतः हे को उचित अवस्था तक ही सुखाना चाहिए।

उद्यान विभाग, गोण्डा द्वारा जनपद के कृषकों हेतु संचालित योजनाएं

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (30 नॉन एन.एच.एम.) :– अधिकतम क्षेत्रफल 4.00 हे. प्रति लाभार्थी

नवीन उद्यान रोपण (आम, अमरूद, लीची) :– इकाई लागत का 50 प्रतिशत 03 वर्ष तक क्रमशः 60ः 20ः 20ः प्रथम वर्ष रूपये 7650 (आम) रूपये 11502 (अमरूद) रूपये 8400 (लीची) प्रति हे. अनुदान देय है।

केला टिश्यूकल्चर :– इकाई लागत रूपये 102462 का 40 प्रतिशत 2 वर्षों में प्रथम वर्ष रूपये 30738 एवं द्वितीय वर्ष रूपये 10247 प्रति हे. अनुदान देय है।

पुष्प क्षेत्र विस्तार :– अधिकतम क्षेत्रफल 2.0 हे. प्रति लाभार्थी

(अ) ग्लेडियोलस की खेती पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 60000 लघु/सीमान्त कृषक एवं सामान्य कृषक के लिये रूपये 37500 प्रति हे. अनुदान देय है।

(ब) गेंदा की खेती पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 16000 लघु/सीमान्त कृषक एवं सामान्य कृषक के लिए रूपये 10000 प्रति हे. अनुदान देय है।

मसाला विस्तार क्षेत्र :– अधिकतम सीमा क्षेत्रफल 2.0 हे. प्रति लाभार्थी

इकाई लागत रूपये 30000 का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 12000 प्रति हे. अनुदान देय है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नर्सरी सीडलिंग रेजिंग एण्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यु वेजीटेबल्स) :–

शाकभाजी क्षेत्र विस्तार :– अधिकतम क्षेत्रफल 0.4 हे. प्रति लाभार्थी

संकर टमाटर :– इकाई लागत रूप्ये 50000 का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 20000 प्रति हे. अनुदान देय है।

संकर फूलगोभी :– इकाई लागत रूप्ये 50000 का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 20000 प्रति हे. अनुदान देय है।

संकर पातगोभी :– इकाई लागत रूप्ये 50000 का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 20000 प्रति हे. अनुदान देय है।

संकर कद्दूवर्गीय :– इकाई लागत रूप्ये 50000 का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 20000 प्रति हे. अनुदान देय है।

संकर शिमला मिर्च :– इकाई लागत रूप्ये 50000 का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 20000 प्रति हे. अनुदान देय है।

परवल :– इकाई लागत रूप्ये 50000 का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 20000 प्रति हे. अनुदान देय है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) अधिकतम क्षेत्रफल 0.2 हे. प्रति लाभार्थी

1. कद्दूवर्गीय शाकभाजी एवं संकर शिमला मिर्च की खेती पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये 37500 अनुदान देय है।
2. मसाला मिर्च, संकर धनिया, लहसुन पर इकाई लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम रूपये 27000 प्रति हे. अनुदान देय है।
3. गेंदा पुष्प की खेती पर इकाई लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम रूपये 36000 प्रति हे. अनुदान देय है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन) :–

ड्रिप सिंचाई संयन्त्रों की स्थापना :–

1 अधिक दूरी वाली फसलें यथा – आम, अमरूद, पपीता।

2. कम दूरी वाली फसलें यथा– शाकभाजी, आलू, पुष्प, गन्ना।

स्प्रिंकलर सिंचाई

1. पोर्टेबल स्प्रिंकलर।
2. माइक्रो स्प्रिंकलर।
3. मिनी स्प्रिंकलर।
4. लार्ज वॉल्यूम (रेनगन)।

लाभार्थी का चयन

उपरोक्त योजनाओं का लाभ पाने हेतु कृषकों को http://dbt.uphorticulture.in/ पर जाकर उद्यान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु कृषक खसरा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी एवं मो. नम्बर साथ लेकर किसी भी जन सुविधा केन्द्र अथवा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय गोण्डा में करा सकते हैं। योजनान्तर्गत ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर पर 90 प्रतिशत लघु/सीमान्त तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर/रेनगन पर लघु/सीमान्त कृषक 75 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान देय होगा। प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर पाये जाने वाले लाभार्थी कृषकों को ही डी.बी.टी. के माध्यम अनुदान देय है।

(डी.के. वर्मा)

उपनिदेशक उद्यान, देवीपाटन मण्डल गोण्डा/जिला उद्यान अधिकारी गोण्डा

मार्च माह में किसान भाई क्या करें

फसलों में
डॉ. सौरभ वर्मा
सह प्राध्यापक (सस्य विज्ञान)

(1) गन्ना की कटाई के बाद खेत को पलेवा करके मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करके 3–4 बार कल्टीवेटर या देशी हल से जुताई करें। जायद फसलों की बुवाई से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बीज के अंकुरण के लिये खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध है अथवा नहीं।

(2) ग्रीष्मकालीन मक्का की बुवाई मार्च के प्रथम सप्ताह तक करें। हरे चारे के लिये मक्का और लोबिया की बुवाई माह के प्रथम पखवारे के अन्त तक कर लें।

(3) मूँग के अच्छे प्रमाणित बीज जैसे पूसा वैशाखी, नरेन्द्र मूँग 1, टा 44 एवं पंत 1,2, को 20–25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मार्च के दूसरे पखवारे में बोयें।

(4) उर्द टा 9 अथवा पंत यू 19 की बुवाई इसी माह के प्रथम पक्ष में करें। इसमें कतार से कतार की दूरी 20–25 सेमी रखें।

(5) सरसों की जिस फसल की पकने के बाद अभी तक कटाई न की गई हो अवश्य कर लें।

सब्जी एवं उद्यान में
डॉ. शशांक शेखर सिंह
सहायक प्राध्यापक (उद्यान विज्ञान)

(1) ग्रीष्मकालीन बैंगन की पौध इस माह में डालें, इसके लिए पंत ऋतुराज एवं पूसा क्रान्ति अच्छी किस्में हैं।

(2) भिण्डी बोने के लिये 18–20 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। इसके लिए पूसा सावनी उपयुक्त प्रजाति है।

(3) यदि फरवरी माह में लोबिया की बुवाई नहीं कर पाये हों तो इस माह अवश्य कर लें।

(4) परवल की बेल के नीचे खेत में धान के पुआल की 3–4 इंच मोटी परत बिछायें इससे खरपतवार की रोकथाम हो जाती है। यदि खेत में ज्यादा खरपतवार हो तो उन्हें निकालकर खेत को साफ कर देना चाहिए। ऐसा न करने से उपज पर कुप्रभाव पड़ता है। खाद का प्रयोग प्रथम पखवारा में ही करें।

(5) जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, आम, अमरूद, नींबू प्रजाति, कटहल, बेल, बेर, आँवला आदि के नये बाग लगाने का कार्य पूरा कर लें।

(6) नये एवं पुराने बागों में खाद एवं उर्वरक की दूसरी मात्रा का प्रयोग यदि फरवरी में न किया गया हो तो उसे पूरा कर लें।

(7) आम के गिराव को रोकने के लिए फलों के मटर की अवस्था पर नेप्थलीन एसिटिक अथवा प्लेनोफिक्स की (20 पीपीएम) 2 मिली/4.5 लीटर पानी का छिड़काव करें।

(8) नींबू प्रजाति के पेड़ों पर यदि सूक्ष्म तत्वों के घोल का छिड़काव न किया गया हो छिड़काव कर दें।

(9) आम के फलों को ब्लैकटिप (कोइलिया रोग) से बचाने के लिये वॉसिंगसोडा 0.5 प्रतिशत (5 ग्राम प्रति लीटर पानी) का घोल बनाकर मटर के आकार की अवस्था पर छिड़काव करें।

(10) अमरूद, नींबू प्रजाति के बीज की बुवाई तैयार क्यारियों अथवा पॉलीथीन की थैलियों में ही करें।

पौध संरक्षण
डॉ. वी. पी. चौधरी एवं डॉ. पंकज कुमार
सहायक प्राध्यापक

(1) चना की फसल एवं मटर में फली छेदक कीट का प्रकोप होने पर क्यूनालफास 25 ईसी 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

(2) उर्द, मूँग को बोने से पहले उसके बीज को 2 ग्राम थीरम या 2 ग्राम केप्टान प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करें।

(3) अरहर में फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए इन्डोक्साकार्ब 14.5 एससी 300 मिली/ली को पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

(4) बसंतकालीन गन्ना बोने से पहले 625 ग्राम एगलाल 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने के कटे हुए टुकड़ों को डुबोकर उपचारित कर लें। यदि दीमक का प्रकोप

संकलनकर्ता : डॉ. आर.आर. सिंह, प्राध्यापक, प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

होता है तो बीएचसी गामा 20 ईसी (2 मिली/ली) पानी से भी उपचारित करें।

(5) अरूई, बण्डा बोने से पहले बीज को 2 ग्राम एगलाल प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित करें।

(6) आम की बाग में खर्रा/दहिया रोग की रोकथाम के लिए डाइनोकेप 48 ईसी आधा मिली प्रति लीटर पानी में डालकर फूल खिलने के पहले छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव सरसों के दाने के आकार के बन जाने पर करें। यदि भुनगा कीट का प्रकोप हो तो डाइक्लोरोवास एक मिली/ली पानी में घोलकर छिड़काव करें। डाइनोकेप के साथ कीटनाशी मिला सकते हैं।

पशुपालन

डॉ. सुरेन्द्र सिंह

विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशु विज्ञान)

(1) दुधारू पशुओं के आहार में कम से कम 30–40 ग्राम साधारण नमक तथा खनिज लवण अवश्य मिलाया जाय तथा साथ ही साथ पीने के लिये साफ व ताजा पानी दिया जाये।

(2) जो किसान भाई अभी तक हरे चारे की बुवाई न कर पाये हों तो वे इस माह के अन्त तक एमपी चरी, लोबिया तथा बाजरा की बुवाई कर लें।

(3) भेड़, बकरी तथा सूकरियों को अलग से बना हुआ संतुलित आहार खिलायें।

(4) अण्डा देने वाली मुर्गियों में से अनुत्पादक मुर्गियों की छटनी कर दिया जाये तथा अधिक अण्डा व माँस उत्पादन बनाये रखने के लिये समय–समय पर बाड़े की सफाई तथा बिछावन की गुड़ाई किया जाये।

(5) 6–8 सप्ताह के चूजों को चेचक तथा रानीखेत की बीमारी से बचाव हेतु टीकाकरण करा दिया जाये।

(6) यदि फरवरी माह में पेट के कीड़े मारने की दवा न दिये हों तो इस माह में अवश्य दें।

प्रश्न किसानों के, जवाब वैज्ञानिकों के

प्रश्नः बैंगन के फल में कीड़ा लग जाता है कैसे बचायें?

(श्री राम विशाल पाण्डेय, सेमरी बाजार, जनपद सुल्तानपुर)

उत्तरः यह फली छेदक कीट है इसकी रोकथाम हेतु स्पाइनोसेड 200 मिली लीटर दवा को 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव से पहले खाने योग्य फल को तोड़ लें तथा छिड़काव के 10–12 दिन बाद ही फल का उपयोग करें।

प्रश्नः चना में फली छेदक कीट का प्रकोप हो जाता है कैसे बचायें?

(श्री संतोष कुमार सिंह, अमानीगंज, जनपद अयोध्या)

उत्तरः चने में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिये इमामेक्टिन बेन्जोएट 5 प्रतिशत की दवा 220 मिली दवा को 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फली छेदक की समस्या समाप्त हो जाती है।

प्रश्नः चार वर्षीय नींबू के पेड़ में फल नहीं लगता क्या करें?

(श्री समसेर, बसखारी, अम्बेडकर नगर)

उत्तरः कागजी नींबू में फलत 5–6 वर्ष की अवस्था में आता है। खाद पानी की उचित व्यवस्था करें तथा फूल की अवस्था में पानी न लगायें। जल्दी फलत लेने के लिये पंत लेमन–1 किस्म लगायें जिससे तीन वर्ष में फलत मिलने लगेगी।

प्रश्नः दुधारू पशुओं में किलनी की समस्या है कैसे दूर करें?

(श्री मो. सिंराज, शाहगंज, अयोध्या)

उत्तरः दुधारू पशुओं के साथ–साथ अन्य सभी पशुओं में किलनी की समस्या पशुशाला की अच्छी व्यवस्था न होने पर अधिक हो जाती है। इसलिये जहाँ पर पशु रखें वहाँ पूर्ण रूप से सफाई करके कीटनाशक दवा का छिड़काव अथवा चूना का छिड़काव बीच–बीच में करते रहें। साथ ही किलनी को समाप्त करने के लिए 2–3 मिली व्यूटाक्स दवा 2 लीटर पानी में डालकर साफ कपड़े को उसी में भिगोकर पशु के पूरी शरीर पर लगायें। लगाने के आधे घण्टे बाद साफ पानी से नहला दें सभी किलनी मर कर समाप्त हो जायेगी।

गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

जिला योजना के अन्तर्गत गन्ना कृषको को निम्न अनुदान देय है:–

1.आधार पौधशाला अधिष्ठापन– आधार पौधशाला अधिष्ठापन हेतु 25 कु. बीज ही प्रति किसान दिया जायेगा।आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज वितरण पौधशाला धारक को 50.00 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान देय है।

2'.प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन– प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठाापन हेतु 01 कृषक को अधिकतम 50 कु. आधार गन्ना बीज दिया जायेगा। प्राथमिक पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज के वितरण पर 25 रू. प्रति कु0 की दर से अनुदान देय है।

3.अभिजनक बीज यातायात– अभिजनक गन्ना बीज (ब्रीडर)शोध/कृषक परिक्षेत्र से यातायात के हेतु रू0 15–00 प्रति कु0 की दर से अनुदान देय होगा। अभिजनक बीज यातायात हेतु अधिकतम 25कु0 तक प्रति लाभार्थी प्रति कु0 अनुमान्य है।

4–आधार बीज यातायात–कृषकों के यहॉ स्थापित आधार पौधशालाओं में उत्पादित आधार बीज से प्राथमिक पौधशालाओं की स्थापना हेंतु रू0 7–00 प्रति कु0 की दर यातायात अनुदान देय होगा । आधार बीज यातायात हेतु अधिकतम 50 कु0 तक प्रति लाभार्थी पर अनुदान अनुमन्य होगा।

5.बीज एंव भूमि उपचार– बीज एंव भूमि उपचार के लिए उपयोगित कीटनाशकों के मूल्य का 50प्रतिशत या अधिकतम रू500 प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा। अनुदान हेतु अधिकतम सीमा 2.425हेक्टेयर प्रति लाभार्थी होगा।

6.पेडी प्रबन्धन – पेड़ी प्रबन्धन के अन्तर्गत यूरिया पेडी प्रबन्ध में यूरिया छिडकाव में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक के मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपया 150.00प्रति हे0 का अनुदान देया होगा अनुदान हेतु अधिकतम सीमा 2.425 हे0 प्रति लाभार्थी होगी।

7.बायो फर्टिलाइजर/वर्मी कम्पोस्ट–जैव उर्वरक एवम वर्मी कम्पोस्ट के मुल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 600.00 प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देय होगा अनुदान हेतु अधिकतम 4.425हे0 प्रति लाभार्थी होगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1.आधार पौधशाला अधिष्ठापन– आधार पौधशाला अधिष्ठापन हेतु 25 कु. बीज ही प्रति किसान दिया जायेगा।आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज वितरण पौधशाला धारक को 50.00 रू0 प्रति कु0 की दर से अनुदान देय है।

2.प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठाापन– प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठाापन हेतु 01कृषक को अधिकतम 50 कु. आधार गन्ना बीज दिया जायेगा। प्राथमिक पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज के वितरण पर 25 रू. प्रति कु0 की दर से अनुदान देय है।

3.प्रदर्शन–राष्ट्रीय कृषि विकास विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रदर्शन धारक को 1.00 हे0 पर अनुदान की धनराशि 9000रू0 देय है।

4.यंत्र वितरण– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चयनित सामान्य कृषक को यंत्र के कुल मुल्य का अधिकतम 30000.00 (तीस हजार) रूपया अथवा यंत्र खरीद मूल्य में जी.एस.टी. छोडकर 50 प्रतिशत इनमें से जो कम होगा अनुदान देय है।

5.माइक्रोन्यूट्रीएंट–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत माइक्रोन्यूट्रीएंट मद में लाभार्थियों को लागत का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 500 रू0 प्रति हे0 की दर से अनुदान देय है।

6. उत्पादकता पुरूस्कार–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत इस योजनान्तर्गत काप कटिग के आधार पर पौधा गन्ना एवं पेड़ी गन्ना में अधिक उपज प्राप्त करने वाले जनपद के कृषकों को प्रथम पुरस्कार अंकन 25000.00रू0 तथा द्वितीय पुरस्कार अंकन 15000.00रू0 दिया जाता है।

7. किसान मेला /गोष्ठी–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत उत्तम तकनीकी एवं नवीन तकनीकी के प्रचार –प्रसार हेंतु विभाग द्वारा ब्लाक स्तरीय मेलों /गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

8. महिला समूह द्वारा वितरण– गन्ना विकास विभाग द्वारा महिला समूहों का गठन कर नयी प्रजाति के सिंगल बड/बडचिप से पौधे तैयार कर किसानों के मध्य वितरण किया जा रहा है। प्रति पौधा सिंगल बड से जो तैयार किया जाता है रू. 1.30 की दर से तथा बडचिप से तैयार प्रति पौधा रू. 1.50 की दर से वितरणोपरान्त अनुदान की धनराशि समूहों के खाते में दिया जाता है।

28/09/2022

जिला गन्ना अधिकारी
आजमगढ़।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जनपद बस्ती
किसानों के आर्थिक उन्नयन हेतु सदैव समर्पित

उद्यान विभाग द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनायें:–

1. एकीकृत बागवानी विकास योजनाः– उद्यान रोपण (केला, आम, पपीता), पुष्प, मसाला, पाली हाउस की स्थापना, मशीनीकरण/उपकरण, जैविक विधि से शाकभाजी की खेती इत्यादि पर राज्य सहायता एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्राप मोर क्रॉप):– जल संरक्षण, उचित उर्वरक/रसायन प्रबन्धन कराते हुए खेती में लागत कम करने हेतु टपक सिंचाई, मिनी पोर्टेबल स्प्रिंकलरा, रेनगन की स्थापना पर 80 से 90 प्रतिशत अनुदान कृषकों को डी.बी.टी. से दिया जा रहा है।

3. राज्य सेक्टर योजनाः– अनु.जा./जनजाति के कृषकों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 90 प्रतिशत की सीमा तक शाकीभाजी, मसाला, पुष्प की खेती में राज्य सहायता दी जा रही है।

4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई):– योजना में आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्वरोजगार वृद्धि हेतु खाद्य उद्योग स्थापना पर लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख की राज्य सहायता दी जा रही है।

जनपद के किसानों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी/आवेदन हेतु वेबसाइट www.uphorticulture.com पर या कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी कम्पनी बाग बस्ती से सम्पर्क करें। योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय में गुणात्मक वृद्धि करें तथा प्रदेश एवं देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान करें।

जिला उद्यान अधिकारी, बस्ती

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद–मऊ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

"औद्यानिकी की यही पहचान, सुखी एवं समृद्ध किसान"

जनपद के किसानों के हितार्थ निम्न योजनायें संचालित है।

1.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः– आम, अमरूद बागवानी, संकर शाकभाजी की खेती (गोभीवर्गीय, टमाटर, शिमला मिर्च एवं कद्दूवर्गीय), परवल, मिर्च, प्याज, धनियां आदि फसलों पर अनुमन्य अनुदान/निवेश निःशुल्क देय है।

2.पर ड्राप मोर क्राप–"माइक्रोइरीगेशन":–योजना में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, रेनगन आदि पर डी0बी0टी0 माध्यम से 65 से 90 प्रतिशत तक अनुदान देय है।

3.अनुसूचित जाति कृषकों के औद्यानिक विकास की योजनाः–योजना में विभिन्न शाकभाजी ,मसाला, पुष्प की खेती पर 90 प्रतिशत अनुमन्य अनुदान/निवेश निःशुल्क देय है।

4.प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0):–खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना/उच्चीकरण पर लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये राज्य सहायता बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में देय है।

योजनाओं में पंजीकरण करायें और लाभ उठायें।

उक्त के अतिरिक्त पालीहाउस, मशरूम उत्पादन इकाई, मधुमक्खी पालन, गृह वाटिका आदि कार्यक्रमों हेतु राज्य सहायता एवं तकनीकी जानकारी हेतु कार्यालय–जिला उद्यान अधिकारी, विकास भवन, मऊ में सम्पर्क करें, मो0–9415262566, 7376333466।

उद्यान विभाग जनपद–आजमगढ़ द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनायें

1. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः–** उद्यान रोपण, शाकभाजी, पुष्प, मशाला की खेती इत्यादि पर राज्य सहायता एवं तकनीकी प्रशिक्षण देय है।
2. **पर ड्राप मोर क्रॉप(माइक्रोइरीगेशन):–** जल संरक्षण, उचित उर्वरक/रसायन प्रबन्धन कराते हुये खेती में लागत कम करने हेतु टपक सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर की स्थापना पर 80 से 90 प्रतिशत तथा पोर्टेबल स्प्रिंकलर, रेनगन की स्थापना पर 65–75 प्रतिशत अनुदान कृषकों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से देय है।
3. **राज्य सेक्टर योजनाः–** अनु0जाति/जनजाति के कृषकों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 90 प्रतिशत की सीमा तक शाकभाजी, मशाला, पुष्प की खेती में राज्य सहायता देय है।
4. **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0):–** योजना में आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्वरोजगार वृद्धि हेतु खाद्य उद्योग स्थापना पर लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0–10 लाख की राज्य सहायता देय है।

विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइटः– पर या कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, आजमगढ़ से सम्पर्क कर योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय में गुणात्मक वृद्धि करें तथा प्रदेश एवं देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान करें।

जिला उद्यान अधिकारी
आजमगढ़

हम बना रहें हैं बेहतर जीवन

'बैटर लाइफ़ फ़ार्मिंग' अलायंस- यह बायर, आई एफ़ सी (इंटरनेशनल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन), नेटाफ़िम, यारा, देहात और बिग बास्केट के बीच एक दीर्घकालिक साझेदारी है। इसका उद्देश्य किसानों की क्षमता को उभारने और उसे प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध कराना है। उत्कृष्ट कृषि पद्धति और आधुनिक कृषि तकनीक की मदद से किसानों ने अपनी उपज में वृद्धि तथा फसल की गुणवत्ता बढ़ाकर, कृषि द्वारा अपनी आमदनी को भी बढ़ाया है।

बैटर लाइफ़ फ़ार्मिंग सेंटर

2018 में, बैटर लाइफ़ फ़ार्मिंग अलायंस ने एक कृषि-उद्यम मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल ने ग्रामीण युवाओं को 'बैटर-लाइफ़ फ़ार्मिंग' सेंटर को संचालन करने के लिए सशक्त बनाया। इन सेंटर में किसानों को बीज, पौध-संरक्षण, पौध-पोषण, ड्रिप विधि से सिंचाई, मिट्टी का प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता संबंधी नई-नई तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा इन केन्द्रों में मार्केट लिंकेज एवं फसल संबंधी सलाह भी दी जाती है।

उपलब्ध सेवाएं

एलायंस पार्टनर्स | Bayer | IFC International Finance Corporation WORLD BANK GROUP | NETAFIM™ | Seminis Grow better together | AXIS BANK | YARA
VERDESIAN | Elanco | JEEVIKA | bb big basket | agribazaar | Pidilite | STIHL® | envu | IRIS

क्या आप कृषि-उद्यमी बनना चाहते हैं?

हमें ऐसे ग्रेज्युएट्स की तलाश है (ख़ास तौर पर कृषि स्नातक), जो उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में बैटर लाइफ़ फ़ार्मिंग सेंटर स्थापित करके, इसे चलाना चाहते हैं।

*आप फसल और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर हर साल 10 से 15 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।

यदि आप स्वयं अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के साथ-साथ अन्य किसानों का जीवन भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो कृपया यहां सम्पर्क करें:

http://go.bayer.com/BetterLifeFarmingCenters_NB

या QR कोड स्कैन करें

साथ ही हमें 1800-120-4049 पर भी फ़ोन कर सकते हैं।

बैटर लाइफ़ फ़ार्मिंग संबंधी जानकारी के लिए यहां लॉग-ऑन करें: www.betterlifefarming.com